लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13, गुरूवार, 30 नवम्बर, 1972/9 अग्रहायण, 1894 (शक)
No. 13, Thursday, November 30, 1972/Agrahayana 9, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S Q. Nos.		
242 उड़ीसा में 'बायज नेवल ट्रेनिंग सेंटर'	Boy's Naval Training Centre in Orissa	1
244 हास्पेट तथा विजयनगरम् इस्पात सयंत्रों के लिए मशीनें	Machinery for Hospet and Vijayanagaram Steel Plants	3
245 आल इण्डिया एम्पालाईज प्राविडेंट फंड स्टाफ फेडरेशन को मान्यता	Recognition to All India Employees Provident Fund Staff Federation	4
247 गैर सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को 'होल्डिंग कम्पनी' के अन्तर्गत लाना	Bringing of Private Sector Steel Plants under the Holding Company	7
248 युगांडा से 8 नवम्बर, 1972 तक भारतीयों को निकाला जाना	Expulsion of Indians from Uganda by 8th November, 1972.	8
249 ईद के अवसर पर पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों का मुक्त किया जाना	Release of P. O. Ws. of Pakistan on Occasion of Id	11
250 सात दिवसीय उत्पादकता सप्ताह	Seven-day Productive Week	12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
241 भारत और बर्मा के बीच सीमांकन का कार्य	Demarcation of Boundary between India and Burma	15
243 श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक	Meeting of National Council of Trade Unions	15
246 प्रस्तावित दक्षिण पूर्व के एशियाई तटस्थता योजना के बारे में मलयेशिया के प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Statement by Malaysian Prime Minister on proposed South East Asian Neutrality Plan	15

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
251	कोयला बोर्ड द्वारा झरिया कोयला क्षेत्र के लिए 'एफ' रज्जु मार्ग का निर्माण	Construction of 'F' Ropeway for Jharia Coal-field by Coal Board 16
252	भारतीय नागरिकों द्वारा युगांडा में छोड़ी गई सम्पत्ति का वहां से लाया जाना	Repatriation of Assets left behind in Uganda by Indian Citizens 16
253	इस्पात का आयात और लौह अयस्क का निर्यात	Import of Steel and Export of Iron ore 17
254	तिब्बत में चीनी शासन के बारे में दलाई लामा का कथित वक्तव्य	Reported Statement by Dalai Lama about Chinese Rule in Tibet 17—18
255	युगांडा पर आक्रमण करने के लिए भारत-जाम्बिया गठजोड़ के बारे में युगांडा का आरोप	Uganda's allegation regarding India-Zambia collusion for invasion of Uganda 18
256	संयुक्त राष्ट्र को मानवीय अधिकारों के बारे में पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में भारत के विरुद्ध आरोप	Allegations against India in Pakistan report on Human Rights to U.N. 18
257	केरल में लौह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposits in Kerela 18
258	पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस्पात सयंत्र	Steel Plants in Fifth Five Year Plan 18
259	इस्पात के वितरण के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Distribution of Steel 18
260	सेलम इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता	Production Capacity of Salem Steel Plant 19
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2401	बेलाडिल्ला के लौह अयस्क के निक्षेपों का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा पिंड संयंत्र स्थापित किया जाना ।	Setting up of an ingot plant by N.M.D.C. to utilise from Ore Deposits of Bailadilla. 20
2402	रायपुर (म० प्र०) के निकट रायपुर-मानपुर सड़क पर अस्पताल हेतु बनाये गये भवन का खाली पड़ा रहना	Building intended to house a hospital lying vacant on Raipur Road near Raipur (M.P.) 20
2403	भोपाल में एक पहाड़ी-स्थल से लावा जैसे पदार्थ का बाहर निकलना	Lava-type discharge from a hillock in Bhopal. 21
2404	सेना मुख्यालयों के महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश	Maternity Leave to employees of Armed Force Headquarters 22
2405	सशस्त्र सेना मुख्यालयों में 'सिविलयन स्टाफ आफिसर्स' की नियुक्ति	Appointment of Civilian Staff Officers in Armed Forces Headquarter 22
2406	पुनर्वास विभाग में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये आरक्षित पद	Reserved posts of S. C. and S. T. in Department of Rehabilitation 22

अता०प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2407	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	S.C. and S.T. Employees in Ministry of Labour and Rehabilitation	23
2408	गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किये गये राजदूत/हाई कमीश्नर और उनमें मुस्लिम तथा अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता	Ambassadors/High Commissioners appointed during last three years and percentage of Muslims and Scheduled Casts therein	24
2409	संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमन 1958 के अन्तर्गत सीधी भर्ती से पदों की छूट	Exemption of Posts from Direct Recruitment under U.P.S.C. (Exemption from Consultation) Regulation, 1958	27
2410	काजू उद्योग में लगे कुशल श्रमिकों को पारपत्र	Passports to skilled labourers engaged in Cashew Industry	27
2411	मध्य प्रदेश के अपंग सैनिकों/मारे गये सैनिकों के परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of disabled soldiers/ families of killed soldiers of Madhya Pradesh.	27
2412	मध्य प्रदेश में सैनिक स्कूल	Sainik Schools in Madhya Pradesh	28
2413	जनरल रिजर्व इन्जीनियरिंग फोर्स में डिप्टी चीफ इंजीनियरों के पदों पर असैनिक व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Civilians against posts of Deputy Chief Engineers in General Reserve Engineering Force	28
2414	भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को दिया गया रोजगार	Employment provided to ex-servicemen of Madhya Pradesh by Board set up for welfare of ex-servicemen	29
2415	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के केरल सर्किल का दोषपूर्ण कार्यकरण	Defective functioning of Kerala Circle of G.S.I.	29
2416	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आग लगने से हुई क्षति	Loss due to fire in Durgapur Steel Plant	30
2417	हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी में अतिरिक्त क्षमता का उपयोग	Utilisation of additional capacity at Hindustan Aluminium Company	30
2418	हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी के उत्पादों के विक्रय मूल्य में कमी का वित्तीय प्रभाव	Financial implication of reduction in sale price of products of Hindustan Aluminium Company	31
2419	बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिगृहीत भूमि के स्वामियों को मुआवजा देना	Compensation to people for acquisition of their land for Bokaro Steel Plant	31
2421	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के वित्तीय साधन तथा क्रियाकलाप	Finances and activities of Employees State Insurance Scheme	32
2422	युनाइटिड न्युज आफ इण्डिया के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of U.N.I.	32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2432	दिल्ली के लाल किले के निकट भारत के कैण्टीन स्टोर डिपार्टमेंट के डिपो से नकद राशि का लापता होना	Missing Cash from C.S D. (I)'s Depot. near Red Fort, Delhi	33
2424	राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद् के सदस्यों को प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक सप्लाई न किया जाना	Non-supply of proposed Industrial Relations Bills to Members of National Council of Trade Unions	33
2425	कैण्टीन और स्टोर विभाग (आई) की आय तथा लाभ	Incomes and Profits of Canteens and Stores Department (I)	33
2426	इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधि	Workers Representative on management of Public Undertakings under Steel and Mines Ministry	34
2427	हिन्दुस्तान लालपेठ और अन्य एककों का उत्पादन	Production of Hindustan Lalpeth and other units	35
2428	'इण्डिन वर्कर' में 'न्यू धर्मबन्द फाईंड्ज' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News regarding New Dharmaband Finds 'in Indian Workers'	36
2429	महाराष्ट्र में बन्द खानों का पुन: खोला जाना	Reopening of closed Mines in Maharashtra	36
2430	खनिज रियायतों सम्बन्धी नियम, 1960 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों के पास सम्पत्ति का रहन रखा जाना	Mortgaging of Assets of Financial Institutions under the Mineral Concessions Rules, 1960	37
2431	केरल में खनिज श्रोतों की खुदाई	Exploitation of Mining Resources in Kerala	37
2432	नोवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के कार्य सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश	Recommendation of Expert Committee on performance of Neyveli Lignite Corporation	38
2433	इस्पात न मिलने के कारण केरल में भवन निर्माण कार्य का रुकना	Suspension of Construction of Buildings in Kerala for Non-availability of Steel	38
2434	भारतीय युद्ध बन्दियों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन देने सम्बन्धी प्रक्रिया	Procedure regarding Grant of Family Pension to Widows of P. O. Ws. of India.	39
2435	जापान के प्रधान मंत्री की चीन यात्रा का प्रभाव	Impact of Japanese Prime-Minister's visit to China	39
2436	अन्तर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन, अलवर	International Aryan Conference at Alwar	40
2437	भारतीय क्षेत्र पर स्थित 18 इंक्लेव पर पाकिस्तान का नियंत्रण	Pakistani Control over 18 Enclaves on Indian side	40
2438	वेतन आयोग के समक्ष सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों तथा जवानों का मामला प्रस्तुत करना	Putting up of case of Officers and Jawans of Armed Forces before the Pay Commission	40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2439	हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना	Non-payment of Salaries of Workers by Hoogly Docking and Engineering Co. Ltd.	41
2440	कोयला खनन की रामगढ़ परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब	Delay in starting Ramgarh Project of Coal Mining	42
2441	विदेशों में स्थित होल्डिंग कम्पनियों के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team on Holding in Foreign Countries	42
2442	अमरीका द्वारा पाकिस्तान और भारत को शस्त्रास्त्रों की सप्लाई	Supply of Arms to Pakistan and India by America	43
2443	विभिन्न देशों से पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र	Arms to Pakistan from various Countries	43
2444	भारत में एशिया प्रतिष्ठान के क्रिया-कलापों पर रोक	Ban on Activities of Asia Foundation in India	43
2445	भारत में पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों पर किया गया व्यय	Expenditure on Pak POWs.	44
2446	हिंद महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय नौसेना बल का सुझाव	Suggestion for International Indian Ocean Naval Force	44
2447	अभ्रक के उत्पादन में गिरावट	Decline in Mica Production	44
2448	भारतीय वायु सेना के विमानों में 'फ्लाईट रिकार्डर' का न लगा होना	Flight Recorders for Aircraft of Indian Air Force	45
2449	विद्युत की कमी के कारण खनन उद्योग को हानि	Loss to Mining Industry due to shortage of power	45
2450	नान-कोकिंग कोयला खानों के विकास के लिए बिहार सरकार को केन्द्र द्वारा अनुदान	Central Grant to Bihar Government for Development of Non-coking Coal Mines	45
2451	फिलस्तीनी छात्रों द्वारा अरब मिशन को कब्जे में लेना	Seizure of Arab Mission by Palestine students	46
2452	हिन्दी दैनिक 'विश्वमित्र' पटना	Hindi Daily "Vishwamitra" Patna	46
2453	सेवा निवृत्ति प्राप्त सैनिक कर्मचारियों की वार्षिक औसत संख्या	Yearly Average Number of Retired Military Personnel	46
2454	भारी इंजीनियरी निगम, राँची, में एक गढ़ाई प्रेस खोलना	Opening of Forging Press at H.E.C., Ranchi	46
2455	कलकत्ता में 'हिन्डलको' कार्यालय को पुन: खोलना	Reopening of Hindalco Office at Calcutta	47
2457	श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन	Amendment of Working Journalists Act	47
2458	हरियाणा में स्पंज आयरन संयंत्र के निर्माण के लिए केन्द्र से अनुमति	Central Approval for Sponge Iron Plant in Haryana	48

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2459	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की भर्ती समिति	Recruitment Committee of Bharat Electronics Ltd.	48
2460	न्यूनतम बोनस से लाभान्वित श्रमिक	Labourers Benefited by Minimum Bonus	49
2461	बढ़े हुए बोनस के कारण उद्योगों को पेश आ रही कठिनाइयों के बारे में शिकायतें	Complaints regarding difficulties faced by industries due to increase bonus	49
2462	देश में सैनिक शिविर स्थल	Military Camping Grounds in the Country	49
2463	चीन-भारत सम्बन्ध सुधारने के लिए ब्रिटिश प्रयत्नों का समाचार	Reported British move for Improving Sino-Indian Relations	50
2464	हिन्द महासागर में कोयला निक्षेप	Coal Deposits in Indian Ocean	51
2465	निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए इस्पात का आयात	Import of Steel for Export Oriented Industries	51
2466	पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नकद राहत	Cash relief to refugees from Pakistan	51
2467	हरियाणा में लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगाना	Discovery of Iron Ore Reserves in Haryana	52
2468	आल इंडिया एम्प्लाइज प्राविडेन्ट फन्ड स्टाफ फैडरेशन की मांगों की जाँच करने के लिए उप-समिति	Sub Committee to examine demands of All India E.P.F. Staff Federation	53
2469	प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करने की तिथि में परिवर्तन	Shifting of date of coverage of Establishment under E.P F. Act	53
2470	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सतर्कता की व्यवस्था	Vigilance set up in E.P.F. Organisation	54
2471	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के चेयरमैनों निजी कर्मचारियों (पर्सनल स्टाफ) को मानदेय	Honorarium of Personal Staff of Chairman of E.P.F. Organisation	54
2472	भारतीय हथियारों तथा गोलाबारूद का निर्यात	Export of Indian arms and ammunition	
2473	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को सरकारी नियंत्रण में लिये जाने के बाद उसका उत्पादन	Production of IISCO after take over by Government	55
2474	चीन विश्व भर में लड़ाकू विमानों का सबसे बड़ा निर्माता	China Biggest manufacturer of Jet Fighter Aircraft in the world	56
2475	सोवियत प्रचार माध्यमों द्वारा जम कर भारत की कथित आलोचना	Alleged Concentrated Attack on India by Soviet Publicity Organs	56
2476	खोये भारतीय संवाददाता पाकिस्तानी टी वी पर देखे गए	Missing Indian Newsmen seen on Pakistan Television	56

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2477	श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद के पक्षों में मतभेद	Differences between Parties to National Council of Trade Unions	57
2478	दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार	Expansion of Alloy Steel Plant at Durgapur	57
2479	मलयेशिया में नागरिकता-रहित भारतीय	Indians rendered Stateless in Malaysia	57
2480	राष्ट्रीय वेतन नीति	National Wage Policy	58
2481	कटनी के आयुद्ध कारखाने के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान	Payment of House Rent Allowance to Workers of Ordinance Factory, Katni	58
2482	भारत-रूस सयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना के बारे में 'प्रावदा' द्वारा समाचार	News by 'Pravda' about formation of Indi-Soviet joint Economic Commission	58
2483	कलकत्ता के फोर्ट विलियम मैदान क्षेत्र में पक्का निर्माण कार्य	Concrete Constructions at Fort William Maidan Area of Calcutta	59
2484	तीसरे देश सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करते हुये नई दिल्ली में फ्लस्तीनी गुरिल्लों द्वारा लगाए गये पोस्टर	Posters by Palestinian Guerillas in New Delhi in Violation of Third Country Rules	59
2485	दक्षिण अफ्रीका में चार भारतीयों को सरकार के विरुद्ध कथित षडयंत्र रचने के अपराध में सजा	Sentence to four Indians in South Africa on alleged conspiracy against the Government	60
2486	1962 तथा 1965 के युद्ध में शहीद हुये सैनिकों के परिवारों को पेंशन के अतिरिक्त अन्य सुविधायें	Facilities provided to Families of Soldiers killed in 1962 and 1965 Conflicts in Addition to Pensions	60
2487	प्रयाग शिविर से युद्ध बन्दियों के भागने की चेष्टा	Escape of P.O.Ws. from Prayag Camp	61
2488	युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों पर हुआ व्यय	Expenditure on War Victims	61
2489	संग्राम पदक दिया जाना	Introduction of Sangram Medals	61
2490	गृह निर्माताओं को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to House Builders on Priority Basis	62
2491	एल्यूमिनियम संयंत्रों की उत्पादन क्षमता	Manufacturing Capacity of Aluminium Plants	62
2492	भारतीय सैनिक विद्यालय, नैनीताल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bharatiya Sainik Vidyalaya, Nainital	63
2494	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में इंजीनियरों के रोजगार के लिये परीक्षा	Examination for Employment of Engineers in H.E.C., Ranchi	63
2495	राज्यों में निकल और सीसा संयंत्रों के बारे में प्रस्ताव	Proposal for Nickel and Lead Plants in States	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2496	आयातित इस्पात के आवंटन के लिये उच्च प्राथमिकता दिये जाने वाले उद्योग	Industry to be given Top Priority for Allotment of Imported Steel	64
2497	गोआ में लागू श्रम कानून	Labour Laws in force in Goa	65
2498	गोआ में लौह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore deposits in Goa	65
2499	गोआ में खानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Mines in Goa	65
2500	रोजगार कार्यालयों के कार्य का पुनरीक्षण	Review of Working of Employment Exchanges	65
2501	विदेशों में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा त्याग पत्र दिये जाने संबंधी निदेश	Directions governing resignation by Employees posted Abroad	66
2502	सैनिक कर्मचारियों के परिवारों को कृषि भूमि देना	Agricultural Land to Families of Armed Personnel	66
2503	त्रिपुरा के उद्योगों में श्रमिक विवाद	Labour disputes in Industries in Tripura	67
2504	लूइस मैल्ले द्वारा निर्मित 'फैंटम इण्डिया' नामक वृत्त चित्र	Phantom India Documentary by Louis Malle	67
2505	इन्डो चायना में शांति स्थापित करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग द्वारा किये गये प्रयास	Efforts by International Control Commission for restoring peace in Indo-China	67
2506	रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकायें	Journals brought out by Ministry of Defence	67—68
2507	1971–72 के लिये न्यूनतम बोनस	Minimum Bonus for 1971-72	68—69
2508	पाकिस्तान द्वारा पकड़े गये लगभग 370 युद्धबंदियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्राज़ समिति के माध्यम से जानकारी	Information about 370 POW's captured by Pakistan through International Red Cross Committee	69
2509	केरल में रक्षा उत्पादन एककों की स्थापना	Setting up of Defence Production Units in Kerala	69
2510	1971 के युद्ध में अपंग हुए व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Persons disabled during War in 1971	69—70
2511	1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बेघरबार हुए लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of victims of Indo-Pak War, 1971	70
2512	लद्दाख में तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Tibetan Refugees in Ladakh	70
2513	तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये लद्दाख में आबंटित भूमि	Land alloted in Ladakh for Rehabilitation of Tibetan Refugees	71
2514	तिब्बत में चीन के तरल ईंधन चालित बिलास्टिक मिजाइल्ज का भंडार	Stock of China's Ballistic Missiles run with liquid Fuel in Tibet	71
2515	वर्ष 1972–73 में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in 1972-73	71
2516	भाल घाट में तांबा निक्षेपों का मिलना	Discovery of copper deposits in Bhalghat	72

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2517	कोयला विपणन निगम की स्थापना का प्रस्ताव Proposal for a Marketing corporation for coal	72
2518	पासपोर्ट प्राप्त करने के लिये लम्बे समय तक प्रतीक्षा Long wait for issue of Passports	72
2519	भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने से मना करना Indians refused entry into Canada	72
2520	बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना में दुर्घटना Accident in Iron Ore Project at Balladilla	72—73
2521	बैलाडिला में लौह अयस्क के लिये अधिगृहीत भूमि का मुआवजा Compensation for land acquired for Iron Ore at Bailadilla	73
2522	भिलाई इस्पात कारखाने में एक गिरोह के बारे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप Ailegation of C.P.I. regarding a racket in Dhilai Steel Plant	73
2523	कच्छाटीवू द्वीप के स्वामित्व सम्बन्धी विवाद का निबटान Settlement of kachchativu Island	73—74
2524	बेरोजगार आदिवासी Unemployed Adivasis	74
2525	बीड़ी उद्योग में भविष्य निधि योजना लागू करना Provident Fund Scheme in Bidi Industry	74
2526	कोयला खान का आधुनिकीकरण Modernisation of coal mining	74—75
2527	इस्पात संयंत्रों को होने वाली हानियों को रोकने का उपाय Measures to check losses in steel plants	75
2528	पाकिस्तान द्वारा बंगाली सेनाधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाना Trial of Bengali Armed officers by Pakistan	76—77
2529	भविष्य निधि के अंशदान की दर में वृद्धि Increase in rate of Provident Fund contribution	77
2530	ईद के दिन युद्धबंदियों को विशेष भोजन Special meal to P. O. Ws on eve of ID	77
2531	फ्रांस से मिराज विमानों की खरीद Purchase of Mirage Planes from France	77
2532	छोटे इस्पात कारखाने स्थापित करने की योजना Scheme for small Steel Factories	77—78
2533	मध्य प्रदेश की फर्मों द्वारा इस्पात की चोर बाजारी Black Marketing of Steel by Firms in Madhya Pradesh	78
2534	विदेशों में भारतीय दूतावासों में कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक संख्या Employees in excess of requirement in Indian Embassies abroad	78—79
2535	नई दिल्ली में बहुमंजिले भवनों के लिये इस्पात का आवंटन Allotment of Steel for Multi storeyed buildings in New Delhi	79
2536	व्यापारियों को इस्पात की सप्लाई के लिये एजेन्ट Agents for supply of Steel to Traders	79

अता: प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2537	यात्रा एजेन्टों द्वारा पारपत्रों की चोरबाजारी	Black Marketing in Passports by Travel Agents	79
2538	न्यूनतम बोनस का वित्तीय प्रभाव	Financial Implications of Minimum Bonus	8'
2540	स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का मूल्य	Prices of Stainless Stell Utensils	80
2541	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पांच दिवसीय सप्ताह का सुझाव	I.N.T.U.C. proposal for 5-day week	80—81
2542	दक्षिण पूर्व एशियायी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध	Cultural Relations with South East Asian Countries	81
2543	इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्य	Interanational pric of Steel vis-a-vis Price fixed by Joint Plant Committee	81—82
2544	लघु उद्योगों के लिए राज्यों को इस्पात का नियतन	Allotment of Steel to States for small scale Industries	82—83
2545	पूर्वी पाकिस्तान से 1965 से पहले आए लोगों को मुआवजा देना	Compenstion to Immigrants from East Pakistan before 1965	83
2546	युद्ध पोतों की मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकतम पुर्जों का देश में उत्पादन	Indigenous production of sophisticated items of machinery and equipment for war ships	84
2547	सेलम, विशाखापतनम और विजयनगरम इस्पात संयंत्रों पर अधिक लागत	Higher Cost for Salem, Visakhapatnam and Vijyanagaram Steel Plant	84--85
2548	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में बेकार पड़ा डोलोमाइट क्रशिंग संयंत्र	Dolomite Crushing Plant lying idle in Durgapur Steel Plant	85
2549	बिहार में खनिज निक्षेप	Mineral deposits in Bihar	85–86
2550	पश्चिम बंगाल में कोयले के उत्पादन कमी	Decline in production of coal in west Bengal	86
2551	उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला खानों का पुनर्गठन	Reorganisation of Nationalised coaking Coal Mines to increase production	86—87
2552	इस्पात का मूल्य	Prices of Steel	87—88
2553	प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Workers participation in Management	88
2555	खेतिहर मजदूरों के लिए विषद् रूप में श्रमिक कानून	Comprehensive Labour Laws for Agricultural Labourers	89
2556	खेतिहर श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण	Revision of minimum wages of Agricultural Labourers	89
2557	नौ सेना को प्रगति के लिए जहाज निर्माण का विकास	Development of Ship building for growth of Navy	89
2558	दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की भारत यात्रा	Visit by Foreign Minister of South Korea	89—90
2559	इस्पात संयंत्रों के अध्यक्षों और प्रबन्धकों की नियुक्ति	Appointments of Chairmen and General Managers of Steel Plants	90—92

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2560	बोकारो इस्पात कारखाने में दूसरी, तीसरी और चौथी धमन भट्टियों को चालू करने के लिए निर्धारित तिथियां	Time Schedule oi Commissioning of Second, Third and Fourth Blast Furnace of Bokaro	92
2561	बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए परामर्शदाता	Consultancy for Bokaro Steel Plant	92—93
2562	बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण से होने वाली अनुमानित आय	Profitability estimates for Stage-I of Bokaro Steel Plant	93
2563	युद्ध विधवाओं के लिए मकान	Houses for War Widows	93—96
2564	इस्पात संयंत्रों में उत्पादन पर होल्डिंग कम्पनी का प्रभाव	Impact of Holding Company on production in Steel Plants	96
2565	निवेली लिगनाइट निगम में हानि	Loss in Neyveli lignite Corporation	96
2567	विशाखापतनम पत्तन न्यास में ओर हैंडलिंग प्लांट के रोगी कर्मचारियों से प्रतिवेदन	Representation from workers of Ore Handling Plant at Visakhapatnam Port Trust affected with diseases	96
2568	कच्छ में लिगनाइट के निक्षेप	Lignite Deposits in kutch	97
2569	भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees in G. S, I.	97
2571	इंडियन मेटल्स एण्ड फेरो अलायज लिमिटेड द्वारा फेरोसिलिकोन की बिक्री	Sale of Ferro Silicon by Indian Metals and Ferro Alloys limited	97
2572	राजस्थान में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पता लगाये गये खनिज निक्षेपों का उपयोग	Exploitation of Mineral Deposits located by G.S.I. in Rajasthan	97
2573	दिल्ली में रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार	S. C. & S. T. Candidates Registered with Employment Exchanges in Delhi	93—99
2574	नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन में यूरिया तथा विद्युत का उत्पादन	Production of Urea and Power at Neyveli Lignite Corporation	99—100
2575	दण्डकारण्य परियोजना में उमेरकोट से रायगढ़ जाने वाली सड़क का उड़ीसा सरकार को हस्तांतरण	Transfer of Road from Umerkote to Raigarh lying in Dandakaranya Project to Orissa	101
2576	दण्डकारण्य परियोजना से बंगला देश वापिस गये परिवार	Families gone back to Bangladesh from Dandakaranya Project	102
2577	दण्डकारण्य प्राधिकारियों द्वारा कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर आदिवासी परिवारों का बसाया जाना	Settlement of Adivasi Families of land Reclained by Dandakaranya Authorities	103

अता० प्र० संख्या / U. S. Q. Nos.	विषय / SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2578	जैपुर में स्थापित की जाने वाली एल्यूमिनियम फैक्टरी का स्थानान्तरण	*Shifting of the Aluminium Factory proposed to be set up at Jeypore* 103
2579	दण्डकारण्य मुख्यालय में बेकार पड़े बुलडोजर	Bull-dozers lying idle at Dandakaranya Headquarters 103
2580	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में समस्यायें	Affecting Durgapnr steel plant 103—104
2581	गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक	Meeting of non-aligned Nations 104
2582	सरकारी क्षेत्र के एककों में निर्धारित बोनस योजना का लागू किया जाना	Applieation of prescribed Bonu to Public sector Units 104
2583	जम्मू व कश्मीर के अखनूर उपनगर में युद्ध-पीड़ितों द्वारा नकद बेकारी अनुदान की मांग	Demand of Cash Doles by Warsufferers in Akhnoor Town of Jammu and Kashmir 104
2584	उत्पादन बढ़ाने के लिये इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में मरम्मत तथा उसका नवीकरण	Repairs and Modernisation of IISCO to Increase Production 104—105
2585	दुर्गापुर इस्पात संयत्र में औद्योगिक संबध	Industrial Relations at Durgapur steel plant 105—106
2586	श्रम ब्यूरो में कार्य कुशलता	Efficienty in Labour Bureau 106
2587	श्रम ब्यूरो में इकोनामिक्स/स्टेटिस्टिकल इन्वैस्टीगटर्स ग्रेड-1 क रिक्त पदों को भरना	Filling of vacancies of Economic Statistical Investigators Grade I in Labour Bureau 107
2588	इस्पात की चादरों के आयात पर नियंत्रण	Restriction on Import of Steel sheet 107—108
2589	बंगला देश को भेजने के लिये त्रिपुरा में बांसों तथा इमारती लकड़ी का कटाई	Cutting of Bamboos and Timber in Tripura for Transportation to Bangla Desh 108
2590	स्टेनलेस स्टील का उत्पादन बन्द करने के लिये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of Durgapur Steel Plant for stopping production of Stainless Steel 108—109
2591	उद्योगों की स्थापना के लिये जापानी प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा भारत की यात्रा	Visit of Japanese Delegation to India for setting up Industries 109
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance 110
	महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से अकाल पीड़ित लोगों के बड़ी संख्या में जाने का समाचार	Reported exodus of famine-stricken people from rural areas of Maharashtra 110
	प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandvate 110
	श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed 110—113
	बिहार में रबी की फसल के बारे में	Re. Rabi Crop in Bihar 113
	सभा-पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table 113

केरल में काजू श्रमिकों के बारे में	Re. Cashew Workers in Kerala	113
सभा पटल पर पत्र रखे जाने के बारे में	Re. Laying paper on the Table of the House	113—114
राज्य-सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	115
राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक	Bills passed by Rajya Sabha	115
(1) चलचित्र (संशोधन) विधेयक	(1) Cinematograph (Amendment) Bill	115
(2) शिशु (संशोधन) विधेयक	(2) Apprentices (Amendment) Bill	115
(3) राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) जम्मू कश्मीर पर विस्तार) विधेयक	(3) Diplomatic and Consular Officer (oaths and Fees) (Extension to Jammu and Kashmir Bill	115 115
(4) प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) विधेयक	(4) Authorised Translations Central Laws) Bill	115
पाकिस्तानी हेलीकाप्टरों द्वारा भारतीय वायु सीमा के उल्लंघन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 902 के उत्तर में शुद्ध करने वाला वक्तव्य	Correction of Answer to A Starred Question No. 902 regarding Indian spac violation by Pak Helicopters in Kashmir	115—116
फरीदाबाद स्थित गुरु गोविन्द सिंह मैडिकल कालेज के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Guru Gobind Singh Medical College. Faridabad	116
श्री उमाशंकर दीक्षित	Shri Uma Shankar Dikshit	116—119
सभा के कार्य के बारे में	Re. Business of the House	119—120
खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Food Situation	120
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	120—127
भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 12वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twelfth Report of the Commissioner for Linguistic Minoriti	127
श्री वीरेन्द्र सिंह राव	Shri Birender Singh Rao	127—128
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	128—129
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	129
श्री ए० के० सेन	Shri A. K. Sen	129—131
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	131
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Dega	131—132
श्री एस० ए० शमीम	Shri S, A. Shamim	132
श्री धरणीधर दास	Shri Dharnidhar Das	132—133

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan	133—134
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	134—135
श्री पी० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venkatasubbaih	135
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanand ji	135
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	135
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	135

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 30 नवम्बर, 1972/9 अग्रहायण, 1894 (शक)
Thursday, November 30, 1972/Agrahayana 9, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजकर चार मिनट पर समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at 4 minutes past Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker In The Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ीसा में 'बायज नेवल ट्रेनिंग सेंटर'

*242. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में प्रस्तावित 'बॉयज नेवल ट्रेनिंग सैन्टर' के लिये स्थान का चयन कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो स्थान का नाम क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : किसी स्थान का चयन नहीं किया गया है। चिलका में केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव छोड़ दिया गया है क्योंकि इससे वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी। पारादीप में केन्द्र स्थापित करने की सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

श्री अर्जुन सेठी : प्रस्तावित 'बॉयज नेवल ट्रेनिंग सेन्टर' के स्थापना स्थान के चयन को अंतिम रूप देने के संबंध में इस असामान्य विलम्ब को देखते हुए उड़ीसा के लोगों को यह भय है, और कुछ राजनीतिक दल इस भय को अपने संकीर्ण पक्षपाती लाभों के लिये तेजी से बढ़ा रहे हैं, कि केन्द्र इस प्रस्तावित परियोजना को किसी अन्य राज्य में ले जाने का विचार कर रहा है। अतः इस पृष्ठभूमि में क्या मैं विशिष्ट और स्पष्ट उत्तर पा सकता हूँ कि क्या सरकार का इस प्रकार का कोई विचार है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसे चिलका में स्थापित करने का निर्णय किया गया था परन्तु इससे वातावरण पर, विशेषकर पक्षी-जीवन पर, विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना के कारण यह निर्णय किया गया कि इसे वहां नहीं स्थापित किया जाना चाहिये। अब हम इसे पारादीप में स्थापित करने का विचार कर रहे हैं जो उड़ीसा में है। जैसा कि मुख्य उत्तर में मैंने बताया अभी-तक अंतिम रूप से कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। अतः माननीय सदस्य की शंकाएं निराधार हैं।

श्री अर्जुन सेठी : क्या इस पर कोई पुनर्विचार हो रहा है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं पहले ही इसका उत्तर दे चुका हूँ ।

श्री अर्जुन सेठी : चूंकि मंत्री महोदय ने बताया है कि परियोजना अभी भी विचाराधीन है, तो अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा और पारादीप के साथ-साथ अन्य कौन से स्थान हैं जो अब भी विचाराधीन हैं तथा क्रियान्विति कब तक आरंभ कर दी जायेगी ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : पारादीप में भी हमें कुछ कठिनाई हो रही है क्योंकि जिस भूमि की हमें आवश्यकता है वह परिवहन मंत्रालय हमें नहीं दे रहा है । वे इसे वहां पत्तन के विकास के लिये रखना चाहते हैं । यदि हमें उड़ीसा में कठिनाइयां हुईं तो हम उड़ीसा के बाहर अर्थ स्थान देख सकते हैं । परन्तु फिलहाल हम पारादीप की भूमि देख रहे हैं और हमें आशा है कि हम वहां सभावित स्थान अर्जित कर सकेंगे ताकि हम यह 'बॉयज ट्रैनिंग एस्टेब्लिशमेंट सेन्टर' स्थापित कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत सरल है और उत्तर स्पष्ट था ।

श्री अर्जुन सेठी : यह उड़ीसा के लिये महत्त्वपूर्ण है ।

श्री जगन्नाथ राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस 'सेन्टर' को पारादीप में स्थापित करने में भी कठिनाई हो रही है क्या राज्य में कोई अन्य स्थान उनके ध्यान में है ? उड़ीसा तट पर गोपालपुर और छत्रपुर के बीच कुछ स्थान हैं और वहां कोई कठिनाई नहीं होगी । क्या वह उन स्थानों पर भी विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सीधा सा था जो चिलका झील में स्थान से सम्बद्ध था और मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया ।

श्री जगन्नाथ राव : न केवल चिलका ही अपितु उड़ीसा में अन्य स्थानों का भी ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : गोपालपुर में आदर्श समुद्र तट हो सकता है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह बॉयज ट्रैनिंग एल्टेब्लिशमेंट' के लिये जहां हम 'बॉयज' को नौसेना के लिये प्रशिक्षण दें, आदर्श हो ।

श्री जगन्नाथ राव : क्या मंत्री महोदय वहां गए हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं इसे असंगत तो नहीं कह रहा हूँ । मैं कह रहा हूँ कि जब हम संभावित स्थानों को देखेंगे तो माननीय सदस्य का सुझाव ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसे 'सेन्टर' स्थापित करने का क्या मानदंड है ? यदि ये बातें दिमाग में हों तो कोई ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकता है कि इसे पारादीप में अथवा कहीं और स्थापित करना संभव है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसके मानदंड हैं । सबसे पहला मानदंड यह है कि वहां कंडेटों के प्रशिक्षण के लिये आदर्श सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए । सब मानदंडों का ब्यौरा इस समय मेरे पास नहीं है, परन्तु हम निश्चय ही इनके अनुसार चलते हैं न कि राजनीतिक विचारों के अनुसार ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गोमांगों-अनुपस्थित । रोजाना उनके नाम से एक प्रश्न होता है परन्तु वह उसे पूछने के लिये यहां नहीं होते हैं । उन्हें इसे पूछने के लिये किसी दिन तो उपस्थित होना चाहिए । प्रश्न क्यों भेजते रहते हैं ? यहां किसी अन्य सदस्य को समय दिया जा सकता था ।

एक माननीय सदस्य : नियमों में संशोधन क्यों नहीं किया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : हमें नियमों में संशोधन करना होगा । इस प्रश्न के स्थान पर किसी अन्य

सदस्य को समय दिया जा सकता था । यह एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

प्रो० मधु दंडवते : 100 प्रश्नों में से मुश्किल से एक प्रश्न तारांकित होता है । जो इसे रखते हैं वे आते नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं कई दिनों से यह देख रहा हूँ कि कुछ सदस्य अपने नाम से प्रश्न दे देते हैं परन्तु लगातार कई दिनों तक उसकी परवाह नहीं करते हैं । हमें इस पर नियम समिति में विचार करना पड़ेगा और सभा के समक्ष रखना होगा (**व्यवधान**) अब, श्री मायावन-अनुपस्थित । मुझे खेद है, कुछ अन्य सदस्यों को मौका मिल सकता है । अगला प्रश्न । श्री श्रीकिशन मोदी ।

श्री पीलू मोदी **खड़े हुए** —

अध्यक्ष महोदय : वह मोदी हैं; आप मोदी हैं । श्री लकप्पा ।

*244. **श्री श्रीकिशन मोदी** :

श्री के० लकप्पा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हास्पेट तथा विजयनमरम् के नये इस्पात संयंत्रों को मशीनों तथा उपकरणों के लिये क्रयादेश हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को दिये जाने हैं,

(ख) यदि हां, तो क्रयादेश कब तक दिये जाने की आशा है,

(ग) क्या परियोजना के तकनीकी आर्थिक संभाव्यता प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया गया है,

(घ) क्या प्रत्येक परियोजना पर पूँजी निवेश के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया गया है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) विजयनगर तथा विशाखापत्तनम इस्पात कारखानों के लिए आवश्यक संयंत्रों तथा उपकरणों में से ऐसे संयंत्रों तथा उपकरणों जिनका उत्पादन भारी इंजीनियरी निगम कर सकता है, के आर्डर यथा संभव उनको दिए जाएंगे ।

(ख) जबकि विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदनों की तैयारी का नाम परामर्शदाताओं को सौंपने के पश्चात् बड़े-बड़े संयंत्रों और उपस्करों के लिए आर्डर दिये जा सकते थे । शेष उपस्करों के लिए आर्डर तभी दिये जाने की उम्मीद है जब परामर्शदाता विस्तृत विशिष्टयां तैयार कर लेंगे ।

(ग) पूँजीगत तथा परिचालन दोनों लागतों में कमी करने की गुंजाइश का पता लगाने के विचार से विजयनगर और विशाखापत्तनम इस्पात कारखानों के तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदनों की विस्तार से जांच-पड़ताल की जा रही है ।

(घ) और (ङ) : इन परियोजनाओं में पूंजीनिवेश के बारे में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

श्री के० लकप्पा : मंत्री महोदय द्वारा दिये गए उत्तर से मैं प्रसन्न नहीं हूँ । उनका यह सुनिश्चित करने का बहुत अच्छा इरादा है कि इन संयंत्रों के मामले में तुरन्त कार्यवाही की जाये परन्तु प्रश्न के (क) भाग के उत्तर से कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं जिसका उत्तर ठीक ढंग से नहीं दिया गया है क्योंकि मैसूर राज्य में इन इस्पात संयंत्रों का प्रारंभ बहुत कुछ उस देसी माल पर निर्भर करता है जिसका लेन-देन फेरो-औद्योगिक निगम द्वारा होता है । मुझे बताया गया है कि ऐसे इस्पात संयंत्र के लिये देसी उपकरण आधुनिक उपकरणों की अपेक्षा अधिक महंगे हैं । मैसूर राज्य में प्रारंभ से इस्पात संयंत्र लगाने की सुविधाएं रही हैं । भूमियों का अधिग्रहण किया गया है और जब से वहां पोलीटेकनीक

कालेज खुले हैं, 4000 से 5000 तकनीशन तैयार किये गए हैं। इसके अतिरिक्त 21 करोड़ रुपये की लागत वाली एक जल योजना भी इस मंत्रालय को भेजी गई है।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें उत्तर न देकर इस जानकारी के लिये धन्यवाद दें।

श्री के० लकप्पा : हम मैसूर राज्य से जो कुछ कर सकते थे उसे निष्ठा के साथ क्रियान्वित कर रहे हैं परन्तु हम सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक मद और अन्य बातों के मामले में निर्णय करने में इतना असामान्य विलम्ब क्यों होना चाहिए ? क्या यह सच नहीं है कि आर्थिक संभाव्यता प्रतिवेदन पहले से ही उपलब्ध है और इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है और तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन में किये गए निर्णय पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य ने जो विस्तृत जानकारी, जिसमें से कुछ पूरी तरह सही नहीं है, मुझे दी है उसके लिये उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ समय पूर्व व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये गए थे परन्तु इसके कारण बहुत सी जटिलताएं हैं कि सुझाव दिये गए उत्पाद-मिश्र (प्रोडक्ट-मिक्स) और उपकरण के प्रकार जिन पर विचार किया गया था, से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब काफी नुकसान हुआ है। अब समूचे मामले का पुनर्विलोकन करने के बाद हम इस नुकसान को कम कर पाये हैं और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हम व्यवहार्यता प्रतिवेदनों पर अपने निर्णय को अन्तिम रूप दे सकेंगे।

श्री के० लकप्पा : क्या यह सच नहीं है कि लागत को कम करने हेतु बहुत से सुझाव दिये गए हैं जैसे अधुनातन उपकरणों का आयात करना अधिक अच्छा है, काम को 7 वर्ष से आठ वर्ष तक और आगे बढ़ा दिया जाये जिससे लागत कम हो सके ? मैं जानना चाहता हूँ कि शीघ्र निर्णय करने में मंत्रालय को क्या कठिनाई है ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : माननीय सदस्य का यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं है कि निर्माण अवधि को अधिक वर्षों तक बढ़ाने से लागत कम हो जायेगी। मैं नहीं समझता कि लागत के सम्बन्ध में यह संगत विचार है। दूसरे, जहां तक मुख्य उपकरण के स्वदेशी निर्माण का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मूल्य के बारे में हमें कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि विद्यमान संगठनों की उत्पादकता अभी भी कम है परन्तु उसके लिये हमारे द्वारा पूरी तरह से आयात करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता। हमें अपने विद्यमान संगठनों की उत्पादकता में सुधार करना है।

आल इण्डिया एम्पलाईज प्राविडेंट फड स्टाफ फैडरेशन को मान्यता

*245. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने डाक तथा तार कर्मचारियों के राष्ट्रीय महासंघ के नियमों के आधार पर आल इंडिया एम्पलाईज प्राविडेंट फंड स्टाफ फैडरेशन तथा इससे सम्बद्ध यूनिटों को, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 90 प्रतिशत कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व है, मान्यता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे नियमों के आधार पर उनको इस बीच मान्यता दे दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) कुछ संसद सदस्यों के साथ 30 अगस्त, 1972 को हुई एक बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि डाक और तार विभाग में मान्यता के लिए प्रचलित नियमों के आधार पर अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि संघ की मान्यता पर विचार किया जा सकेगा।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि संघ और उससे सम्बद्ध एककों से मान्यता के लिए प्राप्त आवेदनों पर, तदनुसार कार्यवाही की जा रही है।

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether it is a fact that even after the matter was discussed with the Minister and the President of the Federation has applied for recognition, the Provident Fund Commissioner has written a letter on 15th September to the Chief Secretary of All India Provident Fund Association to the effect that they are not going to recognise the Association until the president and other members therein are as outsiders if so, whether he is empowered to write this ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : आपने अभी-अभी जिस पत्र के बारे में कहा है हमें उसके विषय में कोई सूचना नहीं है। जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में बताया गया है हम मान्यता देने को तैयार हैं यदि वे नियमों का अनुसरण करें। यदि डाक तार के नियमों की तुलना में नियमों में और व्यवहार में साम्य नहीं है तो हम मान्यता नहीं देते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : जहाँ तक डाक-तार का सम्बन्ध है वहाँ भी चार संसद सदस्य हैं।

Shri Ramavatar Shastri : May I know whether it is a fact that the rules framed by P & T Federation allow 50 percent outsiders as its office bearers and members if so, whether it is also a fact that the President of All India Provident Fund Staff Federation is an only outsider and if so, the justification of the arguement ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जैसा कि मैंने बताया है डाक-तार द्वारा बनाये गये नियमों में बाहर के सदस्यों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु मैंने कुछ संघों के विधानों में बाहर वालों को भी सदस्य बनाने की व्यवस्था देखी है। परन्तु हमने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यदि वे नियमों का दृढ़ता से अनुसरण करें तो हम उन्हें मान्यता दे सकते हैं।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, I would now like to read the rules.

Mr. Speaker : Kindly, have patience, let him reply.

Shri Ramavatar Shastri : I would like to read these rules with reference to the reply given by the hon. Minister. He has said that there is no such provision in the rules framed by P & T ? I read for his information.

" डाक तार विभाग में राष्ट्रीय संघ (नेशनल फैडरेशन) के किसी भी पद के लिये चुने गये गैर विभागीय कर्मचारी, भारतीय मजदूर संघ अधिनियम, 1926 की धारा 22 के उपबंधों के अनुसार, अपने पद की अवधि के दौरान आनरेरी सदस्य होंगे।"

This is the constitution of P & T You have said that there is no provision but this rule provides for 50 percent outsiders as members.

श्री आर० के० खाडिलकर : यह संघों द्वारा बनाया गया संविधान है। अधिकृत रूप में भेजे गये डाक-तार के नियम मेरे पास हैं। हम उन्हीं के आधार पर बातचीत करेंगे। यदि यह छूट चाहते हैं तो वे नियमों का अनुसरण करते हुये बातचीत कर सकते हैं।

श्री वयालार रवि : श्रम मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि संघों के वर्गों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं और उन्हें मान्यता देना चाहते हैं। इसी कारण श्रम मंत्रालय इस बात पर बल दे रहा है कि संसद सदस्य संघ के अध्यक्ष अथवा सचिव नहीं होने चाहिये। इसका क्या कारण है।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैं डाक-तार बोर्ड के सचिव द्वारा अधिकृत रूप में भेजे गये नियमों को पढ़ रहा हूँ। इसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है :

"संघों को मान्यता देने वाले सर्विस एसोसियेशन रूल्स फंड को अब रद्द कर दिया गया है।"

श्री एस० एम० बनर्जी : अखिल भारतीय संघों को मान्यता देने के प्रश्न पर मंत्री महोदय से कई बार बातचीत हुई है। मैं पहले अखिल भारतीय संघ का अध्यक्ष था अब मैं कानपुर जोन का अध्यक्ष हूँ। ससद के कुछ सदस्य जैसे श्री वयालार रवि, श्री गिरि तथा कुछ अन्य सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के अध्यक्ष हैं। जब संसद सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ तथा नेशनल फैडरेशन आफ इण्डियन रेलवेमैन के सदस्य रह सकते हैं तब संसद सदस्यों को ऐसे संघों के पदों से वंचित रखने के लिए ऐसे नियम क्यों बनाये जा रहे हैं ? श्रम मंत्रालय संसद सदस्यों से इस विशेषाधिकार को छीन रहा है।

श्री आर० के० खाडिलकर : संसद सदस्यों से उनका विशेषाधिकार लेने का कोई प्रश्न नहीं है। यह बात बिल्कुल सच है। जब हमारी बातचीत हुई थी तब हमने यही कहा था कि यदि वे डाक-तार नियमों का अनुसरण करें तो हम उन्हें मान्यता दे सकते हैं। यदि व्यवहार में कुछ भिन्नता रहती है तो मैं इसके परीक्षण के लिये तैयार हूँ। जहाँ तक इसका सम्बन्ध है यह बात स्पष्ट है कि डाक-तार के नियम गैर कानूनी घोषित कर दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदन का समय बर्बाद करने से तो यह अच्छा है कि आप एक साथ बैठकर मामले पर निर्णय करलें।

श्री आर० के० खाडिलकर : हम ऐसा ही कर रहे हैं।

Shri Ram Singh Bhai Verma : May I know whether the Labour Minister is aware of the report of Gajendra Gadakar Commission on labour in which it has been mentioned that the office bearers of the union should be amongst its members ? May I know whether its implementation is being started from this Department ?

श्री आर० के० खाडिलकर : वह हमें ज्ञात है। गजेन्द्र गडकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा है। परन्तु कभी कभी, जैसा कि आपने अभी अभी सुझाव दिया है, संगठनों को कुछ छूट दे दी जाती हैं और हम इस विषय पर बातचीत करने को तैयार हैं। गजेन्द्र गडकर कमीशन ने बहुत ही स्पष्ट रूप में सिफारिश की हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know from the Hon. Minister as to why the final decision regarding All India recognition of several federations, associations and trade unions having perfect eligibility has not so far been taken ? The Hon. Minister has assured in a committee that they will provide recognition to DMS in December. May I know by what time in December you are going to recognise it ?

श्री आर० के० खाडिलकर : यह एक सामान्य प्रश्न है।

श्री वसंत साठे : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि डाक-तार विभाग ने नियमों में परिवर्तन श्रम मंत्रालय के परामर्श से किया है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : जी, नहीं।

श्री वसंत साठे : यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर० के० खाडिलकर : विभाग ने नियम अपने उद्देश्य से बनाये हैं। हमने केवल यह कहा है कि हम नियमों का अनुसरण करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ फैडरेशन को मान्यता नहीं दी गई है, क्या मैं जान सकता हूँ कि वास्तव में भविष्य निधि कर्मचारियों की किस फैडरेशन अथवा यूनियन को मान्यता दी गई है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : एक यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है, परन्तु वे नियमों के

प्रति दृढ़ हैं और उनके अधिकारियों से कुछ बात-चीत होती है । यहां दो यूनियन हैं और उनमें परस्पर एकता नहीं है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : किस यूनियन को मान्यता दी गई है, और यदि नहीं, कर्मचारियों से बात-चीत कौन करता है ?

श्री आर० के० खाडिलकर : दुर्भाग्य की बात है कि यूनियन के कुछ नेताओं के व्यवहार के कारण मान्यता देना तथा उनसे बात-चीत करना कठिन था । अतः हमने एक बैठक बुलाई..... **(व्यवधान)**

Mr. Speaker: This is not the way of doing things. Do you think this way make you more effective ? I am really surprised, you stand three or four together. This is not good. This is Parliament, sometimes there is agreement and sometimes disagreement. You can not compell.

मैं इस प्रकार के व्यवहार की अनुमति नहीं दे सकता, नाही मैंने कभी अनुमति दी है । कोई भी व्यवधान कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

Bringing of Private Sector Steel Plants Under the Holding Company

*247. **Shri Shrikrishan Agarwal**: Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to bring 4 private sector plants under the control of Steel Holding Company;

(b) If so, the functions and the status of the Holding Company; and

(c) The amount likely to be incurred on it during the current year ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एम० मोहन कुमारमंगलम्) : **(क) और (ख)** : वर्तमान विचार-धारा के अनुसार इस्पात क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में सरकार के शेयर होल्डिंग कम्पनी को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे । यह कम्पनी सरकारी क्षेत्र के सभी वित्तीय संस्थानों, जिनके गैर-सरकारी क्षेत्र के लोहा और इस्पात तथा संबंध उद्योगों में हिस्से हैं, के मनोनीत प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेगी ।

(ग) इस्पात के लिए होल्डिंग कम्पनी अभी बनाई जानी है । चालू वित्त वर्ष में इस पर खर्च की जाने वाली राशि का अभी हिसाब लगाया जाना है ।

Shri Shrikrishan Agarwal: May I know to what extent the Government will exercise their control in management after the steel plants are taken over by the Holding Companies ? May I know whether the control will be in proportion to the investment made by the Government or the Government will be having their absolute control ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् : लौह तथा इस्पात उद्योग में सरकार की सम्पूर्ण गतिविधियों तथा गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर सरकारी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अर्जित किये गये सरकारी अंशों के अनुपात में नियंत्रण रखकर होल्डिंग कम्पनी सरकार के प्रति उत्तरदायी होगी ।

** कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया
Not recorded.

श्री पी० आर० शिनाय : क्या यह सच नहीं है कि बोकारो इस्पात संयंत्र उक्त होल्डिंग कम्पनी के अधीन नहीं रहेगा और यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : ये प्रश्न गत सप्ताह या 10 दिन पहले पूछे गये थे, इन्हें फिर पूछा जा रहा है । मुझे समझ नहीं आता बार-बार वही प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं । आप भी वही उत्तर दे सकते हैं।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : यह सच नहीं है कि बोकारो होल्डिंग कम्पनी के अधिकार में नहीं रहेगा ।

Shri Shri krishan Agarwal : May I know whether the holding company will be entitled to make changes in the management and the administration ?

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : पहले से ही यह बताना संभव नहीं है कि होल्डिंग कम्पनी का संयंत्रों के प्रबन्ध तथा प्रशासन में क्या हाथ होगा । इसकी स्थापना का उद्देश्य संयंत्रों को प्रशासनात्मक कुशलता में सुधार करना है और यदि होल्डिंग कम्पनी का बोर्ड इस दिशा में कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझता है तो वे उन्हें क्रियान्वित करेंगे ।

युगांडा से 8 नवम्बर, 1972 तक भारतीयों को निकाला जाना

*248. **श्री पीलू मोदी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा सरकार ने फैसला किया था कि यदि सभी भारत मूलक लोग 8 नवम्बर, 1972 तक इस देश से नहीं निकल जाते तो उन्हें पकड़ लिया जायेगा;

(ख) क्या इस दौरान भारत मूलक लोगों के साथ युगांडा सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया;

(ग) क्या भारत सरकार को इस संबंध में कोई रिपोर्ट मिली है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सितम्बर माह के दूसरे सप्ताह में उगांडा सरकार ने इस आशय का एक वक्तव्य जारी किया था कि जो गैर-नागरिक 8 नवम्बर, 1972 की निर्धारित अवधि तक उगांडा नहीं छोड़ेंगे उन्हें सुरक्षा सेना द्वारा गिरफ्तार करके सैनिक शिविरों में ले जाया जाएगा । इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को सम्बोधित एक पत्र में राष्ट्रपति अमीन ने इस संबंध में यह कहा था–

"ऐसे किसी गैर-नागरिक एशियाई के साथ दुर्व्यवहार करना या किसी और तरह उसे परेशान करने का मेरा या मेरी सरकार का कोई इरादा नहीं है जो निर्धारित तिथि तक न जाने पाया हो । मैं भी इन्सान हूँ और मैं नहीं चाहता कि किसी को अनावश्यक कष्ट उठाना पड़े ।"

हमारी सूचना के अनुसार कोई एशियाई गिरफ्तार नहीं किया गया था और न बंदी शिविर में रखा गया था हालांकि निष्कासन आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के बाद उगांडा में नहीं रह गया था ।

(ख) से (घ) : सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि एशियाई मूल के लोगों को, जिनमें भारतीय राष्ट्रिक भी शामिल हैं, तंग किया गया और अपमानित किया गया और उगांडा के सुरक्षा अधिकारियों के हाथों उन्हें कड़ी जाँच-पड़ताल और नियंत्रण सहना पड़ा और कुछ मामलों में तो उन की सम्पत्ति भी छीन ली गई ।

भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों के संबंध में कम्पाला एवं नई दिल्ली में भी उगांडा के अधिकारियों को बार बार विरोध प्रकट किया है। कुछ मामलों में मालिकों को अपनी ऐसी सम्पत्ति वापिस मिली है जो चोरी चली गई थी।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि 8 नवम्बर के बाद भारतमूलक लोग वहां रहे भी थे या नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि 8 नवम्बर से पहले जो भारतमूलक व्यक्ति वहां थे, उन्हें वापस आने के लिए नौवहन और गाड़ियों आदि की क्या सुविधायें दी गई थीं। उनके द्वारा वहां छोड़ी गई सम्पत्ति के बारे में क्या व्यवस्था की गई ? यदि वहां अब भी ऐसे लोग हैं तो वापस आने में उनकी सहायता करने के लिए सरकार का क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जिन अभ्यावेदनों का मैंने उल्लेख किया है वे उनके वापस आने से पहले ही दिये गये थे, और परिणामस्वरूप कुछ को संरक्षण प्रदान किया गया था, कुछ को उनकी गुम सम्पत्ति वापस मिल गई तथा कुछ हद तक दुर्व्यवहार भी कम हुआ है।

जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि वहां अब किस श्रेणी के लोग हैं जिन पर वह आदेश लागू होगा, मेरा यह निवेदन है कि अब वहां ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ से सभी भारतीय और ब्रिटिश-पारपत्र धारी वापस आ गये हैं। अब वहां केवल ऐसे लोग हैं जो सेवा में हैं और जिन्हें आदेश के अन्तर्गत छूट प्राप्त है। उनमें से कुछ भारत आये हैं और उन्हें हमने पारगमन-सुविधाएं दी थीं। उनमें से अधिकाँश ब्रिटेन चले गये हैं। जहां तक ऐसे लोगों का सम्बन्ध है जो किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं, उनके सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया था और उन्हें वहां से निकाल लिया गया था। उन्हें उनकी इच्छानुसार भिन्न-भिन्न देशों में बसा दिया गया है। उनमें से कुछ अभी तक पारगमन-शिविरों में हैं और वे पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं। इन लोगों को विमानों और जलयानों द्वारा वहाँ से निर्धारित तिथि तक लाने की हमने सफल व्यवस्था की थी।

माननीय सदस्य ने उनकी सम्पत्ति का प्रश्न उठाया है। वस्तुतः अब यही समस्या शेष है। सम्पत्ति के बारे में उगांडा सरकार ने कुछ सिद्धान्तों की घोषणा की है किन्तु इसके सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा अभी तक नहीं मिला है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वे किस प्रकार लागू होंगे। उगांडा सरकार का एक मुख्य सिद्धान्त यह है कि ऐसी सम्पूर्ण सम्पत्ति एक बोर्ड विशेष की देख-रेख में होगी। बाद में उसको नीलाम किया जायेगा और नीलाम से प्राप्त राशि को उगांडा के बैंकों में सम्पत्ति के मालिकों के नाम जमाकर दिया जायेगा। इसके बाद इस राशि को विभिन्न देशों को भेजने के बारे में उगांडा सरकार सम्बद्ध देशों की सरकारों अर्थात् ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार आदि से बातचीत करेगी। उगांडा सरकार ने यह भी कहा है कि सम्पत्ति के विभिन्न मालिकों के एजेन्ट भी सम्पत्ति के नीलाम के अवसर पर उपस्थित हो सकते हैं। किन्तु यह बात स्पष्ट है कि विद्यमान परिस्थितियों में वहां छोड़ी गई सम्पत्ति का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होगा। भारत सरकार इस प्रश्न को लेकर उगांडा सरकार से निरन्तर सम्पर्क में है और विद्यमान परिस्थितियों में जो भी सम्भव होगा वह करेगी।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : उगांडा सरकार की अनुमति या उसकी अनुमति के बिना 8 नवम्बर के बाद उगांडा में कितने एशियाई मूल के लोग रह गये हैं और उनमें भारतीय मूल के लोगों की संख्या क्या है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से वहां अब लगभग 2000 लोग हैं, शेष सब वहां से आ गये

हैं। वहां 600 लोगों को छूट प्राप्त है जिनमें डाक्टर और इंजीनियर आदि हैं। ऐसा कोई भी भारतीय वहां नहीं है जिसे छूट न मिली हो।

श्री एच० एम० पटेल : उगांडा से कितने ब्रिटिश पासपोर्टधारी लोगों को भारत आने की अनुमति दी गई है ? उगांडा के कितने नागरिकों को थोड़ी अवधि के लिए भारत आने की अनुमति दी गई है ? जो भारतीय मूल के लोग अभी वहां से आ रहे हैं, उनके सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है ?

श्री स्वर्ण सिंह : मोटे रूप से हमारी नीति यह है कि सरकार इन लोगों की इच्छाओं का आदर करेगी। इनके मामले इसी आधार पर लिये जा रहे हैं। इस मामले में हमारा कोई कड़ा दृष्टिकोण नहीं है। अधिकांश ब्रिटिश पासपोर्टधारी ब्रिटेन के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि ब्रिटिश सरकार का रुख इस मामले में बड़ा सहायक रहा है। जो ब्रिटिश पासपोर्टधारी भारत आये हैं उनके पासपोर्ट पर इस आशय का पृष्ठांकन है कि वे कभी भी ब्रिटेन जा सकते हैं और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की दुबारा अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अतः यह निर्णय करना उन्हीं का काम है कि वे ब्रिटेन जाना चाहते हैं अथवा नहीं। हां, ऐसे व्यक्तियों को जो भारत में ही ठहरना चाहेंगे, यहां से बलात् नहीं निकाला जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा अस्वाभाविक लगता है कि ऐसे मामले में अध्यक्ष कुछ कहे, किन्तु यहां मैं कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि जो मैं कहना चाहता हूँ, वह संदर्भ-संगत है। उगांडा की संसद के अध्यक्ष, श्री नरेन्द्र पटेल का एक पत्र मुझे मिला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके सामने एक बड़ा संकट है, क्योंकि उगांडा सरकार उन्हें उगांडा का नागरिक नहीं मान रही है। यह सज्जन वहाँ की संसद के लिए निर्वाचित किये गये थे और वे वहां बहुत वर्षों से हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन्हें वहां का नागरिक क्यों नहीं माना जा रहा है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि हम इस मामले में हस्तक्षेप करें। मैं उनका पत्र बाद में आपको भेज दूंगा। इस पत्र के बाद मुझे उनके सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। आप इस मामले को भी देखने की कृपा करें।

श्री स्वर्ण सिंह : मैं इस मामले को देखूँगा।

श्री एस० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने केवल ब्रिटिश पासपोर्टधारियों के बारे में बताया है जबकि मैंने उन भारतीय मूल के लोगों के बारे में भी पूछा था जो इस समय उगांडा के नागरिक हैं। उनमें से भी कुछ भारत आये हैं। क्या उनके सम्बन्ध में भी सरकार का ऐसा ही दृष्टिकोण है।

श्री स्वर्ण सिंह : हम आशा करते हैं कि उगांडा सरकार अपने नागरिकों को वापस ले लेगी क्योंकि यह मानव-अधिकार का प्रारम्भिक सिद्धान्त है और इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भी प्राप्त है कि किसी भी देश का नागरिक विदेश जा सकता है और पुनः अपने देश वापस आ सकता है। जिन मामलों में अत्यधिक परेशानी होगी, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकता है। परन्तु ऐसे मामलों में सामान्य रूप से हमारा यह दृष्टिकोण होगा कि उगांडा सरकार अपने नागरिकों को वापस लेने के दायित्व से न बच पाये।

श्री के० नारायण राव : क्या एशियामूलक कुछ लोग जिनके पास ब्रिटेन के पासपोर्ट हैं, ऐसे भी हैं जो भारत के नागरिक बनने के इच्छुक हैं और यदि हां, तो उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री स्वर्ण सिंह : भारतीय मूल के ब्रिटिश पासपोर्ट वाले व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय

नागरिकता अधिनियम भी है जिसमें उन विभिन्न प्रक्रियाओं और परिस्थितियों का उल्लेख है जिनके अनुसार ऐसे आवेदनों पर निर्णय किये जाते हैं।

और यदि इस सम्बन्ध में कोई अनुरोध किए गए हैं तो उन पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।

श्री के० नारायण राव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा अनुरोध किया गया था।

श्री स्वर्ण सिंह : मेरे विचार में कुछ ऐसा अनुरोध किया गया था। हमने उन्हें सुझाव दिया था कि वह सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निवेदन करें।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री स्वर्ण सिंह : श्री एन० पटेल जिनके सम्बन्ध में आपने उल्लेख किया था वह हलफनामें पर भारत आए हैं और वह इस समय हमारे देश में ही हैं।

अध्यक्ष महोदय : अतः इस सम्बन्ध में हम उनकी कुछ सहायता कर सकेंगे ताकि वह जितना समय भारत में रहना चाहें रह सकें।

श्री स्वर्ण सिंह : इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि वह यहाँ हैं तो हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि उनकी क्या इच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : जब श्री एच० एम० पटेल उठे तो मुझे दूसरे पटेल की याद आ गई।

श्री एम० एम० बनर्जी : सरकार ने आपके प्रश्न का कितना संतोषजनक उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर चन्द मिनटों के भीतर दे दिया है।

Release of P. O. Ws of Pakistan on occasion of ID

*249. **Dr. Laxmi Narain Pandey :**
Shri Narain Chand Parashwar :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether India had released 300 Pakistani Prisoners of War on the occasion of Id as a goodwill gesture ;

(b) if so, whether Pakistan has reciprocated this gesture ; and

(c) if so, the gesture shown by Pakistan ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) : ईद के अवसर पर, सद्भावना से प्रेरित होकर, भारत ने 352 बन्दियों को वापस किया। इन में 133 सैनिक और 35 असैनिक बन्दी थे जो अस्वस्थ थे और 184 स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे। तथापि, पाकिस्तान ने केवल 3 अस्वस्थ और बाकी भारतीय सैनिक युद्धबन्दियों को वापस किया।

Shri Laxmi Narayan Pandey : May I know from the hon. Minister if these were any negotiations between India and Pakistan as to the number of prisoners of war to be released by either side on the occasion of Id festival, if not what was the seasons for taking unilateral decision in consequence whereof India sepalriated 356 Pow's while Pakistan sepalriated only three sick and wounded prisoners.

Shri Vidya Charan Shukla : As far as I know there was no such pact. We have released there Pow's as a gesture of our goodwill and this is what I have stated in my answer.

The number of Pow's released by either side is a matter of proportion. As against six hundred Pow's held by Pakistan we have ninty thousand Pow's. Accordingly if Pakistan has released only 3 Pow's against the number released by us there is certainly no desparity if we keep the proportion in view.

Shri Laxmi Narayan Pandey : Does the government of India propose to release Pow's of the western sector in the same way ? If so what would be the number of Pow's to be released.

Shri Vidya Charan Shukla : It might be within the knowledge of the hon. member that was announced in the house by the foreign Minister that we are going to release all the Pow's who were captured in the western sector. The number of such Pow's is 540 and they are going to be released on 1st December. I want to inform the House that on that very day the entire bulk of 617 Pow's held by Pakistan will be handed over to us at wagah check post and they will be returning to India.

सात दिवसीय कार्य सप्ताह

250. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके द्वारा हाल ही में प्रस्तुत किये 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' के प्रस्ताव पर राज्यों के श्रम मंत्रियों, कार्मिक संघों और औद्योगिक कर्मचारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : यद्यपि उनको एक समुदाय के रूप में सम्बोधित नहीं किया गया है, सामान्य रूप से बोलते हुए राज्य श्रम मंत्री, नियोजक एवं विभिन्न मतों के श्रमिक संघ नेता प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हैं और प्रतिक्रिया अत्यन्त प्रोत्साहक है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : माननीय मंत्री का उत्तर मेरे लिए काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि हैदराबाद में इस सम्बन्ध में हुई बैठक में मैं भी उपस्थित था और वहाँ उपस्थित सभी श्रमिक संघ नेताओं ने रविवार को भी काम करने अर्थात् 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' का एकमत से विरोध किया था । क्या यह सच है कि केन्द्रीय श्रमिक संघों ने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि ऐसा निर्णय लेने और रविवार को काम करने के लिए कहने से पूर्व भारतीय श्रमिक सम्मेलन अथवा त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया जाए ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : परामर्शदात्री समिति में रविवार को छुट्टी दिवस घोषित करने में कुछ आपत्ति की गई थी किंतु अखिल भारतीय श्रमिक संघ, हिन्द मजदूर सभा और इंटक आदि के नेताओं ने लगातार कार्य करने के सुझाव का जोरदार समर्थन किया है क्योंकि एक छुट्टी तो रहेगी ही । इसका उद्देश्य यह है कि कारखाने लगातार चलते रहे । यहीं नहीं अन्य जगहों पर तो ऐसा हो रहा है । प्रश्न केवल केन्द्र श्रमिक संघों से औपचारिक परामर्श लेने का है । इंटक ने कई स्थानों पर इस सुझाव का समर्थन किया है । अन्य संघों ने भी ऐसा किया है ।

हम स्थानीय श्रमिक संघ के नेताओं को इस बात के लिए मनाने में सफल हो गए हैं । हम राज्यों के श्रम मंत्रियों से सम्पर्क बनाए हुए हैं । मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अधिकांश राज्य स्थानीय श्रमिक संघों को भी यह सप्ताह मनाने के लिए तैयार कर रहे हैं । प्रश्न यह है कि केन्द्रीय श्रमिक संघों को कब बुलाया जाए अथवा सम्मेलन का कब आयोजन किया जाए ।

हमने महसूस किया है कि कुछ केन्द्रीय श्रमिक संघों का कड़ा रवैया इस प्रक्रिया में सहायक नहीं होगा अतः उचित समय आने पर ऐसा सम्मेलन बुलाया जाएगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अखिल भारतीय मजदूर संघ ने 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' का खुले आम विरोध किया है । समझ में नहीं आता कि मंत्री महोदय को यह सूचना कहां से मिली कि स्थानीय श्रमिक संघ इसके लिए राजी हो गए हैं जहां लगातार काम चलता है वहां अखिल भारतीय मजदूर संघ 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' का विरोध नहीं कर रही है वहां तो लगातार काम करना पड़ेगा ही अन्यथा मशीनरी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा किन्तु कपड़ा उद्योग को रविवार को छुट्टी घोषित कराने में 30 वर्ष लग गए । मालिकों के विरुद्ध लड़ते हुए उन पर लाठियां बरसाई गईं, मारा पीटा गया पर फिर भी वह रविवार को कार्य करने के लिये सहमत नहीं हुए । मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह सदन को इस बात की जानकारी दे कि क्या वे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अखिल भारतीय मजदूर संघ 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' का विरोध कर रहा है, वह भारतीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन करेंगे ।

श्री आर० के० खाडिलकर : एक दिन की छुट्टी के लिए पीछे कितना ही विरोध क्यों न हुआ हो, बम्बई कपड़ा उद्योग में मैं अखिल भारतीय मजदूर संघ की बात नहीं कह रहा क्योंकि बम्बई में उनका प्रभाव सीमित है संभवतया जल्दी ही समझौता हो जाए । ऐसी ही समान स्थिति कई अन्य स्थानों पर भी उठ खड़ी हुई है—कानपुर में भी ··

श्री एस० एम० बनर्जी : कानपुर की कपड़ा मिलों में रविवार को कार्य नहीं होता और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी ऐसा ही हो ।

श्री आर० के० खाडिलकर : स्थिति यह है कि पहले उच्च स्तर पर श्रमिक संघ नेताओं की सलाह ली जायेगी । पांडेचरी में जहां सी० आई० टी० यू०, अखिल भारतीय मजदूर संघ, इंटक भी उपस्थित थे, एक समझौता हुआ था । उन्होंने 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' को मान लिया था यही नहीं मध्यावकाश को आगे पीछे करने की बात भी स्वीकार कर ली गई थी **(व्यवधान)**

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं ।

श्री शंकर गिरि : अभी अभी माननीय मंत्री ने सदन को बताया है कि सम्मेलन में उपस्थित सभी श्रमिक संघों ने 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' की बात मानली है । क्या हिन्द मजदूर सभा ने भी यह बात मान ली है ।

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया मैंने कहा था कि हैदराबाद में, जो माननीय सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र है, एक सभा हुई थी जिसमें हिन्द मजदूर सभा और अखिल भारतीय श्रम संघ के नेताओं ने खुले आम प्रस्ताव का समर्थन किया था; और यह बात रिकार्ड में है····· **(व्यवधान)**

श्री शंकर गिरि : मैं हिन्द मजदूर सभा का अध्यक्ष हूँ । मैं नहीं जानता कि हिन्द मजदूर सभा के किस नेता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है । मैं सभा का अध्यक्ष हूँ मुझे इसकी गतिविधियों की पूर्ण जानकारी है । मैं जानता हूँ हमने क्या निर्णय लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रसन्नभाई मेहता ।

श्री शंकर गिरि : मंत्री महोदय किस हिन्द मजदूर सभा की बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान आप हर समस्या पर चर्चा और उसका समाधान नहीं करा सकते यह तो मात्र प्रश्न काल है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह मात्र प्रश्न काल नहीं है। मजदूर को रविवार को छुट्टी घोषित कराने के लिए 45 वर्ष तक संघर्ष करना पड़ा है मालिक तो उनका खून चूसते रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वूलकम्ब लि० ने मजदूरों को रविवार को काम करने को विवश किया और रोज सवा लाख रुपये का लाभ कमाया। उन्होंने लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक काम किया क्योंकि वह इश्तहार छाप रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आपका नाम न बुलाया जाए तब तक आप न बोलें।

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या अहमदाबाद की कपड़ा श्रमिक संघ ने 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' के फार्मूले को स्वीकार कर लिया है यदि नहीं तो क्या इसके लिए उन्होंने कोई कारण दिए हैं और कपड़ा उद्योग के अन्य किन केन्द्रों ने 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' को स्वीकार कर लिया है।

श्री आर० के० खाडिलकर : कपड़ा श्रमिक संघ, जो मजदूर महाजन के नाम से लोकप्रिय है, ने औपचारिक रूप से इसे स्वीकार नहीं किया है किन्तु वहाँ के श्रम मंत्री ने मुझे बताया है कि कई मिलों में ऐसा समझौता हो गया है। जब भी मुझे सूचना प्राप्त होगी। मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा जिसमें इस बात का विवरण होगा कि कितने कपड़ा तथा इंजीनियरिंग एककों में इस आधार पर वस्तुतः काम शुरू कर दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने इस सम्बन्ध में प्रश्न किया था। बम्बई तथा अन्य स्थानों पर जहां सात दिवसीय कार्य सप्ताह की बात स्वीकार कर ली गई है वहां मजदूरी बढ़ाने के लिए समझौते पर बात हो रही है क्योंकि इससे उत्पादकता बढ़ेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वे लाइसेंस प्राप्त क्षमता से दुगना काम कैसे कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य का नाम नहीं बुलाया फिर भी मंत्री महोदय उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्रम मंत्री ने इस प्रश्न पर काफी भ्रान्ति फैला दी है क्योंकि सारे देश में 'सात दिवसीय कार्य सप्ताह' का विरोध किया जा रहा है ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यदि आप एक दूसरे पर चिल्ला कर अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो फिर अध्यक्ष की क्या जरूरत है ?

Shri Hukam Chand Kachwai : The decision to increase that production has probably been taken with the intention that economic condition of the country is not sound and it will improve if the production increases. I would like to know whether government will give an assurance that industries working all the seven days will be given adequate electricity and raw material and also whether Government propose to give employment in maximum number to the unemployed by increasing the number of shifts in the units to be started.

श्री आर० के० खाडिलकर : हमारा ध्येय अधिक रोजगार प्रदान करना है प्रत्येक छोटा यूनिट भी कर्मचारियों की कुल संख्या का 1/6 भाग अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकता है, बिजली की कमी तथा कुछ कठिनाइयों पर हम विचार कर रहे हैं और तथा उन उपायों पर विचार कर रहें हैं जिससे स्थिति का समाधान हो सके। अतिरिक्त रोजगार तथा बढ़ते हुए उत्पादन के परिणामस्वरूप अथ औद्योगिक संस्थान भी ऐसा ही कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने मेरा नाम बुलाया था तथा मंत्री महोदय श्री शाहनवाज खाँ उसका उत्तर देने के लिए खड़े भी हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम नहीं बुलाया था।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत और बर्मा के बीच सीमांकन का कार्य

*241. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री वरके जार्ज :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा और भारत के बीच सीमांकन कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : **(क) और (ख)** : जी नहीं। भारत और बर्मा की कुल 906 मील सीमा में से अभी तक कुल मिला कर 820 मील सीमा का सीमांकन हुआ है। सीमांकन कार्य हो रहा है। सीमांकन कार्य से संबंधित निर्णयों के लिए प्रति वर्ष भारत-बर्मा संयुक्त सीमा आयोग की बैठक होती है और भूमि पर सीमांकन के लिए दोनों देशों के सर्वेक्षण कर्मचारी निरंतर सम्पर्क बनाये हुए हैं।

श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक

*243. **श्री गिरिधर गोमांगो** :
श्री वी० मायावन :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक 11 नवम्बर, 1972 को हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो यह बैठक बुलाने के क्या मुख्य कारण थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) सूचना मिली है कि श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक बम्बई में नवम्बर, 10-11-1972 को हुई है।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

प्रस्तावित दक्षिण पूर्व एशियाई तटस्थता योजना के बारे में मलयेशिया के प्रधान मंत्री का वक्तव्य

*246. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलयेरिया के प्रधान मंत्री तुन अब्दुल रज्जाक ने अपनी सोवियत संघ की यात्रा के समय यह कहा था कि 'प्रस्तावित दक्षिण पूर्व एशियाई तटस्थता योजना' में भारत तथा जापान जैसी बड़ी शक्तियों को शामिल करना लाभदायक नहीं होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेन मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : मास्को में 3 अक्तूबर, 1972 को एक पत्रकार

सम्मेलन में मलयेशिया के प्रधान मंत्री ने कहा था कि मलयेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया में अपेक्षाकृत एक छोटे क्षेत्र के तटस्थीकरण के हक में है क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े राष्ट्रों को तटस्थ क्षेच में लाना कोई अच्छी बात नहीं है।

जहाँ तक सरकार को मालूम है, मलयेशिया के तटस्थीकरण प्रस्ताव के संदर्भ में दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में दस राज्य आते हैं जिनके नाम हैं। बर्मा, थाईलैंड, मलयेशिया, सिंगापुर, इण्डोनेशिया, फिलीपीन्स, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम (उत्तर और दक्षिण)।

भारत सरकार का हमेशा ही यह मत रहा है कि दक्षिण-पूर्व एशिया का क्षेत्र बड़े राष्ट्रों के प्रभाव और प्रतिद्वंदिता से मुक्त रहना चाहिये। इसलिए, इस समूचे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के हित के उद्देश्य से जो भी कार्य हो वह वांछनीय ही होगा।

कोयला बोर्ड द्वारा झरिया कोयला क्षेत्र के लिए 'एफ' रज्जु मार्ग का निर्माण

*251. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला बोर्ड ने झरिया कोयला क्षेत्र को रेत सप्लाई करने के लिए मैसर्स इंटरस्टेट इक्विपमेंट कारपोरेशन नामक एक अमरीकी फर्म द्वारा वर्ष 1964-69 में 6 करोड़ के लागत पर 'एफ' रज्जु मार्ग का निर्माण कराया था;

(ख) क्या उपरोक्त रज्जु मार्ग के निर्माण में अत्यधिक विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी; और यदि हां, तो इस समूचे करार का तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कायला बोर्ड के अधिकारियों के लन्दन के दौरे और लन्दन के सालिस्टर पर हुए व्यय के कारण 8 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसर्स इन्टरस्टेट इक्विपमेंट कोरपोरेशन द्वारा झरिया क्षेत्र में कोयला बोर्ड 'एफ' ऋजुमार्गों का सन्निर्माण संविदा के आधीन किया गया जिसका मूल्य 6,01,60,000/-रुपये था। जिसमें उस समय विद्यमान विनिमय दर पर 3,57,16,000/-के समतुल्य 7500360 डालर के विदेशी मुद्रा अवयव सम्मिलित थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कोयला बोर्ड के अधिकारियों के लन्दन यात्रा के विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं हुई। कोयला बोर्ड के हितों की रक्षा के लिए भारतीय उच्च आयोग के सालिसिटरों और विधि सलाहकार के विशिष्ट अनुरोध पर उन्हें जाना पड़ा। विदेशी मुद्रा व्यय की राशि 987 पौण्ड 50 पैन्श थी।

लन्दन के सालिसिटरों ने 54,752-14 पौण्ड की राशि का बिल प्रस्तुत किया है जिसमें बोर्ड के लिए लन्दन में नियुक्त किए गए चार काउन्सिलों की फीस के 6924 पौण्ड और अन्य सम्भाव्य परिव्ययों के 44·14 पौण्ड तथा अतिशेष 47,283-90 पौण्ड की राशि लन्दन के सालिसिटरों द्वारा की गई व्यावसायिक सेवाओं के लिए फीस के भी सम्मिलित हैं। बिल भारतीय उच्चायुक्त, लन्दन के विधि सलाहकार के साथ परामर्श करके संवक्षाधीन है। इस बिल का अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

भारतीय नागरिकों द्वारा युगांडा में छोड़ी गई सम्पत्ति का वहाँ से लाया जाना

*252 **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युगांडा छोड़ने पर बाध्य किए कए भारतीय नागरिकों द्वारा वहाँ छोड़ी गई सम्पत्ति का सरकार ने कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्पत्ति को वहाँ से लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) इस आदेश से प्रभावित होने वाले सभी भारतीय राष्ट्रिकों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी चल एवं अचल आस्तियों का हाई कमीशन में पजीयन करा लें और 1355 भारतीय परिवारों की आस्तियों का, उनके दिये गये विवरण के अनुसार, पंजीयन हुआ है। इन भारतीय राष्ट्रिकों के निष्क्रमण के बाद सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की और परिपत्र भेजे गये हैं कि वे देश छोड़ते समय अपनी सम्पत्ति और आस्तियों के बारे में अद्यतन सूचना दें।

(ख) युगांडा की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को यह आश्वासन दिया है कि कोई भी सम्पत्ति बिना मुआवजे के जब्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हमें भी ऐसे ही आश्वासन दिए हैं। अभी उन्हें इस तरह छोड़ी गई सम्पत्ति की न्यायोचित बिक्री की और उससे प्राप्त धन को उनके स्वामियों को प्रत्यावर्तित करने के तरीकों से सम्बद्ध व्यवस्थाओं की घोषणा करनी है हाल ही में हमने उगांडा सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं और हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस्पात का आयात और लौह अयस्क का निर्यात

253. **श्री भेगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न देशों से कुल कितने इस्पात का आयात किया गया तथा उनको कितने लौह अयस्क का निर्यात किया गया; और

(ख) इस्पात के सम्बन्ध में आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा लौह अयस्क के बजाय इस्पात के तैयार माल का निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3871/71**]।

(ख) इस्पात में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने हेतु बोकारो, सेलम, विशाखापत्तनम् और विजयनगर में नये इस्पात कारखानों, विद्युत भट्टी एककवै की स्थापना से अतिरिक्त क्षमता बनाने तथा वर्तमान इस्पात कारखानों में क्षमता के अधिक उपयोग द्वारा देशीय उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। देश में इस्पात की अधिक उपलब्धि से अन्ततः कच्चे माल के निर्यात की बजाय तैयार उत्पादों के निर्यात में क्रमिक वृद्धि में सहायता मिलेगी।

तिब्बत में चीनी शासन के बारे में दलाई लामा का कथित वक्तव्य

*254. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'न्यूज वीक' के सम्वाददाता को दिये गये दलाईलामा के इंटरव्यू की ओर दिलाया गया है (20 सितम्बर, 1972 के इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली में प्रकाशित) जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि जनता चाहती है तो वह तिब्बत में चीनी शासन को स्वीकार करने को तैयार हैं ;

(ख) क्या सरकार ने दलाईलामा के इस वक्तव्य के आशय का अध्ययन कर लिया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेशी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) : जी हां।

(ख) **और (ग)** : दलाई लामा और अन्य तिब्बतियों को मानवीय आधार पर भारत में शरण

दी गई थी ; राजनीतिक मामलों में उनका रुख उनका अपना मामला है । भारत सरकार तिब्बत को चीन का एक भाग मानती है ।

युगांडा पर आक्रमण करने के लिए भारत जाम्बिया गठजोड़ के बारे में युगांडा का आरोप

*255. **डा० हरिप्रसाद शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान युगांडा के एक सैनिक प्रवक्ता के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारत और जाम्बिया, तंजानिया से युगांडा पर नए आक्रमण की योजना बना रहे थे और यह कि भारत के राष्ट्रपति की तंजानिया और जाम्बिया की यात्रा, जाम्बिया और भारत की सहायता से गुरिल्लों के साथ तंजानिया को सशस्त्र सेनाओं द्वारा युगांडा पर नए आक्रमण की तैयारी के लिए की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 26 सितम्बर 1972 को उगांडा रेडियो ने एक उगांडा के सैनिक प्रवक्ता का वक्तव्य प्रसारित किया था जिसमें उसने दूसरी बातों के साथ ही यह कहा था कि 'इस आशय की सूचना मिली है कि भारत के राष्ट्रपति को तंजानिया और जांबिया यात्रा का उद्देश्य यह है कि जांबिया और भारतीय सेना एवं वायुसेना की सहायता से तथा छापामारों और तंजानिया की सेना को मिलाकर उगांडा पर पुनः आक्रमण की तैयारी की जाय···यह भी कि हिंद महासागर में विध्वंसक तथा सैनिक टुकड़ियां देखी गई हैं और वे दार-ए-सलाम की ओर बढ़ रही हैं ।

(ख) चूंकि आरोप बिल्कुल गलत थे और न उनका कोई आधार था इसलिए शीघ्र ही उगांडा स्थित हमारे हाई कमीशन ने कंपाला के विदेश कार्यालय में आरोपों को अस्वीकार करते हुए तथा राष्ट्रपति को कुछ पूर्व अफ्रीका देशों की यात्रा की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुए तीव्र विरोध किया । नई दिल्ली में उगांडा के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को विदेश कार्यालय में बुलाया गया । भारत सरकार के एक अधिकृत प्रवक्ता ने इन आरोपों को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया तथा राष्ट्रपति की कुछ पूर्व अफ्रीकी देशों की यात्रा की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया ।

Allegations Against India in Pakistan Report on Human Rights to U. N.

*256. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri M. S. Purty :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether after Simla agreement, Pakistan in a report to the United Nations on human rights, has held India responsible for the continuation of material law in Pakistan and also made allegations against India with making false statements, taking arbitrary action and disregarding human consideration; and

(b) The reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) In its report on civil and political rights presented to the U. N. for the period 1st July, 1968 to 30th June, 1971, Pakistan alleged that progress in ending martial law could not be made for a variety of reasons including widespread trouble created by certain powers, notably India, in the eastern part of the country. This report was submitted by Pakistan in April 1972, that is before the Simla Agreement.

(b) Pakistani allegation is baseless. Pakistan's report will come up for the first items before the session of the UN Human Rights Commission which will be held in the end of February 1973. That will be the occasion to set the record straght.

केरल में लौह अयस्क के निक्षेप

*257. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन क्षेत्रों में लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगाया गया है ;

(ख) इन निक्षेपों की लगभग कितनी क्षमता है ; और

(ग) इन्हें निकालने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : **(क) और (ख)** : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, केरल के कोजिकोडे में चेरूप्पा, ऐलीयट्टीमाला, नामिदा और नादुवेल्लुर के चार निक्षेपों में 31 और 42 प्रतिशत कुल लोहाँश की भिन्नता वाली आक्सीकृत और अनाक्सीकृत अयस्क की लगभग 440 लाख टन की उपलभ्य राशियाँ प्राक्कलित की गई हैं। आलमपारा निक्षेप के समीप अन्वेषण कार्य प्रगति में है और आशा की जाती है कि यह वर्तमान क्षेत्र सत्र के अन्तिम चरण तक सम्पूरित हो जाएगा।

(ग) आलमपारा लौह अयस्क निक्षेप का अन्वेषण सम्पूरित हो जाने के पश्चात् और सरकार द्वारा रिपोर्ट के प्राप्त किए जाने पर ही इन निक्षेपों के समुपयोजन के बारे में विचार किया जा सकता है।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र

*258. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश में अधिक इस्पात संयंत्र लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) पाँचवी योजना के लिए इस्पात विकास कार्यक्रमों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के वितरण के बारे में शिकायतें

*259. **श्री के० मालन्ना** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में इस्पात के वितरण में कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : **(क) से (ग)** : वर्तमान वितरण प्रणाली में प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों के बारे में उपभोक्ताओं तथा कुछ संस्थाओं से यदाकदा कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रणाली को दोष-रहित बनाने के उद्देश्य से कुछ परिवर्तन पहले ही किये गए हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कानपुर और हैदराबाद में लोहा और इस्पात नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालय भी खोले गए हैं, जिनका एक काम इस्पात सामग्री के दुरुपयोग को रोकना है। लोहा

और इस्पात नियंत्रक ने भी क्षेत्रीय नियंत्रकों को कुछ अधिकार दिये हैं। विकेन्द्रीकरण की दिशा में उठाया गया यह कदम कुछ समस्याओं के स्थानीय समाधान में सहायक सिद्ध होगा।

सेलम इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता

*260. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेलम के इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : सेलम इस्पात कारखाने की रूपांकन प्रतिवर्ष 195,000 टन तैयार इस्पात का उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इसमें निम्नलिखित उत्पाद तैयार किये जाएंगे।

चादरें और स्ट्रिप		टन/वर्ष
बेदाग इस्पात	ठंडे बेलित	65,000
	गर्म बेलित	5,000
सिकिलन इस्पात	ठंडे बेलित	75,000
साधारण इस्पात	गर्म बेलित	20,000
कार्बन इस्पात	गर्म बेलित	30,000
	जोड़	195,000

Setting up of an Ingot Plant by N. M. D. C. to utilise iron ore Deposits of Bailadilla

2401. **Sbri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether large deposits of iron ore have been found in Bailadilla iron ore project which are not being utilized ;

(b) whether the National Mineral Development Corporation is considering a proposal to set up an ingot manufacturing plant on the basis of these large deposits of iron ore In Bailadilla ; and

(c) if so, the present position of the proposal and the time by which the said plant would be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawas Khan) : (a) The Geological Survey of India had mapped the Bailadila range of hills and indicated fourteen distinctly separate deposits of iron ore, of which, Bailadila Deposit No. 14 has already been developed by the N. M. D. C. and Bailadila Deposit No. 5 is under development. Exploration work is a so in progress at Deposit No. 4.

(b) and (c) : The Central Engineering & Designs Bureau of Hindustan Steel Ltd., is conducting studies to ascertain the possibility of converting the Bailadila iron ore fins into sponge iron/pig iron. A techno-economic feasibility Report on the direct reduction of Bailadila fines will be available only after these studies are completed. Thereafter a decision regarding setting up of the plant will be taken. Since N. M. D. C. is a mining organisation, the production of sponge tiron or pig iron will have to be entrusted to another agency in the public sector

रायपुर (म० प्र०) के निकट रायपुर-माना सड़क पर अस्पताल हेतु बनाये गये भवन का खाली पड़ा रहना।

2402. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर के निकट रायपुर-माना सड़क पर अस्पताल के लिए 10 लाख रुपये लागत से निर्मित आकर्षक भवन 1967 से खाली पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस भवन को किराये पर लेना चाहा था परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इसे नहीं दिया ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इस भवन को काम में न लाये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इन सभी वर्षों के दौरान किराये की राशि के रूप में केन्द्रीय सरकार को कितनी हानि हुई तथा अब इस भवन के उपयोग के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निम्न-लिखित सूचना दी है :—

(क) मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने रायपुर में केवल निगम की लागत पर एक 75 पलंगों वाले टी० बी० अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी। अस्पताल अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मुख्य भवन में सिविल कार्य मार्च, 1970 तक पूर्ण हो गया था कर्मचारी वर्ग के मकानों और उनके विकास का कार्य अभी हाथ में है।

(ख) अक्तूबर, 1971 में मध्य प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया कि यह भवन उन्हें बिना किसी कीमत के या सांकेतिक कीमत पर दे दिया जाय। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया, और इसके बदले में उनसे अस्पताल को सीधे खरीद कर या उचित किराये पर लेने के लिए कहा गया। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

(ग) क्योंकि विकास का कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए भवन को किसी उपयोग में नहीं लाया जा सका।

(घ) क्योंकि निर्माण का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए किराये की हानि का प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल में एक पहाड़ी-स्थल से लावा जैसे पदार्थ का बाहर निकलना

2403. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल नगर के एक पहाड़ी स्थल से कुछ मास पूर्व लावा जैसा एक पदार्थ बाहर निकलता पाया गया था और क्या इसका इस दृष्टि से अध्ययन के लिए जापान तथा हवाई से विशेषज्ञ बुलाये गये थे कि कहीं इसका संबंध वहां किसी प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट से तो नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन विशेषज्ञों ने अपनी जांच पूरी कर ली है यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज़ खाँ) : (क) जी, नहीं। तथापि, 20/21 जून, 1972 की रात को भोपाल में 33 कि० वा० बिजली संचारण लाइन के बिजली के स्तम्भ के समीप भूतल के भीतर से किसी पिघले हुए काले चिपचिपे पदार्थ के निकलते देखे जाने की सूचना मिली थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य सरकार ने इस घटना का, जिसे स्थानीय समाचार पत्रों में ज्वालामुखी विस्फोटन कहा गया है, विस्तृत अध्ययन किया। भूवैज्ञानिक अन्वेषण से यह निष्कर्ष निकला कि इस घटना में किसी प्रकार की ज्वालामुखीय क्रिया सम्मिलित नहीं है अथवा इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। पर्यवेक्षित घटना, वज्रपात अथवा बिजली संचारण के दौरान छोटी परिधि (शार्ट सरक्यूटिंग) से सम्बन्धित हो सकती है। इस घटना की जांच के लिए जापान और हवाई से कोई विशेषज्ञ आमंत्रित नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

सेना मुख्यालयों के महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश

2404. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेना मुख्यालयों में उन विवाहित महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है जिन्हें गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष प्रसूति अवकाश दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप राजकोष को कितनी वित्तीय हानि होती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

अवधि	विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या	विवाहित महिला सरकारी कर्मचारियों को दी गई प्रसूति छुट्टी	अवकाश अवधि में दी गई धन राशि
1	2	3	4
पहली नवम्बर 1969 से 31 अक्तूबर 1970	330	57	43,215·08
पहली नवम्बर 1970 से 31 अक्तूबर 1971	342	63	50,804·22
पहली नवम्बर 1971 से 31 अक्तूबर 1972	356	61	52,530·93
जोड़	1028	181	1,46,550·23

सशस्त्र सेना मुख्यालयों में 'सिविलियन स्टाफ आफिसर्स' की नियुक्ति

2405. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सशस्त्र सेना मुख्यालयों के सिविलियन स्टाफ आफिसर्स की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन तथा साक्षात्कार के बाद की जाती है जब कि 'सिविलियन स्टाफ आफिसर्स (इक्विपमैंट)' के मामले में रिक्त पद के प्रत्याशी को पास करने और उसकी योग्यता की जांच के लिए अधिकारियों का कोई बोर्ड गठित नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों में सिविलियन स्टाफ आफिसर्स की पदोन्नतियां चयन बोर्ड द्वारा जिसका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य होता है, किये गये चयन तथा साक्षात्कार के आधार पर असिस्टैंट स्टाफ आफिसर्स में से की जाती हैं । सिविलियन स्टाफ आफिसर्स (इक्विपमैंट) के ग्रेड में पदोन्नतियां, ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा वाले सिविलियन राजपत्रित आफिसर्स में से क्लास–I विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाती है जिसका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होता है । इस पद पर पदोन्नति के लिए साक्षात्कार आवश्यक नहीं समझा जाता ।

पूनर्वास विभाग में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये आरक्षित पद

2406. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री पुनर्वास विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के बारे में 18 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना संग्लन विवरण में दी गई है ।

विवरण

प्रश्न	उत्तर		
(क) पुनर्वास विभाग में गत तीन वर्षों में श्रेणी 1, 2, 3 और 4 के कितने-कितने पद भरे गये;	श्रेणी I	—	74
	श्रेणी II	—	160
	श्रेणी III	—	1323
	श्रेणी IV	—	655
(ख) उक्त पदों में से कितने पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को रखा गया; और	श्रेणी I	—	3
	श्रेणी II	—	11
	श्रेणी III	—	320
	श्रेणी IV	—	291
(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने पर, वर्ग-वार पदों के 'सामान्य पदों' में बदलने के कितने मामले उन्हें निर्देशित किए गए ;	कोई नहीं ।		

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

2407. **श्री जत्रपति अम्बेश** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या के बारे में 10 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, हां ।

(ख) वितरण–1 और 2, जिनमें यह सूचना दी गई है, संलग्न हैं ।

विवरण–1

विभाग का नाम–श्रम और रोजगार

पद की श्रेणी	31-7-72 को कर्मचारियों की कुल संख्या	स्तंभ (2) में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	31-7-72 को होने वाले गत तीन वर्षों में स्तम्भ (3) में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के अभाव में सामान्य रिक्तियों में परिवर्तित पदों की संख्या
श्रेणी–1	592	63	3

श्रेणी–2	595	43	7
श्रेणी–3	4536	631	10
श्रेणी–4	3394	1189	—

विवरण–2

विभाग का नाम···पुनर्वास विभाग

पद की श्रेणी	31-7-72 को कर्मचारियों की कुल संख्या	स्तंभ (2) में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों की संख्या	31-7-72 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों में स्तंभ (3) में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के अभाव में सामान्य रिक्तियों में परिवर्तित पदों की संख्या
श्रेणी–1	105	3	—
श्रेणी–2	434	20	—
श्रेणी–3	5307	1092	1
श्रेणी–4	2521	873	—

गत तीन वर्षों के दौरान नियुक्त किये गये राजदूत हाई कमीश्नर और उनमें मुस्लिम तथा अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता

2408. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कितने राजदूत तथा हाई कमिश्नर नियुक्त किये हैं;

(ख) उनमें हरिजनों तथा मुस्लिमों की प्रतिशतता क्या है तथा उनके नाम क्या हैं और उन्हें किन किन देशों में नियुक्त किया गया है; और

(ग) उनकी प्रतिशतता अपेक्षित स्तर पर लाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

विदेश मंत्रालय मेंउ पमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पछले तीन वर्षों में पदासीन राजदूत/हाई कमिश्नरों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1-12-69 से 30-11-70 तक 74

(इसमें इस अवधि में नियुक्त 13 भी सम्मिलित हैं)

1-12-70 से 30-11-71 तक 76

(इसमें इस अवधि में नियुक्त 33 भी सम्मिलित हैं)

1-12-71 से 30-11-72 तक 74

(इसमें इस अवधि में नियुक्त 33 भी सम्मिलित हैं)

(ख) पिछले तीन वर्षों में पदासीन अनुसूचित जातियां। मुसलमानों की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

अवधि	प्रतिशतता	
	अनूसूचित जातियां	मुसलमान
1-12-69 से 30-11-70 तक	2·7 प्रतिशत	10·8 प्रतिशत
1-12-70 से 30-11-71 तक	2·63 ,, ,,	7·89 ,, ,,
1-12-71 से 30-11-72 तक	4·05 ,, ,,	9·46 ,, ,,

पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जातियां । मुसलमानों की नई नियुक्तियों की प्रतिशतता इस प्रकार है :—

अवधि	प्रतिशतता	
	अनुसूचित जातियां	मुसलमान
1-11-69 से 30-11-70 तक	शून्य	शून्य
1-12-70 से 30-11-71 तक	शून्य	6·06 प्रतिशत
1-12-71 से 30-11-72 तक	6·06 प्रतिशत	9·09 प्रतिशत

पिछले तीन वर्षों में पदासीन अनुसूचित जातियों और मुसलमान राजदूत । हाई कमिश्नरों के नाम विवरण 1 और 2 में दिये गये हैं ।

पिछले तीन वर्षों में नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों और मुसलमान राजदूत । हाई कमिश्नरों के नाम विवरण 3 और 4 में दिये गये हैं ।

(ग) यह प्रतिनिधित्व असन्तोषजनक नहीं है फिर भी हम आशा करते हैं कि भविष्य में इन पदों पर अनुसूचित जातियों और मुसलमानों को और प्रतिनिधित्व मिलेगा ।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों में पदासीन अनुसूचित जातियों के राजदूत । हाई कमिश्नरों के नाम :—

क्र० स०	नाम	पद	अवधि	टिप्पणी
1.	श्री के० आर० नारायण (शासकीय)	बेंकाक में भारत का राजदूत	25-4-67 से 4-5-69 तक	स्थानान्तरण के आदेशों के अन्तर्गत वह अंकरा में भारत के राजदूत होंगे ।
2.	श्री एल० एन० रे (शासकीय)	ट्रिनिडाड में भारत का हाई कमिश्नर	4-4-69 से 29-12-70 तक	स्थानान्तरण के आदेशों के अन्तर्गत वह मोगाडिशू में भारत के राजदूत होंगे ।
3.	श्री पी० एस० नस्कर (अशासकीय)	वैलिंगटन में भारत का हाई कमिश्नर	25-12-68 से आज तक	——

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों में कर्यारत मुसलमान राजदूत । हाई कमिश्नरों के नाम :—

क्र० सं०	नाम	पद	अवधि	टिप्पणी
1.	नवाब अन्नी यावर जंग (अशासकीय)	वाशींगटन में भारत का राजदूत	5-3-68 से 14-2-70 तक	
2.	श्री आजिम हुसैन (शासकीय)	बर्न में भारत का राजदूत	25-11-67 से 8-10-70 तक	
3.	श्री मोहम्मद यूनुस (शासकीय)	अल्जियर्स में भारत का राजदूत	10-8-71 से जनवरी 67 तक	
4.	श्री एम० ए० रहमान (शासकीय)	तेहरान में भारत का राजदूत	16-1-69 से जनवरी 72 तक	
5.	श्री महबूब अहमद (शासकीय)	बगदाद में भारत का राजदूत	मार्च 66 से जनवरी 71 तक	
6.	श्री वी० ए० किदवई (शासकीय)	(1) कुवेत में भारत का राजदूत	20-1-71 से	
		(2) दमिश्क में भारत का राजदूत	जून 67 से 19-1-71 तक	
7.	श्री टी० टी० पी० अब्दुल्ला (भारतीय विदेश सेवा से भिन्न)	जेद्दा में भारत का राजदूत	22-4-69 से	
8.	श्री एस० ए०म आगा (भारतीय विदेश सेवा से भिन्न)	ट्रिनिडाड में भारत का हाई कमिश्नर	8-1-71 से	

विवरण-3

पिछले तीन वर्षों में नियुक्त अनुसूचित जातियों के नियुक्त किये गये राजदूत । हाई कमिश्नरों के नाम :—

क्र० सं०	नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री के. आर. नारायणन	अंकरा में भारत का नामोद्दिष्ट राजदूत	वह बेंग्काक में 25-4-67 से 4-5-69 तक भारत के राजदूत थे
2.	श्री एल० एन० रे	मोगाडिशू में भारत का नामोद्दिष्ट राजदूत	वह ट्रिनिडाड में 4-4-69 से 29-12-70 तक भारत के हाई कमिश्नर थे ।

विवरण-4

पिछले तीन वर्षों में नियुक्त किये गये मुसलमान राजदूत । हाई कमिश्नरों के नाम :—

क्र० सं०	नाम	पद	टिप्पणी
1.	श्री वी० ए० किदवई	20-1-71 से	वह 5-6-67 से 19-1-71 तक

	(शासकीय)	कुवैत में भारत का राजदूत	दमिश्क में भारत के राजदूत थे ।
2.	श्री एस० एम० आगा (भारतीय विदेश सेवा से भिन्न)	8-1-71 से ट्रिनिडाड में भारत का हाई कमिश्नर
3.	श्री एस० डब्ल्यू० जंमा (शासकीय)	किंशासा में भारत के नामोद्दिष्ट राजदूत
4.	श्री एस० शहाबुद्दीन (शासकीय)	अल्जियर्स में भारत का नामोद्दिष्ट राजदूत
5.	श्री सैयद नजीर हुसैन (शासकीय)	साना में भारत का नामोद्दिष्ट राजदूत

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत सीधी भर्ती से पदों की छूट

2409. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या **रक्षा** मंत्री संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम, 1958 के अन्तर्गत सीधी भर्ती से पदों को छूट के बारे में 5 मई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) और** (ख) : अतारांकित प्रश्न संख्या 5208 के बारे में सूचना 24 नवम्बर, 1972 को सभा के पटल पर रख दी गई है ।

काजू उद्योग में लगे कुशल श्रमिकों को पारपत्र

2410. **श्री वरके जार्ज** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि काजू उद्योग में लगे कुशल श्रमिकों को विदेश आने के लिए पारपत्र देकर प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के अपंग सैनिकों मारे गये सैनिकों के परिवार का पुनर्वास

2411. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मध्य प्रदेश के कितने सैनिक अपंग हुए तथा अब तक उनमें से कितने सैनिकों के लिए पुनर्वास व्यवस्था कर दी गई है और शेष सैनिकों का पुनर्वास कब तक कर दिया जायेगा; और

(ख) युद्ध में मारे गये मध्य प्रदेश के सैनिकों के कितने परिवारों को पुनर्वास सुविधायें दी जा चुकी हैं और शेष परिवारों को ये सुविधायें कब तक उपलब्ध करायी जायेंगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) स्थायी अशक्तता के 652 मामलों में अब तक चिकित्सीय निश्चयात्मकता हो गई; इनमें से 10 मध्य प्रदेश के हैं। सभी 10 मामलों में पुनर्वास अभिरुचि का पता लगा लिया गया है और सभी ने सीधे ही रोजगार की इच्छा व्यक्त की है। रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा 4 के लिए नौकरी का पता लगा लिया गया है और शेष मामलों पर कार्रवाही की जा रही है।

(ख) हाल ही के भारत-पाक संघर्ष में मारे गये मध्य प्रदेश के सैनिकों को जो सुविधाएं दी गई हैं उनमें जे सी ओ/ओ आर के मामले में लिए गये अन्तिम वेतन के बराबर बढ़ी हुई पैन्शन और अफसरों के मामले में मृत्यु के समय पद पर वेतन का तीन चौथाई पेन्शन सम्मिलित है। इसमें बच्चों के लिए नि: शुल्क शिक्षा और संक्रिया में मारे गये सैनिकों के दो अश्रितों तक रोजगार में सहायता भी सम्मिलित है। हरेक के मामले में स्थिति इस प्रकार है :—

पेन्शन : सभी पात्र मामलों में पेन्शन मंजूर कर दी गई है।

शिक्षा : सभी पात्र बच्चों को हकदार कार्ड जारी कर दिए गये हैं ताकि वे नि:शुल्क शिक्षा की रियातों का उपयोग कर सकें।

रोजगार : विधवा सहित दो आश्रितों तक केन्द्र और राज्य सरकारों में रोजगार कार्यालय जाए बिना रोजगार सहायता पाने के हकदार हैं। रोजगार सहायता के लिए जिन 16 सैनिक परिवारों ने अनुरोध किया था उनमें से तीन मामलों में या तो विधवा को या उनके नजदीकी रिशतेदार को रोजगार देना संभव हो सका है। शेष मामले रोजगार एजेन्सियों के विचाराधीन हैं।

आवास तथा भूमि : मध्य प्रदेश सरकार ने निश्चय किया है कि मृत सैनिकों की विधवाओं को 10,000 रुपये मूल्य का तथा अफसरों की विधवाओं को 15,000 रु० मूल्य का मकान उपहार दिया जाएगा। मध्य प्रवेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आवास स्थलों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। ऐसे परिवारों को 5 एकड़ भूमि भी आबंटित की जा रही है वर्शे कि धान के लिए कुल असोचित भूमि 10 एकड़, गेहूं के लिए 15 एकड़, ज्वार तथा कपास और मोटे अनाज के लिए 20 एकड़ से अधिक न हो। मध्य प्रदेश सरकार को शीघ्र आबंटन के लिए कहा गया है।

अनुग्रहपूर्वक अनुदान : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक परिवार को छोड़कर सभी पात्र परिवारों को ओ आर के मामले में 2,000 रुपये, जे सी ओ के मामले में 3,000 रुपये और अफसरों के मामले में 5,000 रुपये अनुग्रहपूर्वक अनुदान के रूप में दे दिया गया है। जिन मामलों में अदायगी नहीं की गई उनके नजदीकी संबन्धियों का पता लगाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Sainik Schools in Madhya Pradesh

2412. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether there are any Sainik Schools in Madhya Pradesh and if so, whether Government have under consideration any proposal to increase its/their efficiency ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : **(a) and (b)** : There is a Sainik School at Rewa in Madhya Pradesh. The School is functioning quite satisfactorily. Certain steps like increasing the strength of the school, building dormitories and residential quarters for staff, provision of a bus and a new jeep etc. are under consideration. These steps would improve the efficiency of the school.

Appointment of civilians against posts of Deputy Chief Engineers in General Reserve Engineernig force

2413. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any civilians from Madhya Pradesh have been appointed against the posts of Deputy Chief Engineers in the General Reserve Engineering Force ; and

(b) if so, the number thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir. No post of Deputy Chief Engineer is at present authorised in General Reserve Engineer Force.

(b) Does not arise.

Employment provided to Ex-Servicemen of Madhya Pradesh by Board set up for Welfare of Ex-Servicemen

2414. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the nature of employment provided to the ex-Servicemen from Madhya Pradesh by the Board set up for the welfare of ex-servicemen ; and

(b) whether the number of those ex-Servicemen of Madhya Pradesh who have been provided with employment is much less as compared to the number of ex-Servicemen of other States ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram): (a) Welfare of ex-servicemen in States is looked after by Soldiers', Sailors' and Airmen's Boards at the State and District levels. There are such Boards in Madhya Pradesh also. There are reserved vacancies in Class III and Class IV and the responsibility of the Boards is only to provide liaison for the purpose with the employing authorities.

(b) No, Sir.

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के केरल सर्किल का दोषपूर्ण कार्यक्रम

2415. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 17 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2387 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के दोषपूर्ण कार्यकरण से संबंधित अभ्यावेदन पर कोई अंतिम निर्णय किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (ग) : सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन में केरल सर्किल के तकनीकी अधिकारियों की तैनातियों और स्थानान्तरणों के बारे में कतिपय आरोप लगाये गए थे । जिसके परिणामस्वरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केरल सर्किल की, विशिष्टतया केरल राज्य में के खनिज समन्वेषण के क्षेत्र में की, गतिविधियों में कमी हुई । आरोपों की जांच की गई है और उनको सिद्ध हुआ नहीं पाया गया है क्योंकि केरल सर्किल में काम की क्षमता को बनाए ही नहीं रखा गया बल्कि हाल ही के वर्षों में मानचित्र और खनिज समन्वेषण दोनों ही क्षेत्रों में सारवान अभिवृद्धि हुई है । हाल ही के वर्षों के दौरान, केरल सर्किल के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप कोजिकोडे जिले में लौह अयस्क की लगभग 440 लाख टन के संसाधन पालाघाट जिले में जल-निकास स्तर के ऊपर चुनाश्म की, 19 लाख टन संकेतित उपलभ्य राशियाँ और जल निकास स्तर से नीचे 97 लाख टन सम्भावित उपलभ्य राशियां अनुमानित की गई हैं । केरल में बाक्साइट अन्वेषण कार्य को उच्च अग्रता दी गई है ।

अधिकारियों की तैनातियां और स्थानान्तरण प्रसामान्यतः अधिकारियों के विशिष्टतया अन्वेषण के क्षेत्रों में अनुभव और ज्ञान की दृष्टि में रखते हुए किए जाते हैं । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र के उपमहानिदेशक और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के साथ

परामर्श करने के उपरान्त ही केरल सर्किल में तैनातियां और स्थानान्तरण किए जाते हैं।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आग लगने से हुई क्षति

2416. **श्री विजय मोदक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में अभी हाल ही में आग लगने के कारण लाखों रुपये के मूल्य के केबल तथा केबल ड्रम नष्ट हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या सरकार ने आग लगने के कारणों की कोई जांच की थी, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 4 मई 1972 को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में आग लग गई थी जिसमें केबल और केबल ड्रमों को क्षति पहुंची थी।

(ख) आग की लपेट में आये केबलों को कुल मूल्य 5 लाख रुपये है। अग्नि से बचाए गए क्षतिग्रस्त केबलों का अनुमानित मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक है। स्टोर की बिल्डिंग को लगभग 3,000 रुपये की क्षति हुई थी।

(ग) इस्पात कारखाने के महाप्रबन्धक ने आग के कारणों का पता लगाने और भविष्य के लिए प्रत्युपाय सुझाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त की थी। समिति के निष्कर्षों के अनुसार आग लगने का कारण या तो लापरवाही से फैंकी गई जलती हुई दियासलाई अथवा सिगरेट का फेंक जाना था जिससे उस क्षेत्र में सूखी घास में आग लग गयी अथवा परिणामों पर सोचे बिना निकटवर्ती क्षेत्र में तिनके जलाना था। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कारखाना समिति की विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही कर रहा है।

हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी में अतिरिक्त क्षमता का उपयोग

2417. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी के पास 15,000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त क्षमता है जो संयंत्र को बिजली न मिलने के कारण अप्रयुक्त पड़ी हुई है;

(ख) क्या अतिरिक्त क्षमता के पूरे उपयोग से राजकोष को उत्पादन शुल्क से दो करोड़ रुपये, विक्रय कर से एक करोड़ रुपये की आय होगी और आयात व्यापार में छह करोड़ रुपये की बचत होगी; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के वचन के अनुसार संयंत्र को चार पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की सप्लाई करने हेतु केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कम्पनी ने रिपोर्ट दी है कि 15,000 टन की अतिरिक्त क्षमता चालू होने के लिए तैयार है ?

(ख) ऐलुमिनियम का अतिरिक्त उत्पादन सरकार के राजस्व की अभिवृद्धि में योगदान देगा और आयात में कमी करने के समर्थ बनाएगा।

(ग) कम्पनी की अतिरिक्त क्षमता के लिए अपेक्षित विद्युत आपूर्ति विषयक मामले में केन्द्रीय सरकार ध्यान दे रही है।

हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी के उत्पादों के विक्रय मूल्य में कमी का वित्तीय प्रभाव

2418. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि बांचू समिति और प्रशुल्क आयोग ने यह स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कम्पनी में उत्पादन लागत अन्य सयत्रों की तुलना में 700 रुपये प्रतिटन अधिक है, तथापि क्या सरकार ने कम्पनी के उत्पादों के विक्रय मूल्य में 500 रुपये की कमी कर दी है जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कम्पनी के उत्पादों के विक्रय मूल्य में इस भारी कमी का क्या आधार है ;

(ग) क्या सरकार मूल्य में की गई कमी को फिर से ठीक करने पर पुनर्विचार करेगी ताकि कम्पनी बिना वित्तीय कठिनाई के कार्य कर सके और विस्तार कार्यक्रम आरम्भ कर सके; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय किया जावेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ऐल्यूमिनियम की वर्तमान नियंत्रित कीमतें, श्री एन० एन० बांचू की अध्यक्षता वाले ऐलूमिनियम के बारे में कार्यकारी दल की, जिसने अप्रैल,–नवम्बर 1970 की कालावधि के दौरान ऐलूमिनियम उद्योग की लागत संरचना का परीक्षण किया, सिफारिशों पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी दल ने यह अभिस्वीकार नहीं किया कि अन्य संयंत्रों की तुलना में हिण्डालको की लागतें 700/- रु० प्रतिटन से अधिक थी। मैसर्स हिन्दुस्तान ऐलूमिनियम निगम के कार्यकरण पर 1971 वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम यह उपदर्शित करते हैं कि ऐलुमिनियम की नियंत्रित कीमतें उनके लिए पर्याप्त मात्रा में लाभकारी हैं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते हैं।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए अधिगृहीत भूमि के स्वामियों को मुआवजा देना

2419. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **इस्पात और खान** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय तथा आदिवासी लोग बेघरबार हो गये हैं, यदि हाँ; तो कितने,

(ख) अधिकारियों ने संयंत्र के लिए अधिगृहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया है और क्या यह मुआवजा उन सभी लोगों को प्राप्त हो चुका है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था; और

(ग) क्या विस्थापित लोग बोकारो इस्पात संयंत्र में रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सुस्पष्ट योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और संयंत्र में अभी तक ऐसे कितने लोगों को रोजगार दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के लिए 3,910 एकड़ भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप लगभग 26,012 व्यक्ति विस्थापित हो गये हैं।

(ख) बोकारो इस्पात लिमिटेड ने, अब तक बिहार राज्य सरकार के प्रायोजना भूमि तथा पुनर्वास निदेशालय के माध्यम से, जो प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक भुगतान करता है, मुआवजे तथा अन्य खर्चों के रूप में 6·072 करोड़ रुपये का भुगतान किया है ।

(ग) और (घ) : इस समय विस्थापितों द्वारा बोकारो इस्पात कारखाने में नौकरी के लिए कोई संघर्ष नहीं किया गया है । नौकरी के मामले में विस्थापितों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते कि वे पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूरी करते हों । 31 अक्तूबर, 1972 तक बोकारो इस्पात कारखाने के लिए भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए 4218 व्यक्तियों को बोकारो स्टील लिमिटेड में नौकरी दी गई थी। विस्थापितों के लिए एक विशेष शिल्पी प्रशिक्षण योजना पहले से ही चल रही है जिसमें 356 व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करके बोकारो स्टील लि० में लग गये हैं तथा अन्य 107 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के वित्तीय साधन तथा क्रियाकलाप

2421. **श्री के० मालन्ना** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना की वित्तीय स्थिति क्या है;

(ख) अगले वर्ष कर्मचारी राज्य बीमा योजना द्वारा क्या-क्या कार्य आरम्भ किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या इस योजना को और अधिक लोगों पर लागू करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कर्मचारी राज्य बीमा निगम निम्न-लिखित सूचना भेजी है—

(क) गत वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान निगम की कुल आय 53·59 करोड़ रुपये थी और उसी वर्ष के दौरान कुल खर्च 51·46 करोड़ रुपये था ।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा योजना को अगले वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त औद्योगिक केन्द्रों पर लागू करने का प्रस्ताव है जिससे लगभग 3·8 लाख अतिरिक्त बीमा-शुदा जन-संख्या योजना के अन्तर्गत आ जायेगी ।

(ग) समिति, इस समय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना को रोजगार के नए क्षेत्रों पर, जिनमें मुख्यत: छोटे छोटे कारखाने, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, खानें और बागान शामिल होंगे, क्रमिक रूप से लागू करने की एक सन्दर्श योजना तैयार करने में व्यस्थत है । समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

Strike by Employees of U. N. I.

2422. **Shri Anandi Charan Das** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the employees of the United News of India had gone on hunger strike in the third week of November, 1972 against the management in support of their demand for raising the pay scales, increasing the Dearness Allowance and improving service conditions ; and

(b) if so, the action taken to settle the matter ?

The Minister of Labour and Rehabliation (Shri R. K. Khadilkar) : **(a) and (b)** : According to the Delhi Administration, 12 employees of the United News of India had resorted to a relay hunger strike for 72 hours from November 12 to November 15, 1972. As there was no

intimation to the Delhi Administration about the hunger strike or worker's demands, it has not been possible for that Administration to look into the matter.

दिल्ली के लालकिले के निकट भारत के कैण्टीन स्टोर डिपार्टमेंट के डिपो से नकद राशि का लापता होना

2423. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लालकिले के निकट भारत के कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के स्टोर से कई हजार रुपये की राशि लापता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उक्त राशि किन परिस्थितियों में गायब हुई ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी, और इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया था तथा क्या उक्त मामले की पुलिस को सूचना दी गई थी अथवा नहीं ; और

(ग) इसमें अन्तर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं, उनसे अब तक कितनी राशि बरामद की गई है; और इस मामले के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) से (ग)** : जून तथा सितम्बर 1972 के मध्य सी० एस० डी० (आई) डिपो, लालकिला, दिल्ली की रोकड़ में कुल लगभग 38,000 रुपए कम पाए गए थे । कमियों की रिपोर्ट पुलिस का दी गई थी और एक आरम्भिक विभागीय जांच की गई थी जिससे प्रकट हुआ है कि कमी का कारण दुर्विनियोजन था । मुख्य संदेह रोकड़िया पर था । उसे निलम्बित कर दिया गया है ।

आरम्भिक जांच रिपोर्ट अभी विचाराधीन है और जब पूरी हो जायगी तब इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ।

राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद के सदस्यों को प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक सप्लाई न किया जाना

2424. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मजदूर संघ परिषद् के सभी सदस्यों ने उन्हें अथवा उनके मंत्रालय को पत्र लिखकर यह विरोध प्रकट किया है कि उन्हें प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के प्रारूप की प्रतियां नहीं दी गई हैं जबकि वे अन्य सभी सम्बद्ध सगठनों को, उस पर राय लेने हेतु सप्लाई की गई है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय श्रम संगठनों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भविष्य में मार्गदर्शन हेतु मामलों को ठीक करने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) से (ग)** : राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्द मजदूर सभा ने औद्योगिक सम्बन्ध विषयक विधान के मसौदे की प्रतियों की मांग की थी । अभी तक विधेयक का मसौदा तैयार नहीं किया गया है । विधान के मसौदे को तैयार करने की प्रारंभिक कार्यवाही के रूप में, इससे सम्बन्धित प्रस्तावों को सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों में परिचालित करना रीतिगत है । ऐसा कर दिया गया है ।

कैण्टीन और स्टोर विभाग (1) की आय तथा लाभ

2425 **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में (वर्ष-बार) कैंटीन और स्टोर विभाग (1) की आय तथा लाभ और बिक्री का ब्यौरा क्या है

(ख) इन तीन वर्षों में, वर्ष-वार हुई कुल बिक्री का आय या लाभ कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या उनको पता है कि यह विभाग बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (1965 का 21) की धारा 20 के क्षेत्राधिकार में आता है;

(घ) यदि हां, तो इस विभाग के कर्मचारियों को बोनस से वंचित रखने के क्या कारण है; और

(ङ) कैंटीन और स्टोर विभाग के एक कर्मचारी द्वारा बम्बई के न्यायालय में दायर किये गए बोनस सम्बन्धी मुकद्दमे का क्या फैसला हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) गत तीन वर्षों के शुद्ध लाभ तथा बिक्री के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	बिक्री	शुद्ध लाभ
1969–70	रुपए 26,03,87,615	रुपए 1,40,85,514
1970–71	रुपए 30,20,20,921	रुपए 1,27,97,824
1971–72	रुपए 32,97,32,597	रुपए 1,40,83,250

(ख) तीन वर्षों की बिक्री पर शुद्ध लाभ का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

1969–70	5·40%
1970–71	4·23%
1977–72	4·21%

(ग) सी० एस० डी० (आई) बोनस की अदायगी के लिए बोनस अधिनियम 1965 के क्षेत्र के अर्न्तगत नहीं आता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मामले का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन सरकारी उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिकों के प्रतिनिधि

2426. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के नियंत्रण में उन सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें श्रमिक निदेशक नियुक्त किये गए हैं और इन व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(ख) यदि अब तक ऐसा नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिनमें श्रमिक निदेशक नियुक्त किये जायेंगे और निदेशक पद के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) सभी सरकारी उपक्रमों में श्रमिक निदेशक कब तक नियुक्त कर दिये जायेंगे और उनके चयन का मानदंड क्या होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) से (घ) : इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन किसी भी उपक्रम के बोर्ड में अभी तक कोई श्रमिक निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।

2. निम्नलिखित उपक्रमों में श्रमिकों के प्रतिनिधि निदेशक नियुक्त किये गये हैं :—

उपक्रम का नाम	निदेशक का नाम
1. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	1. श्री बी० चौधरी
2. राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	2. श्री कान्ता मेहता
3. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड	3. श्री कान्ती मेहता

3. इस्पात उद्योगों के लिए संयुक्त वेतन वार्ता समिति में मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि हिन्दुस्तान स्टील लि० के बोर्ड में कामगारों के दो प्रतिनिधिय लिये जा सकते हैं। उन्होंने इन प्रस्तावों को : कार्यान्वित करने हेतु अपने सुझाव भेजने का आश्वासन दिया था। उनके सुझावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

4. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में पहल करने के पश्चात् ही इस मत्रालय के अधीन उपक्रमों के बोर्ड में श्रमिक निदेशकों की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

5. श्रमिक प्रतिनिधियों के चयन के मानदंड दूसरी बातों के साथ साथ ये हैं कि वे वास्तव में उपक्रम में काम कर रहे हों और उपक्रम में कुछ न्यूनतम अवधि तक सेवा कर चुके हों और उन्हें उद्योग की कार्यकरण तथा मालिक-मजदूर सम्बन्धों के बारे में कुछ जानकारी तथा अनुभव हो।

हिन्दुस्तान लालपेठ और अन्य एककों का उत्पादन

2427. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री 3 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 609 और 610 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लालपेठ, बालारपुर सस्ती, घुघुस, न्यु मजरी में वर्ष 1960–1961 और 1971 में वार्षिक उत्पादन कितना हुआ है ?

(ख) वर्ष 1970, 1971 और 1972 में अधिक से अधिक मासिक उत्पादन कितना रहा; और

(ग) क्या न्यु मजरी ने आई: बी० आर० डी० से ऋण के रूप में उपकरणों का आयात किये बिना ही उत्पादन में 98,000 टन से 2,22,816 टन की उल्लेखनीय वृद्धि की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(टनों में)

कोलियरी का नाम	1960	1961	1971
हिन्दुस्तान लालपेठ	100493	105137	176505
बल्लारपुर	148485	151189	169304
सस्ती	145613	140369	121249
घुघास	185631	183488	308022
न्यू मजरी	35491	43270	234444

(ख) अधिकतम मासिक उत्पादन यहां उपदर्शित है :—

(टनों में)

कोलियरी का नाम	1970	1971	1972
हिन्दुस्तान	दिसम्बर	मार्च	अप्रैल
लालपेठ	16191	15774	17317
बल्लारपुर	जनवरी	दिसम्बर	जून
	24717	18483	30183
सस्ती	दिसम्बर	सितम्बर	मार्च
	14227	12270	14051
घुघास	दिसम्बर	दिसम्बर	जुलाई
	44801	30409	40137
न्यू मजरी	दिसम्बर	जनवरी	जून
	21353	25630	18327

(ग) जी, हां। न्यू मजरी कोलियरी, पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (इन्टरनेशनल बैंक फॉर रीकन्सट्रक्शन एण्ड डेबलपमेन्ट) की उधार परियोजना में भाग लेने वालों में से नहीं थी।

'इण्डियन वर्कर' में 'न्यू धर्मबद फाइन्ड्ल' शीर्षक के अर्न्तगत समाचार

2428. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'इण्डियन वर्कर' के विशेष स्वाधीनता संस्करण में 'न्यू धर्मबंद फाइण्ड्स' शीर्षक के अर्न्तगत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उसमें उल्लिखित ब्यौरा तथ्यों पर आधारित है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कोयला खान के मूल्य के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है और उसमें कितना भण्डार जमा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्रश्नाधीन मद 'भारतीय कर्मकार स्वतंत्रता रजत जयन्ती संख्या 1972' में विज्ञापन के रूप में मुद्रित किया गया है।

(ख) न्यू धर्माबन्द कोलरी के पूर्ववर्ती स्वामियों द्वारा उसमें दृष्यमानत: विशिष्टियां दी गई हैं और वह पूर्णतया तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

(ग) उस कोयला खान में कोककारी कोयला भागत: 'जी' श्रेणी और भागत: 'एच एच'' श्रेणी का है। उस कोयला खान में अधिक कर्मकारों के नियोजन के लिए कोई गुंजायश नहीं है कोयला खान की कुल उपलभ्य राशियों का अनुमान लगभग 460 लाख टन है जिसमें से लगभग 270 लाख टन निष्कर्षण योग्य मानी गई है। पूर्ववर्ती स्थायी, कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, 12·05 लाख रुपयों की राशि पाने के हकदार हैं। कोयला खान के कर-पूर्व लाभ और विक्रय के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

महाराष्ट्र में बंद खानों का पुन: खोला जाना

2429. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में बंद खानों को पुन: खोलने के लिए कोई आवेदन-पत्र मिला है,

यदि हां, तो उन खानों के नाम क्या हैं ; वे कितने वर्षों से बद थीं और उनके मालिकों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या वे संयुक्त क्षेत्र में कम्पनियाँ हैं ; और

(ग) क्या वे कम्पनियां मान्यता प्राप्त स्टाक ऐक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं अथवा वे नियंत्रित (क्लोजली हैल्ड) कम्पनियां हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) और (ख)** : कोयला बोर्ड को, महाराष्ट्र राज्य में राजूर कोलियरी को (जो पहले कूकाम कोलियरी के नाम से जानी जाती थी) जो 1957 से बन्द पड़ी है, पुनः खोलने के लिए उसके विद्यमान खनन पट्टा धारक मैसर्स राजकुमार माइनिंग एण्ड एजेन्सी (प्रा०) लिमिटेड से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। कम्पनी संयुक्त क्षेत्र में नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार को भी न्यू महाकाली कोल माइन्स वर्कर्स कोओपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, चन्द्रपुर से, बन्द महाकाली खान के समुपयोजन के लिए परियोजना के ज्ञापन के रूप में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। कोलियरी सितम्बर, 1966 से बन्द पड़ी है। खनन पट्टा धारक कम्पनी, श्री महाकाली कोल माइन्स (प्रा०) लिमिटेड को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अधीन परिसमापन का निदेश दिया गया है और शासकीय समापक नियुक्त किया गया है। कम्पनी संयुक्त क्षेत्र के अधीन नहीं है।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

खनिज रियायतों संबंधी नियम, 1960 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं के पास संपत्ति का रहन रखा जाना

2430. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री खनिज रियायतों संबंधी नियम, 1960 के अन्तर्गत वित्तीय संस्थाओं के पास सम्पत्ति को रहन रखने के बारे में 10 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1763 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 और 1972 में खनिज परामर्शदात्री निकाय ने इस मामले पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो खनिज परामर्शदात्री निकाय की सिफारिश क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां। यह प्रश्न 1970 और 1972 में खनिज सलाहकारी बोर्ड के समक्ष आया।

(ख) खनिज सलाहकारी बोर्ड की दोनों बैठकों में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई थीं।

(ग) खनन उद्योग को वित्तदान के प्रयोजनार्थ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा एक विशेष कक्ष तथा समिति गठित की गई है। समिति के प्रस्ताव को राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए निर्देशित किया गया है।

केरल में खनिज श्रोतों की खुदाई

2431. **श्री वयालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि खुदाई कार्य की वर्तमान गीत को देखते हुए केरल में उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों का एक बड़ा भाग आगामी कई वर्षों तक अप्रयुक्त पड़ा रह जायेगा।

(ख) यदि हां, तो केरल में इन स्रोतों के खुदाई कार्यों को तेज करने तथा इस कार्य को पूरा करने हेतु भारत के भू-सर्वेक्षण के केरल क्षेत्र प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) पांचवीं योजना अवधि में इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) और (ख)** : भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (केरल सर्कल) लौह अयस्क, ग्रेफाइट, चूनाश्म, चूना-खोल, भारी खनिज बालू, क्राइसोबेराइल और मिट्टी इत्यादि के विस्तृत अन्वेषण में कार्यरत है। केरल सरकार ने ग्रेफाइट, चूना खोल, समुद्र तटीय बालू, मिट्टी, लौह अयस्क और कांच बालू के समुपयोजन के लिए खनन पट्टे जारी किए हैं। उन्होंने पूर्वक्षण कार्यक्रम सूत्रबद्ध करने के लिए, जिसमें खनिजों का खनन भी सम्मिलित है, संचालन दल और कार्य दल भी स्थापित किए हैं।

खनिज उपलब्ध राशियों के समुपयोजन के लिए खनन संक्रियाएं भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की सीमान्तर्गत नहीं आती हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्यतः खनिजों के समन्वेषण मे सम्बन्धित है और इस योजनावधि के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विस्तारण के फलस्वरूप केरल सर्कल के लिए खनिज अन्वेषणों को गति को पर्याप्त त्वरित किया गया है।

(ग) पंचम योजना के लिए प्रस्तावों को अभी सूत्रबद्ध किया जाना है, अतः पंचम योजना के अधीन खनिज उपलभ्य राशियों के समन्वेषण के प्रयोजनार्थ व्यय की जाने वाली प्रस्तावित राशि को इस अवस्था में उपदर्शित करना सम्भव नहीं है।

नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के कार्य संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिश

2432. **श्री० एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रो० के० वी० सुब्रामनियम की अध्यक्षता में हाल ही में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने नीवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के असन्तोषजनक कार्य में सुधार करने के लिये विभिन्न सिफारिशें की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और उन सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां।

(ख) समिति की प्रमुख सिफारिशों और अभी तक उन पर की गई कार्रवाई को दर्शित करने वाला विवरण उपाबद्ध है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3872/72]**

इस्पात न मिलने के कारण केरल में भवन निर्माण कार्य का रुकना

2433. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि इस्पात की सप्लाई में भारी कमी होने के कारण केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ पर कुछ बड़े पुलों के निर्माण का कार्य इस समय ठप्प पड़ा है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक राज्य को इस्पात के आबंटन सम्बन्धी क्या मानदण्ड हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) सरकार को इस बात

की जानकारी नहीं है कि केरल राज्य में राष्ट्रीय राजपथ पर कुछ बड़े पुलों के निर्माण का कार्य इस समय ठप्प पड़ा है। फिर भी, यह सच है कि इस्पात की कमी है और समस्त देश में (केरल भी शामिल है) कुछ प्रायोजनाओं को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो।

(ख) वर्तमान वितरण प्रणाली के अधीन राज्यवार आवंटन नहीं किये जाते हैं। प्राथमिकता के आधार पर आवंटन आवश्यक इस्पात के अन्ततः उपयोग विशेष वर्ग की उपलब्धता तथा अन्य स्पर्धा मांगों को ध्यान में रखकर किये जाते हैं। अधिसूचना संख्या का० आ० 2753 दिनाँक 25-9-72 की एक प्रतिलिपि जिसमें इस्पात प्राथमिकता समिति के मार्गदर्शी सिद्धान्त दिये गये हैं संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3873/72]।**

भारतीय युद्ध बन्दियों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन देने सम्बन्धी प्रक्रिया

2434. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक बन्दी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा को पारिवारिक पेंशन देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती हैं;

(ख) क्या रक्षा लेखा नियंत्रक, इलाहाबाद को जुलाई, 1972 के महीने में पंजाब के अमृतसर जिले के मारे गये सैनिक बन्दियों की विधवाओं के कोई प्रार्थना-पत्र मिले थे; और यदि हाँ, तो उनके नाम व पते क्या हैं; और

(ग) क्या उनके मामलों पर विचार हुआ और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या निर्णय लिए गये ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सशस्त्र सेना के कार्मिक जब युद्धबन्दी होते हुए मर जाते हैं तो उनकी विधवाओं को रक्षा लेखा (पेन्शन) के नियन्त्रक द्वारा विशेष पारिवारिक पेंशन मन्जूर की जाती है—

(1) अफसरों के मामले में, सम्बन्धित सेवा मुख्यालय से मृत्यु सम्बन्धी रिपोर्ट और सेना सेवा के कारण मृत्यु के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के पश्चात्, और

(2) अफसर पद से नीचे कार्मिकों के मामले में, सम्बन्धित रिकार्ड आफिस से मृत्यु की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात्।

(ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जापान के प्रधान मंत्री की चीन यात्रा का प्रभाव

2435. **श्री हरि किशोर सिंह** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया की सामान्य राजनीतिक स्थिति पर जापान के प्रधान मंत्री की चीन यात्रा के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या यात्रा के उपरान्त जारी संयुक्त विज्ञप्ति के बारे में इन देशों से कोई स्पष्टीकरण मांगी है ?

विदेश मत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : जापान के प्रधान मंत्री की चीन यात्रा द्विपक्षीय सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिये थी राष्ट्रों के बीच इस प्रकार के सम्बन्धों के सुधार का सरकार स्वागत करती है। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीतिक स्थिति पर इस का क्या प्रभाव पड़ेगा–यह अभी नहीं कहा जा सकता।

(ग) जी, नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन

2436. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अलवर में एक अन्तर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन हुआ था तथा 1975 में इसी प्रकार का दूसरा सम्मेलन बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित करने का निश्चय किया गया था; और

(ख) इस सम्मेलन को सफल बनाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस सम्बन्ध में क्या अग्रेत्तर कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार इस प्रकार की गैर सरकारी बैठकों तथा सम्मेलनों के प्रचार में रुचि नहीं लेती। भारतीय प्रेस चूंकि स्वाधीन है, हमारे समाचार पत्र एवं समाचार एजेन्सियां ऐसे संगठनों की गतिविधियों का प्रभावी ढंग से प्रचार करती रही हैं।

भारतीय क्षेत्र पर स्थित 18 इनक्लेव पर पाकिस्तान का नियंत्रण

2437. **श्री धर्मराव अफ़जलपुरकर** :
श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान 1949 से युद्धविराम रेखा के भारतीय क्षेत्र पर 18 इनक्लेव का प्रशासन चला रहा है और भारत सरकार या तो इस बारे में अवगत नहीं है अथवा उनको खाली करने की मांग नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : इस मत्रालय द्वारा लोक सभा में 7 अगस्त 1968 को उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3129 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार इस बात से अवगत है कि पाकिस्तान ने पुरानी युद्ध विराम रेखा पर भारतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अतिक्रमण किया है। शिमला समझौते की धारा 4 (11) के अनुसार जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के सीमांकन के लिये भारत और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैनिक कमांडरों की बातचीत के दौरान इन अतिक्रमणों पर चर्चा की गई थी।

वेतन आयोग के समक्ष सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों तथा जवानों का मामला प्रस्तुत करना

2438. **श्री शंकर राव सामन्त** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग के समक्ष सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों और जवानों का मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी संस्था अथवा व्यक्ति को अनुमति दी गई थी और

(ख) यदि नहीं तो उनकी मांगों का उचित मूल्यांकन किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : सशस्त्र सेना के कार्मिकों को व्यक्तिगत

रूप से सीधे आयोग को ज्ञापन भेजने की आज्ञा नहीं थी। सशस्त्र सेना के अफसरों और जवानों के मामले को आयोग के समक्ष निम्न प्रकार से भेजने के लिए प्रबन्ध किये गये थे :

(1) (1) नौसेना में लगभग 5000 अफसरों और अन्यों को एक प्रश्नावली परिचालित की गई थी, उनसे प्राप्त उत्तरों का मूल्यांकन करने के पश्चात उन्हें आयोग को भेज दिया गया था;

(2) थल सेना और वायुसेना में विभिन्न स्तरों पर सैनिकों के विचार प्राप्त करने के पश्चात् कमांडों य हैडक्वाटरों में प्रस्ताव तैयार करके आयोग को भेज दिये थे;

(2) थलसेना, नौसेना और वायुसेना मुख्यालयों में विशेष एकक स्थापित दिये गये थे; प्राप्त विचारों के प्रकाश में इन एककों ने सम्बन्धित सेवाओं के लिये प्रस्ताव बनाये और इन प्रस्तावों को आयोग को भी भेज दिया गया था,

(3) तीनों सेवाओं के प्रस्तावों की जांच चीफ आफ स्टाफ के निर्देशन में तीन वरिष्ठ सैनिक विशेषज्ञों से युक्त एक विशेषज्ञ एकक (एक्सपर्ट सैल) ने की और उन्होंने अपने समाकलित प्रस्तावों से युक्त एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट (दो भागों में) आयोग को भेज दी गई थी;

(4) आयोग ने कई रक्षा स्थापनाओं के दौरे किये और इन दौरों के दौरान स्थानीय कमांडरों तथा अन्य अफसरों और जवानों के साथ औपचारिक चर्चा की;

(5) इसके अतिरिक्त तीनों सेनाओं के चीफ आफ स्टाफ और प्रिंसिपल पर्सानल अफसरों ने व्यक्तिगत रूप से आयोग को अपने विचार दिये।

हुगली डाकिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करना

2439. **श्री निदेश जोरदर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हुगली डाकिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों का फरवरी, 1972 से उनके वैध देय राशि तथा वेतनों का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार मई, 1972 से कम्पनी के कर्मचारियों को वेतन नियमानुसार समय पर नहीं दिये गये थे। राज्य श्रम मंत्री की मध्यस्थता के फलस्वरूप कर्मचारियों को कुछ भुगतान पहले ही कर दिये गये हैं और कर्मचारियों को वेतन आदि की देय राशियों के भुगतान पहले ही कर दिये गए हैं, और वेतन आदि की देय राशियों का भुगतान कर्मचारियों को करने का निदेश प्रबन्ध-मण्डल को दिया गया है, जिसके पूरा न करने पर, वेतन भुगतान अधिनियम के अधीन प्राधिकारी के समक्ष अप्रदत्त वेतन की वसूली हेतु आवेदन-पत्रों को दायर करना होता है। कम्पनी, जो कि एक छूट प्राप्त प्रतिष्ठान है, भविष्य निधि अंशदानों और अन्य देयराशियों को अप्रैल, 1972 से प्रबन्ध मण्डल के न्यासियों के बोर्ड को हस्तान्तरित न करने में भी दोषी है, (3·63 लाख रुपये की राशि के ऋणों की वापसी को सम्मिलित करते हुए) जून, 1972 तक बकाया राशि 14·65 लाख रुपये होती है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन उपयुक्त कानूनी कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। कर्मचारी राज्य बीमे की ओर बकाया देय राशि 2·53 लाख रुपये है, जिसमें से 1·94 लाख रुपये को वसूल करने हेतु कानूनी कार्यवाही पहले ही की जा

चुकी है। शेष राशि के लिये कानूनी कार्यवाही अभी उचित नहीं है, लेकिन कारण बताओ नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

कोयला खनन की रामगढ़ परियोजना को आरम्भ करने में विलम्ब

2440. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के हजारीबाग जिले में कोयला खनन की "रामगढ़ परियोजना" आरंभ की गई थी तथा वहां कई वर्ष पूर्व आवास क्वार्टर, विश्राम गृह, भण्डार, क्लब, कैंटीन और बगीचे बनाये गए थे;

(ख) क्या बहुत से ढ़ाल (इन्क्लाइन्स) भी आरम्भ किए गए थे और गांवों वालों से परियोजना क्षेत्र के अधिग्रहण के पश्चात्-परियोजना अधिकारी तथा कर्मचारी भी नियुक्त किये गए थे ;

(ग) क्या वास्तविक खनन कार्य आरम्भ नहीं हुआ है और अनधिकृत ठेकेदार कोयले की भारी मात्रा में चोरी कर रहे हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और खनन कार्य कब आरम्भ होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) 1963 में जब कुछ आवासीय क्वार्टर, विश्राम गृह और कर्मकारों का संस्थान निर्मित किए गए थे, रामगढ़ प्रायोजना में प्रारम्भिक संक्रियाएं आरम्भ की गई थी। न तो किसी स्टोर भवन अथवा जलपान गृह (कैन्टीन) का निर्माण किया था और न ही कोई उद्यान विकसित किए गए थे।

(ख) और (ग) : तथापि, कोयले की मांग में पुर्वानुमानित वृद्धि न होने के कारण तदनन्तर खनन संक्रियाएं प्रारम्भ न हो सकी। प्रारम्भिक चरण में एक प्रायोजना अधिकारी और कुछ न्यूनतम स्टाफ नियुक्त किया था परन्तु खनन संक्रियाओं के आरम्भ न होने के कारण बाद में सुरक्षा रक्षकों को छोड़कर इन समस्त व्यक्तियों को वापिस ले लिया गया। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सम्पत्ति पर कोई अनाधिकृत खनन कार्य नहीं किया जा रहा है।

(घ) रामगढ़ प्रायोजना, बोकारो इस्पात संयंत्र को जिसकी मांग में प्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई, पोषित करने के लिए खोली गई थी। तथापि, माँग की स्थिति में सुधार के साथ, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने खण्ड में खानों का खोला जाना प्रस्तावित किया।

विदेशों में स्थित होल्डिंग कम्पनियों के बारे में अध्ययन दल का प्रतिवेदन

2441. **श्री आर० पी० उलगनस्वी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के एक दल ने इटली तथा स्वीडन में नियंत्रक कम्पनियों के संचालन का अध्ययन करने के लिये उन देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) क्या तत्संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां।

(ख) दल ने इन देशों में होल्डिंग कम्पनियों के ढांचों और उनके कार्यकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की है।

(ग) जी, नहीं।

Supply of Arms to Pakistan and India by America

2442. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of America have stopped the arms supply to both Pakistan and India ;

(b) the quantum of assistance received by India in comparison to Pakistan ; and

(c) whether Government of India have requested America to resume this assitance ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The U.S. Government announced stoppage of supply of arms to Pakistan on November 8, 1971. An embargo on export of arms to India was imposed by the U.S. Government on December 1, 1971.

(b) While Pakistan has beeen receiving substantial military assistance from the United States since 1954, India has received some arms aid from the United States during 1962-65. The U.S. arms assistance to Pakistan has been computed at U.S. 2,000 million : the value of stores and equipment received by India during 1962-65 is U.S. 76 million.

(c) No, Sir.

विभिन्न देशों से पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र

2443. **श्री सनर गुह** :

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के उपरान्त पाकिस्तान को चीन, अमरीका, रूस, ईरान तथा अन्य देशों से शस्त्रास्त्र तथा अन्य सैनिक उपकरण प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान गत युद्ध में भी सैनिकों तथा शस्त्रास्त्रों के रूप में हुई हानि को पहले ही पूरा करने में तथा गत दिसम्बर युद्ध से पूर्व युद्ध करने की अपनी क्षमता से ऊंचे स्तर पर बढ़ाने में सफल हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) : दिसम्बर 1971 में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात्, पाकिस्तान हथियारों और उपस्करों के अपने नुकसान को पूरा करने का प्रयत्न कर रहा है। इस मामले में उसने चीन और पश्चिम एशिया के कुछ देशों से सहायता प्राप्त की है। पाकिस्तान कुछ नई विरचनाएं खड़ा करने की कार्रवाई भी कर रहा है तथापि, सरकार के पास उपलब्ध सूचना को प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों का हमारी सुरक्षा पर प्रभाव और रक्षा तत्परता का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

भारत में एशिया प्रतिष्ठान के क्रिया कलापों पर रोक

2444. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में एशिया प्रतिष्ठान के क्रियाकलापों पर किन कारणों से रोक लगा दी गई थी ;

(ख) उनके क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है तथा एशिया प्रतिष्ठान से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित संस्थानों तथा संगठनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) एशिया प्रतिष्ठान तथा इस प्रतिष्ठान द्वारा वित्तीय सहायता अथवा सहयोग प्राप्त अन्य संगठनों के क्रियाकलापों से साभान्वित कितने भारतीय अमरीका में हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 1967 में यह पता चला कि एशिया फाउन्डेशन को गैर-सरकारी अमरीकी संस्थानों एवं ट्रस्टों के माध्यम से सी० आई० ए० धन

देता है । संस्थान से कहा गया था कि वह भारत से अपनी कार्रवाई समाप्त करे । एशिया फाउन्डेशन ने जुलाई, 1968 से भारत स्थित अपने कार्यालय बन्द कर दिए हैं ।

(ख) और (ग) : इस सबंध में हमारे पास जो कुछ सूचना है उसे प्रकट करना उचित नहीं होगा ।

Expenditures on Pak POWs.

2445. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri M. C. Daga :

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 646 on the 16th November, 1972 and state :

(a) whether Pakistan is liable to pay the amount of expenditure incurred on the Pak POWs; and

(b) India's proposal in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : **(a) and (b)** : Under the Geneva Convention, maintenance and medical facilities have to be provided free of charge. However, the Convention provides that monthly advance of pay given to the Military and para-military personnel can form part of arrangements that may be arrived at between the parties to the conflict. This matter will be taken up when the general repatriation of Prisoners of War is discussed.

हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय नौसेना बल का सुझाव

2446. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित "इंडिया एण्ड दि वर्ल्ड" नामक पुस्तक की ओर दिलाया गया है जिसमें भूतपूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल ए० के० चटर्जी ने हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय नौसेना बल गठित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् ।

(ख) हिन्द महासागर में अन्तर्राष्ट्रीय नौसेना बल के सुझाव पर सरकार को कोई टिप्पणी नहीं करनी है । हिन्द महासागर को तनाव रहित तथा आणविक शस्त्र रहित क्षेत्र रखने के बारे में सरकार के विचारों की आमतौर पर पूरी जानकारी है और वे कई बार सभा में व्यक्त किये जा चुके हैं ।

अभ्रक के उत्पादन में गिरावट

2447. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय से अभ्रक के उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है और 1971 के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार देश में अभ्रक के निक्षेप समाप्त हो रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : **(क) और (ख)** : भारत में अपरिष्कृत अभ्रक के उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में गिरावट हुई है । 1971 के दौरान बिहार और राजस्थान ने गिरावट को प्रतिवेदित किया है जबकि आंध्र प्रदेश ने उत्पादन में वृद्धि को दर्शित किया है । अलाभदायकता, भारी और लगातार वर्षा, मशीनरी का निष्फल कार्यकरण और कुछ खानों

का अस्थायी बन्दी होना ऐसे कारण हैं जो खान स्वामियों द्वारा बिहार और राजस्थान में उत्पादन में गिरावट के लिए बताए गए हैं। उत्पादन में गिरावट देश में निक्षेपों के निःशेषण का सुझाव नहीं देता है।

Flight Recorders for Aircraft of Indian Air Force

2448. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**
Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the Indian Air Force possesses various types of aircrafts ;

(b) whether Flight Recorders have not been fitted in several aircraft;

(c) if so, the types and number of such aircrafts as also the reasons therefor; and

(d) the steps taken for the modernisation of the aircraft ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (d) : The I A F aircraft which are not fitted with Flight Recorders are those in which provision for the same does not exist. Flight Recorders are not needed for all flights; nor is it possiole to fit them to all types of aircraft.

विद्युत की कमी के कारण खनन उद्योग को हानि

2449. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की कमी के कारण खनन उद्योग को काफी हानि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) और (ख)** : बिहार राज्य में स्थित कोयला खनन उद्योग और भारतीय ताम्र संकुल ने बार-बार बिजली की खराबी और उसके भार में उतार-चढ़ाव के कारण उत्पादन-ह्रास का सामना किया, जिसकी सीमा नीचे दी जाती है :

भारत कोकिंग कोल	:	5 से 10% तक
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	:	12 से 15% तक
भारतीय ताम्र संकुल	:	अगस्त, 72 में अयस्क उत्पादन में 80,000 लाख टन और धातु उत्पादन में से 5000 लाख टन।

मामला सिंचाई और विद्युत मंत्री और बिहार सरकार के साथ उठाया गया है ताकि उत्पादन-लक्ष्य को बनाए रखने के लिए नियंत्रित और पर्याप्त विद्युत-आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

Central Grant ro Bihar Government for Development of non-coking Coal Mines

2450. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have demanded any grant from the Centre for the development of non-coking coal mines in Santhal Pargana and certaina other areas; and

(b) whether the Central Government have sanctioned the above grant ; and if so, the amount thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

फिलस्तीनी छात्रों द्वारा अरब मिशन को कब्जे में लेना

2451. **श्री के० लकप्पा** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलस्तीनी छात्रों ने दिल्ली स्थित अरब मिशन को कब्जे में ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फिलस्तीनी छात्रों द्वारा की गई उस कार्यवाही की भर्त्सना की है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) : 27 अक्तूबर 1972 को कुछ फिलिस्तीनी छात्रों ने नई दिल्ली के अरब राज्य लीग कार्यालय के अहाते पर अधिकार कर लिया/ अरब लीग कार्यालय ने पुलिस को, जो वहां तैनात थी, सूचना दी कि कार्यालय सामान्य ढंग से चल रहा है और उन्हें छात्रों के विरुद्ध जो शांतिपूर्ण ढंग से व्यवहार कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। छात्रों ने 3 नवम्बर को अहाता खाली कर दिया। इन परिस्थितियों में सरकार के लिये कोई कार्रवाई जरूरी नहीं थी।

हिन्दी दैनिक "विश्वमित्र" पटना

2452. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी दैनिक विश्वमित्र (पटना) मजूरी बोर्ड के निर्णयों, बोनस अधिनियम, 1965 और मंहगाई भत्ते के निर्णयों को क्रियान्विति नहीं कर रहा है और अपने कर्मचारियों को साप्ताहिक तथा अर्जित छुट्टियां देने से इंकार कर रहा है; और

(ख) क्या श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम का उल्लंघन कर इसने ठेका पद्धति को फिर से अपनाना आरम्भ कर दिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

सेवा निवृत्ति प्राप्त सैनिक कर्मचारियों की वार्षिक औसत संख्या

2453. **पी० श्री गंगादेव** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में सेवा निवृत्ति पाने वाले सैनिक कर्मचारियों की वर्षवार औसत संख्या क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : गत तीन वर्षों (1969, 1970 और 1971) के दौरान सेवानिवृत/सेवामुक्त सैनिकों की औसत संख्या 55,380 थी।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची, में एक गढ़ाई प्रेस खोलना

2454. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची, के ढलाई घर में 2 अक्तूबर, 1972 को एक गढ़ाई प्रैस खोल दिया गया है;

(ख) क्या यह एशिया में स्थापित किए गए प्रैसों में सबसे भारी होगा, यदि हां, तो इसकी विकास क्षमता क्या होगी; और

(ग) क्या देश में विभिन्न उद्योगों को हल्की मध्यम तथा भारी गढ़ाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ढलाई घर पूर्ण तथा सक्षम है, यदि हां, तो उसकी विशेष बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) एशिया के अन्य देशों में इस प्रकार के प्रेसों के बारे में आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण यह कहना कठिन है कि यह प्रेस एशिया में सबसे भारी प्रेस है । जब यह प्रेस सम्बद्ध उपस्करों और विभिन्न उत्पादन सुविधाओं से पूरी तरह युक्त होगा तो इसकी क्षमता 7500 टन प्रति वर्ष तक हो सकती है । इसमें प्रतिवर्ष 3000 टन धातु पिण्ड को दबाकर चौड़ाई में कम और मोटा करने की भी क्षमता है ।

(ग) ढलाई कारखाने की ढलाईशाला में प्लेन कार्बन और मिश्र इस्पात के 1·5 से 90 मी० टन वजन के टुकड़े के शाफ्ट और गोलाकार में 1 से 30 मी० टन वजन के टुकड़े की गढ़ाई की जा सकती है ।

कलकत्ता में 'हिन्डलको' कार्यालय को पुनः खोलना

2455. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बिड़ला समवाय समूह के अधिकांश कार्यालय को दो वर्ष से भी अधिक समय तक बंद रहने के बाद पुनः खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका सहयोग वाली बिड़ला बन्धुओं के अधीन एक बड़ी कम्पनी 'हिन्डलको' ने कलकत्ता में अपने कार्यालय को पुनः न खोलने का निर्णय किया है जो कि बंद होने से पूर्व इसका प्रधान कार्यालय अथवा मुख्य कार्यालय हुआ करता था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेंगी ।

श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में संशोधन

2457. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सरकार से यह सिफारिश की है कि वह श्रमजीवी पत्रकार मजूरी बोर्ड पंचाट को क्रियान्वित करने में असफल हुए समाचार पत्रों के दोषी मालिकों के विरुद्ध कैद का उपबन्ध करने के लिए श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम में समुचित संशोधन करें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Central Approval for Sponge Iron Plant in Haryana

2458 Shri Narendra Singh : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state ;

(a) whether the Central Government conveyed their approval to Haryana Industrial Development Corporation regarding the manufacture of sponge iron;

(b) if so, the time by which the Plant is likely to commence production and the capacity thereof; and

(c) whether Government propose to set up similar projects in other States also; if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) & (b) : The Haryana State Industrial Development Corporation have been issued a Letter of Intent on 15th September, 1972 for setting up a new industrial undertaking for the manufacture of 1,00,000 tonnes (per annum) of Sponge Iron. A Letter of Intent does not normally stipulate a time-limit for commissioning of the plant. It is expected that the applicant would take effective steps to implement the project as quickly as possible.

(c) In addition to this, five more proposals of the State Industrial Development Corporation of Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra. Orissa and Andhra Pradesh have also been approved.

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड की भर्ती समिति

2459. **श्री जी वाई कृष्णन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारत इलेक्ट्रोनिक्स को इस आशय का परिपत्र भेजा है कि नियुक्तियां करते समय भर्ती समिति में राज्य-सरकार का एक अधिकारी भी होना चाहिए; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे के सबध में भी सुझाव दिए हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमन्, सार्वजनिक क्षेत्र के सब रक्षा उपक्रमों को जिसमें भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड भी शामिल है, यह सलाह दी गई है कि वे अपने उपक्रमों में भर्ती के सबंध में गठित होने वाली चयन समितियों या भर्ती बोर्डों में राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि को सम्मिलित करें। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में रोजगार देने के संबंध में स्थानीय जनता को भर्ती के दावे पर समुचित ध्यान रखा जाये।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के सब रक्षा उपक्रमों को जिसमें भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड भी शामिल है, निदेश जारी कर दिए गए हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को नियुक्तियों/पदोन्नतियों के लिए क्रमश. रिक्त स्थानों को आरक्षित करने तथा शिथिल किए गए मानकों को लागू किया जाय। इन निदेशों की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(i) अनुसूचित जातियों/जनजातियों को भर्ती/पदोन्नत करते समय इन जातियों के लोगों के लिए सरकार के अन्तर्गत नियमानुसार आरक्षित किया जाय तथा विशेष रूप से विचार किया जाये।

(ii) तदर्थ विशेष भर्ती जो केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए सीमित हो तीन वर्षों के दौरान 1971 से 1973 तक इस शर्त के साथ की जाए कि किसी भी भर्ती वर्ष में कुल आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या से उस वर्ष में उन वर्गों के कुल भर्ती का 45% से अधिक न हो।

(iii) प्रारम्भिक जांच में तथा अंतिम चयन में तथा न्यूनतम अनुभव के लिए मानकों में समुचित शिथिलन किया जाए ।

(iv) भर्ती के लिए विज्ञापनों में कुल रिक्त स्थानों के साथ अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या को स्पष्टतया बताया जाए ।

(v) अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उपयुक्त अफसर को भर्ती या पदोन्नत के लिए चयन समितियों/साक्षात्कार बोर्डों में यथा संभव शामिल किया जाये ।

(vi) उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के मामलों को जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया है उनका पुनरीक्षण उस उपक्रम की उच्चतर चयन समिति या प्राधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए ।

(vii) जहां आवश्यक हो संबंधित व्यवसायों या विद्या विशेष में जहां उपयुक्तता या अनुभव को शिथिल किए गए मानकों के आधार पर चयन किया गया है अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये ।

तथापि उपर्युक्त निदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए ही केवल लागू होंगे और यह निदेश "पिछड़ी जातियों" पर उसी रूप में लागू नहीं होंगे ।

Labourers Benefited by Minimum Bonus

2460. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the total number of labourers benefited so far during the year 1971-72 by raising the rate of minimum bonus to the labourers and the total amount paid as bonus in cash;

(b) whether the labourers of public and private undertakings running in loss are also included; and

(c) if so, the number thereof and the names of such undertakings ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) The information is not available.

(b) The increase is applicable to all establishments whether in the private sector or the public sector, which are covered by the Payment of Bonus Act, 196. Establishments in public sector which are excluded from the Act by virtue of provisions in Section 20 thereof have been asked to make payments ex-gratia.

(c) Information is not available.

Complaints Regarding Difficulties Faced by Industries Due to Increased Bonus

2461. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state .

(a) whether Government have received complaints from any industry regarding the difficulties faced by it due to the increased rate of bonus ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) : A number of representations have been received from different quarters against the increase in minimum bonus. The possibility of such representations was taken into account before the Ordinance increasing minimum bonus was promulgated.

देश में सैनिक शिविर स्थल

2462. **श्री जे० जी० कदम** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में ऐसे सैनिक शिविर स्थल हैं (मिलेट्री केम्पिग ग्राउंड्ज) जिन्हें प्राचीन दिनों में शिविर (केम्पिग) उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार क्षेत्रफल कितना है और अब उनका क्या उपयोग है जबकि सेना रेलगाड़ियों द्वारा प्रस्थान करती है; और

(ग) क्या उक्त शिविर स्थल आवेदन करने पर शिक्षा संस्थाओं को दिये जायेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) **और (ख)** : हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 6941·11 एकड़ भूमि में शिविर स्थल हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। शिविर स्थलों में से बहुत से अब भी शिविर कार्य के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं जबकि अन्य स्थलों को प्रशिक्षण तथा कवायद के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(ग) रक्षा आवश्यकता का विचार कर शिविर स्थलों की भूमि के लिए शिक्षा अथवा अन्य कल्याण संस्थाओं के अनुरोधों पर विचार किया जायेगा।

विवरण

क्र० सं	राज्य/सघ शासित क्षेत्रों के नाम	एकड़ों में लगभग क्षेत्र
1	पंजाब	1938·49
2	हरियाणा	745·68
3	हिमाचल प्रदेश	33·77
4	उत्तर प्रदेश	2687·78
5	बिहार	234·5
6	मध्य प्रदेश	178·88
7	पश्चिम बंगाल	275·80
8	महाराष्ट्र	318·13
9	असम	31·48
10	गुजरात	19·80
11	दिल्ली का संघ शासित क्षेत्र	9·63
12	जम्मू व कश्मीर	44·42

चीन-भारत सम्बन्ध सुधारने के लिए ब्रिटिश प्रयत्नों का समाचार

2463. **श्री गिरिधर गोमांगो** :

श्री समर गुह :

क्या **विदेशी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन-भारत संबंध सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सहायता करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या ब्रिटिश सरकार का यह प्रस्ताव सर ऐलक डगलस ह्यूम को चीन यात्रा के बाद किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत और चीन के एक दूसरे की राजधानी में राजनयिक मिशन हैं और भारत का यह

विश्वास है कि सम्बधों को सामान्य बनाने या सुधारने के लिए द्विपक्षीय बातचीत ही सर्वोत्तम तरीका है ।

हिन्द महासागर में कोयला निक्षेप

2464. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर में वह ठीक स्थान कौन सा है जहां कोयले के निक्षेप हैं;

(ख) क्या अग्रेतर सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ग) क्या इसकी खोज स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन आफ ओशियनोग्राफी एण्ड ग्लोवल पेरीन इनकारपोरेशन द्वारा की गई है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका विज्ञान प्रतिष्ठान के लिए कार्य करता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) से (ग)** : जहां तक सरकार की जानकारी है, अभी तक हिन्द महासागर में कोई कोयला निक्षेप अवस्थित नहीं किए गए हैं ;

निर्यातोन्मुख उद्योगों के लिए इस्पात का आयात

2465. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री एस० ए० मुखानन्तम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी निर्यातोन्मुख उद्योगों की इस्पात की आवश्यकतायें आयात से पूरी की जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो क्या बड़ी मात्रा में इस्पात की आयात की व्यवस्था की जायेगी ताकि किसी भी उद्योग को हानि न हो, और

(ग) क्या इस कार्य के लिए पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा देने के लिए केन्द्रीय सरकार सहमत हो गयी है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) सरकार की यह कोशिश रही है कि सभी निर्यातोन्मुख उद्योगों की इस्पात की आवश्यकतायें या तो देशीय उत्पादन तथा/अथवा आयात द्वारा पूरी की जायें । रजिस्टर्ड निर्यातकों को आयात किए गये इस्पात की सप्लाई के लिए 18 अप्रैल, 1972 से एक योजना भी चलाई गई है, ताकि वे ऐसे निर्यात आर्डरों को पूरा कर सके, जो देश में अपेक्षित मात्रा में इस्पात उपलब्ध न होने के कारण रुके पड़े थे ।

(ख) और (ग) : हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा प्रोजेक्ट इंक्विपमेंट कारपोरेशन ने 1,07,200 टन इस्पात के आयात के लिए पहले ही व्यवस्था कर दी है । इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त आयात के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा दी जायेगी ।

पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नकद राहत

2466. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के संघर्ष में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नकद राहत देने की योजना सरकार ने तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन शरणार्थियों की तदर्थ अंतरिम राहत देने का निर्णय किया था जिन्होंने अपनी हानि की सूचना दे दी थी और क्लेम दाखिल कर दिये थे; यदि हाँ, तो क्लेम भेजने वालों को कुल कितनी अन्तरिम राहत दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर के० खाडिलकर) : (क) से (ग) : जी, नहीं। 1965 के संघर्ष के दौरान आए शरणार्थियों को नकद राहत देने की कोई योजना सरकार ने तैयार नहीं की है, इसलिये इसके बजाय उन्हें नकद अनुदान/भरण पोषण भत्ता दिया गया था। तथापि, 1965 के संघर्ष में पाकिस्तान से आए प्रवासी, जिन्होंने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली है, भारत सरकार के अनुग्रह पूर्वक अनुदान के रूप में तदर्थ अन्तरिम राहत देने के निर्णय के अन्तर्गत आते हैं जिसके अनुसार, जिन भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय कम्पनियों के मालिकों के पास सितम्बर, 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान और उसके बाद पाकिस्तान सरकार द्वारा उनकी अधिग्रहीत सम्पत्तियों के सत्यापित दावे हों और जिन्होंने भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक को अपनी हानियां अधिसूचित करदी हों और दावे दाखिल कर दिये हों, उन्हें उनके सत्यापित दावों के मूल्य का 25 प्रतिशत अनुग्रह पूर्वक अनुदान के रूप में दिया जाये। भुगतान बंधपत्र (बाँड) भराकर किया जाता है और राशि की सीमा प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपये है। इस सीमा से अधिक राशि के मामलों में गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लिया जाता है।। अब तक अनुग्रह पूर्वक अनुदान के रूप में विभिन्न दावेदारों को तदर्थ अन्तरिम राहत के अन्तर्गत 1,97,43,882/- रुपये की राशि बांटी जा चुकी है।

हरियाणा में लौह अयस्क के निक्षेपों का पता लगाना

2467. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरयाणा में 1,00,000 टन की वार्षिक क्षमता के लौह अयस्क के अपार निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क में लोहा कितने प्रतिशत होगा; और

(ग) क्या लौह अयस्क के अलावा, दो दर्जन अन्य खनिजों की किस्मों का भी पता लगाया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और हरयाणा सरकार द्वारा किये गये अन्वेषणों ने दो पृथक पट्टियों में लौह अयस्क के प्राप्ति स्थल अर्थात् प्रथम नागलिया से धजोरा तक और दूसरा धनोटा से धन्चोली तक उपदर्शित किये हैं। हाल ही में हरयाणा सरकार ने 46 से 69% लौहांश युक्त लौह अयस्क की कुल चालीस लाख टन की उपलब्ध राशियाँ अनुमानित की हैं।

(ग) लौह अयस्क के अतिरिक्त, हरयाणा में विभिन्न स्थानों में चूनाश्म और डोलोमाइट चूनाश्म के पर्याप्त निक्षेप और साल्टपीटर, संगमरमर, ग्रेफाइट, गैरिक और स्लेट के कुछ आर्थिक महत्व वाले प्राप्ति स्थल अवस्थापित किये गये हैं। इनके अतिरिक्त बेराइट्स, अभ्रक, पाइराइट,

क्वाट्ज, आरसेनापाइराइट, एसबेस्टास, वेरिल, केल्साइट, फेल्सपार, गारनेट, केनाइट, मैंगनीज अयस्क, स्ट्रोलाइट इत्यादि के भी लघु प्राप्ति स्थल अवस्थापित किये गये हैं।

आल इण्डिया एम्प्लाइज प्राविडेंट फन्ड स्टाफ फैडरेशन की मांगों की जांच करने के लिए उप-समिति

2468. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यासधारियों के केन्द्रीय बोर्ड ने आल इण्डिया एम्प्लाईज प्रोविडेंट फण्ड स्टाफ फैडरेशन की माँगों की जांच करने के लिए एक उप-समिति बनाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त समिति किस तारीख को बनायी गयी थी और इसको अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं तथा समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी हाँ।

(ख) 11-5-1972 को हुई कर्मचारी भविष्य निधि के न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक में, उनके द्वारा समिति का गठन किया गया था। समिति की पहली बैठक 27 और 28 नवम्बर, 1972 को हुई थी। भविष्य निधि प्राधिकारियों से आगामी रिपोर्ट प्रत्याशित है।

प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू करने की तिथि में परिवर्तन

2469. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला मांझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्तों को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसे प्रतिष्ठानों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम लागू होने की तिथि निश्चित करें जो ऐसे उद्योग की अनुसूची में शामिल हैं जिस पर उक्त अधिनियम लागू होता है;

(ख) क्या ऐसे भी मामले हैं जिनमें अधिनियम लागू होने की तिथि को एक बार निर्धारित करके बाद में स्वयं क्षेत्रीय आयुक्तों द्वारा अपने अधिकारों के अधीन बाद की तारीख को बदल दिया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में अधिनियम लागू होने की मूल तारीख तथा परिवर्तित तारीख सहित क्षेत्रवार ऐसे मामले कितने हुए और क्या अधिनियम लागू होने की तिथि में ऐसे परिवर्तन के औचित्य की जाँच करने के लिए संगठन के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा कोई नियंत्रण रखा जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने इस प्रकार सूचित किया है :

(क) जो कारखाने/प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों द्वारा प्रेरित होते हैं, उन्हें अधिनियम की धारा 1 और 16 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाता है। अधिनियम के अन्तर्गत लाने की तारीख का निर्धारण तदनुसार किया जाता है और अधिनियम में की गई व्यवस्था के सिवाय किसी प्राधिकारी को कोई अन्य शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

(ख) कई बार, कारखानों/प्रतिष्ठानों को तुरन्त उपलब्ध सूचना/आंकड़ों के आधार पर विशेष तारीख (1) से अस्थायी रूप में अधिनियम के अन्तर्गत लाया जाता है। आगे जाँच करने और सम्बन्धित प्रतिष्ठानों/कारखानों या अन्य सूत्रों से और अधिक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे कुछ मामलों में, यदि आवश्यक समझा जाये तो, अधिनियम के अन्तर्गत लाये जाने की तारीख/तारीखें बदल दी जाती है/हैं।

(ग) सूचना, इस समय, उपलब्ध नहीं है। तथापि, संगठन के केन्द्रीय कार्यालय की ओर से किसी नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मूल सूचना केवल प्रादेशिक कार्यालय में ही उपबन्ध होती है और प्रादेशिक आयुक्त को अधिनियम और योजना के उपबन्धों का दृढ़ता से पालन करना पड़ता है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सतर्कता की व्यवस्था

2470. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री भोला माँझी :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रभावी सतर्कता की व्यवस्था विद्यमान नहीं है;

(ख) क्या संगठन के अधिकारी प्रति मास भविष्य निधि के दावों और लाखों रुपये की अग्रिम राशियाँ देने के हजारों मामले निपटाते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उक्त संगठन में विशेषकर मुख्यालय के कार्यालय में सतर्कता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :

(क) केन्द्रीय कार्यालय में एक सतर्कता कक्ष है, जो सम्पूर्ण संगठन के सतर्कता सम्बन्धी मामलों का प्रभारी है। विद्यमान सतर्कता व्यवस्था की कार्य-प्रणाली ने, समय-समय पर कार्यवाही करने के लिए अपेक्षित सतर्कता कोण रखने वाले मामलों के प्रति किसी कमी को नहीं दर्शाया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) उत्तर के भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के चेयरमैन के निजी कर्मचारियों (पर्सनल स्टाफ) को मानदेय

2471. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम विभाग के सचिव, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पदेन चेयरमैन हैं, के साथ संबद्ध प्राइवेट सैक्रेटरी और पी० ए० को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मानदेय दिया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्तशासी संगठन बोर्डों में नियुक्त सरकार के अधिकारियों के निजी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अन्तर्गत अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकता है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : कर्मचारी भविष्य निधि

और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 5-क (1) के अन्तर्गत, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग को कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे बोर्ड के पदेन अध्यक्ष नहीं हैं। सचिव के निजी सचिव और निजी सहायक को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा, उनके सामान्य कामों के अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि का कार्य करने के लिए कुछ फीस दी जाती है। इस प्रकार के भुगतान नियमों के अन्तर्गत अनुमत हैं।

भारतीय हथियारों तथा गोलाबारूद का निर्यात

2472. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-निर्मित हथियारों तथा गोलाबारूद का कुछ देशों को निर्यात किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मूल्य के माल का निर्यात किया गया ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ श्रीमन्। गत कुछ वर्षों के दौरान कुछ मित्र देशों को वाणिज्यक आधार पर सेना उपकरणों का निर्यात किया गया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी बिक्री के बराबर निम्नांकित विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया है :

1969-70	1970-71	1971-72
	(लाख रुपयों में)	
77·68	20·38	32·49

अधिक और प्रकट करना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

Production of Iisco After Take Over by Government

2473. **Shri Shrikrishan Agarwal :**
Shri B. S. Bhaura :

Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) the extent to which production has increased in Indian Iron and Steel Company after its take-over by Government ; and

(b) whether the production during the corresponding period of the last year was less as compared to this year and if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : The management of the Indian Iron and Steel Company has been taken over by Government with effect from the 14th July 1972. The production of ingots and saleable steel of the company during the period from July to October 1972 has been as under :—

(In Tonnes)

Month	Ingots	Saleable Steel
July	23,790	16,899
August	39,219	29,150

September	40,082	33,274
October	42,860	39,234

It will be seen from the above that production has increased after take-over.

(b) No, Sir.

China biggest Manufacturer of Jet Fighter Aircraft in the World

2474. **Shri Shrikrishan Agarwal** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have the information that China is the biggest manufacturer of Jet powered Fighter aircraft in the world :

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) the steps being taken by Government in this direction ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) to (c) : Government have seen information to this effect but it has not yet been possible to verify its varacity. The expansion of the Chinese combat aircraft factories is taken into account while determining our plans for defence preparedness.

सोवियत प्रचार माध्यमों द्वारा जम कर भारत की कथित आलोचना

2475. **श्री पीलू मोदी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 अगस्त के 'मार्च आफ दि नेशन' साप्ताहिक में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सोवियत संघ के विभिन्न प्रचार माध्यम जम कर भारत की आलोचना कर रहे हैं; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) 5 अगस्त 1972 के 'मार्च आफ दि नेशन' साप्ताहिक के मूल्यांकन से सरकार सहमत नहीं है ।

Missing Indian Newsmen seen on Pakistan Television

2476. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Madhu Dandavate :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item appearing in the Daily 'Motherland' published from Delhi dated the 4th November, 1972 under the heading 'Missing Indian Newsmen seen on Pakistan Television; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The fact that the journalists were seen on Pakistan Television has been corroborated by independent observers which shows that the Pakistan Government knew their whereabouts and yet Pakistan has chosen to ignore approaches made on their behalf by the Government of India and the International Press Institute. As stated on the 1st November by India's representative to the U. N. Social and Humanitarian Committee, this shows Pakistan Government's "callous disregard for prisoners in their custody". Governments takes serious objection to the Pakistan Governments inhuman attitude.

श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद के पक्षों में मतभेद

2477. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री के लकप्पा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ओर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एवं हिन्द मजदूर सभा और दूसरी ओर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में मतभेद बढ़ गये हैं;

(ख) क्या श्रमिक संघों की राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से श्रमिक संघों में श्रम मंत्रालय के साहार्द लाने के प्रयत्न विफल हो गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) इस बारे में, विशेषकर इन ट्रेडयूनियन केन्द्रों से इस विषय पर किसी पत्र के अभाव में, कुछ कहना कठिन है।

(ख) और (ग) : यह कहना सही नहीं होगा कि ट्रेड यूनियन आन्दोलन में तालमेल लाने के प्रयत्न विफल हुए हैं।

दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार

2478. **श्री गंगादेव :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नये उत्पाद मिश्रण (न्यू प्रोडक्ट मिक्स) हेतु दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र का विस्तार किया जाना लाभप्रद नहीं पाया गया; और

(ख) क्या नया उत्पाद मिश्रण आरम्भ करने में पर्याप्त रोजगार मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) मिश्र-इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के लिए प्राडक्ट मिक्स के बारे में निर्णय करते समय लगाए गए अनुमान के अनुसार पता चला था कि इस प्राडक्ट-मिक्ससे कारखाना आर्थिक दृष्टि से सक्षम होगा।

(ख) उसी अनुमान से यह भी पता चला था कि अतिरिक्त रोजगार की गुंजाइश कम नहीं होगी और सम्भवतः निश्चित किये गए प्राडक्ट-मिक्स की अपेक्षा अधिक ही होगी। फिर भी मिश्र-इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के प्रोडक्ट-मिश्र के पूरे प्रश्न पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है।

मलयेशिया में नागरिकता-रहित हो गए भारतीय

2479. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 अक्तूबर, 1972 के 'संडे स्टेट्समैन', दिल्ली में "50,000 मलयेशियन इण्डियंस आर स्टेटलस" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही की है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : **(क) से (ग)** : 22 अक्तूबर, 1972 के

'संडे स्टेट्समैन', दिल्ली में "50,000 मलयेशियन इण्डियन्स आर स्टेटलस" (मलयेशिया के 50,000 भारतीय राष्ट्रिकता विहीन हैं) शीर्षक समाचार सम्भवतः मलयेशिया सरकार द्वारा पहले जारी उस आदेश को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसके अनुसार उन सभी लोगों को अन्ततः 30 सितम्बर, 1972 तक अपने कागजात सत्यापन के लिए जमा करने को कहा गया था जिन्हें मलयेशिया के संविधान की धारा–30 के अन्तर्गत नागरिकता के प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं। यह तो सुविदित ही है कि नागरिकता प्रमाण-पत्र के सभी धारकों ने, जिनकी कुल संख्या अनुमानतः 2,68,750 है, अपने कागजात अन्तिम तिथि तक नहीं जमा किए थे, लेकिन सत्यापन के लिए प्राप्त प्रमाण-पत्रों तथा दोषपूर्ण प्रमाणपत्रों की संख्या से सम्बद्ध निश्चित आंकड़े अभी मलयेशिया सरकार द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। मलयेशिया सरकार ने कहा है कि 30 सितम्बर के बाद भी सत्यापन के लिए कागजों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु इन प्रमाण-पत्रों के धारकों को इसमें कुछ विलम्ब एवं असुविधा का अनुभव होगा क्योंकि उक्त तारीख के पश्चात् पंजीयन विभाग में सत्यापन करने वाले कर्मचारियों की संख्या में काफी कमी कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय वेतन नीति

2480. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग की क्या सिफारिशें हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) से (ग)** : वेतन नीति के विषय पर, राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट में, जिसकी प्रतियाँ सदन की मेज पर 29 अगस्त, 1969 को रख दी गई थीं, कई सिफारिशें की गई थीं। वेतनों, मूल्यों तथा आमदनियों के सम्बन्ध में एक समेकित राष्ट्रीय नीति तैयार करने की आवश्यकता पर कुछ समय से सरकार विचार करती आ रही है। लेकिन इस सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव अभी तैयार किये जाने हैं।

कटनी के आयुध कारखाने के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते का भुगतान

2481. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटनी के आयुध कारखाने के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नहीं दिया जा रहा है जब कि यह भत्ता अन्य सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलता है ;

(ख) क्या इस बात की शिकायत अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने की है ; और

(ग) यदि हां, तो यह भेदभाव दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) कटनी के आयुध कारखाने के कर्मचारियों को 30-3-72 से मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) : जनवरी 1972 में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ ने इस मामले को एक ज्ञापन में उठाया था जिसमें उन्होंने यह मांग की थी कि अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान उन्हें भी उक्त भत्ता फरवरी 1971 से दिया जाय।

भारत-रूस संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना के बारे में प्रावदा द्वारा समाचार

2482. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-रूस संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना की घोषणा सबसे पहले रूस के सरकारी समाचार पत्र प्रावदा ने की थी;

(ख) क्या भारतीय समाचार पत्रों ने प्रावदा को प्राथमिकता दिये जाने की आलोचना की है; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 सितम्बर, 1972 को 'मार्च आफ दि नेशन' नामक साप्ताहिक पत्रिका में इस सम्बन्ध में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है। और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : **(क) से (ग)** : भारत-सोवियत संयुक्त वित्त आयोग के गठन सम्बन्धी निर्णय की घोषणा प्रथम बार 29 सितम्बर 1971 को प्रधान मंत्री की मास्को यात्रा की समाप्ति पर जारी भारत-सोवियत संयुक्त विज्ञप्ति में की गई। बाद में समय समय पर भारतीय समाचार पत्रों ने प्रस्तावित आयोग के विषय में सूचनाएं प्रकाशित की। दिनांक 2 सितम्बर 1972 के 'मार्च आफ दि नेशन' में प्रकाशित इस आशय की सूचना सही नहीं है कि इसका विवरण प्रकाशित करने का मौका सबसे पहले प्राबदा को दिया गया था। सरकारी तौर पर आयोग गठन करने के समझौते पर 19 सितम्बर 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे। उसी दिन ओ० टी०, आई० तथा 'तास' द्वारा यह समाचार जारी किया गया। आकाशवाणी ने भी उसी दिन यह समाचार प्रसारित किया था।

कलकत्ता के फोर्ट विलियम मैदान क्षेत्र में पक्का निर्माण कार्य

2483. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में मैदान क्षेत्र फोर्ट विलियम के अधीन है तथा वहां पक्के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है ;

(ख) क्या इसमें कोई अपवाद है यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा क्या पक्के निर्माण कार्य की अनुमति दी गयी है ; और

(ग) क्या कलकत्ता के एक विशिष्ट फुटबाल क्लब को उस क्षेत्र में पक्के स्टेडियम के निर्माण की अनुमति दी गयी है जिसे अब तक निषिद्ध तथा संरक्षित क्षेत्र समझा जाता था ; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) और (ख)** : कलकत्ता में मैदान क्षेत्र फोर्ट विलियम के अधीन है। इसके नियंत्रण को स्थानीय सरकार को इस शर्त के साथ प्रदत्त किया गया है कि जनरल अफसर कमांडिंग प्रेजीडेन्सी और असम जिं के बिल्डिंगे आदि बनाने के सभी प्रस्तावों पर अवश्य ही विचार किया जाय और यदि वह उससे असहमत हों तो अस्वीकृत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने से पूर्व भारत सरकार को एक संदर्भ भेजा जाएगा।

(ग) भारत सरकार अथवा स्थानीय सैनिक प्राधिकारियों ने कलकत्ता मैदान में किसी पक्के स्टेडियम के निर्माण के लिए किसी फुटबाल क्लब को आज्ञा नहीं दी है।

तीसरे देश सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करते हुए नई दिल्ली में फलस्तीनी गुरिल्लों द्वारा लगाए गये पोस्टर

2484. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फलस्तीनी गुरिल्लों ने सारी राजधानी में राजनीतिक स्वरूप के पोस्टर लगाए और

इस प्रकार तीसरे देश सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : **(क) और** (ख) : सितम्बर 1972 में दिल्ली में फिलस्तीनी छात्र महासंघ (भारत), नई दिल्ली के नाम से जारी कुछ पोस्टर देखे गए थे। उनका स्वरूप और उनकी विषय-वस्तु इस प्रकार की थी जिससे किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय अथवा भारतीय नियम का उल्लंघन नहीं होता था। सितम्बर 1972 के बाद ऐसा कोई भी पोस्टर नहीं देखा गया है।

Sentence to Four Indians in South Africa on Alleged Conspiracy against the Government

2485. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Press reports to the effect that four Indians have been sentenced to five year's imprisonment by the South African Government on a charge of conspiring to topple that Government;

(b) the assistance rendered by Government to those Indians for pleading their case or for appealing against the sentence in the courts;; and

(c) whether Government propose to lay a copy of the said judgement on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Singh) : (a) The Government are not aware of any Indian nationals being involved. According to information available four Asians were convicted by a South African Court under the Terrorism and Suppression of Communism Acts.

(b) & (c) : Does not arise.

Facilities Provided to Families of Soldiers Killed in 1962 and 1965 Conflicts in Addition to Pension

2486 **Shri Bharat Singh Chawhan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the facilities, in addition to pension, provided by Government to the families of the soldiers killed in the conflicts of 1962 and 1965;

(b) whether similar facilities and pensions were given to the families of soldiers, killed in the war of 1971 also; and

(c) if not, the difference therein and the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) **(1) Employment,** A wife, son or daughter of a deceased serviceman was entitled to employment in Defence factories & establishments without going through the Employment Exchange. Preferences in employment were extended by all State Govts.

(2) **Medical facilities** : Families of deceased service personnel including dependent children upto the age of 18 years are entitled to free inpatient/out-patient treatment in all military hospitals.

(3) **Education.** Reservations were made in all schools controlled by the Ministry for children of those killed in action. Further, education was free in all military schools for children of JCOs/ORs. In addition, scholarships were instituted covering all expenditure in Sainik Schools and Lawrence schools. Besides, State Govts. had provided free education or suitable stipends to finance education.

(4) **Ex-Gratia Grant.** All State Govts. awarded lump sum grant to families of those killed in action.

(5) **Agricultural and homestead land were assigned to families of those killed in action by State Govts.**

(b) & (c) : Yes, Sir. In addition, education upto the first degree level is free to children of those killed in the 1971 operations in all recognised schools. The question of extending t' is benefit to those involved in earlier conflicts is under consideration of Government.

Escape of P. O. Ws from Prayag Camp

2487. **Shri Bharat Singh Chawhan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Pakistani prisoners of War of Prayag camp tried twice to escape; and

(b) if o, the measures taken to check the recurrence of such incidents in future ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Adequate security measures are in force in all the POW Camps.

युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों पर हुआ व्यय

2488. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों पर सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हाल के भारत-पाक संघर्ष के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को राहत तथा पुनर्वास सहायता की सुविधाओं की व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार ने सम्बन्धित राज्य सरकारों को स्वीकृत दरों पर व्यय करने का अधिकार दे दिया है । इस प्रकार किए गए व्यय की केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जाती है और जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की राज्य सरकारों को अब तक 'आन एकाउण्ट' अग्रिम के रूप में 1 75,06 लाख रुपये मंजूर किए जा चुके हैं ।

संग्राम पदक दिया जाना

2489. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ 1971 में हुए युद्ध में राष्ट्रपति ने संग्राम पदक देना आरम्भ किया तथा 1965 में इसे रक्षा पदक के नाम से पुकारा जाता था ;

(च) यदि हां, तो क्या यह पदक दिये जाने की एक शर्त यह थी कि प्राप्तकर्ता की सेवा-अवधि 5 सितम्बर, 1965 को कम से कम 180 दिन होनी चाहिये, किन्तु संग्राम पदक के बारे में ऐसी कोई शर्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) से (ग)** : 1965 में पाकिस्तान के साथ संघर्ष में सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की सेवाओं के सम्मान के लिए 1965 में रक्षा पदक नामक एक संस्मारक पदक स्थापित किया गया था । पदक उनको दिया गया था जो 5 अगस्त 1965 को सशस्त्र सेनाओं की प्रभावी स्थापना में थे और उस तारीख को 180 दिन अथवा अधिक की सेवा पूरी कर ली थी । तत्पश्चात, रक्षा पदक 1965 पैरा-सैनिकों की यूनिटों के उन सभी सैनिकों तक कर दिया गया था जो सेना के संक्रियात्मक नियन्त्र के अधीन थे और 5 अगस्त 1965 को 180 दिन अथवा अधिक की सेवा कर ली थी और पैरा-सैनिकों की यूनिटों के उन कार्मिकों को जो संक्रिया में लगाये जा सकते थे और उन क्षेत्रों में थे जो समर सेवा स्टार के मात्र थे (यह स्टार भी भारत पाकिस्तान के 1965 के संघर्ष में स्थापित किया गया था) बर्शते कि वे उपर्युक्त सेवा अवधि को पूरा करते हों ।

दिसम्बर 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के सम्बन्ध में संग्राम पदक नामक एक संस्मारक पदक स्थापित किया गया था । यह पदक सैनिकों की उन सभी श्रेणियों के लिए है जो 3

दिसम्बर 1971 अथवा उसके पश्चात अन्तिम सैन्य विलगन तक निम्नांकित सेनाओं के प्रभावी स्थापना पर थे अथवा रहें :

(क) सेना, नौसेना और वायु सेना रिजर्व सेनाओं में से किसी, क्षेत्रीय सेना, जम्मू व कश्मीर मिलिशिया और संघ की अन्य सशस्त्र सेनाओं के सभी रैंक ।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल, पुलिस दल, होम गार्ड, नागरिक सुरक्षा संगठन और सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य संगठन जब संक्रियात्मक क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजराजस्थान, रात, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा और उपर्युक्त संगठनों के सभी अथवा किसी सदस्य को जब सरकार द्वारा ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में नियुक्त किया जाय; और

(ग) उपर्युक्त दलों के आदेशों/निदेशों अथवा निरीक्षण में लिंग भेद किए बिना नियमित अथवा अस्थायी रूप से संक्रियात्मक क्षेत्रों में सेवा करने वाले सिविलियन ।

यदि रक्षा मेडल 1965 के लिए निर्धारित की गई 180 दिन की शर्त को संग्राम मेडल की पात्रता के लिए भी लागू किया जाय तो 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध संक्रियाओं के दौरान सेवा करने वाले पारा मिलिट्री दल, पुलिस दल, होम गार्डस आदि के कार्मिकों को जिन्होंने 180 दिन की सेवा पूरी नहीं की है, मेडल के लिए अपात्र कर दिया जाएगा । इसे 1965 में तथा 1971 की संक्रियाओं के विस्तृत क्षेत्र की तुलना को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि 1971 के युद्ध में हमारी सेनाओ की शानदार जीत हुई, संग्राम मेडल के लिए अर्दक सेवा की कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है ।

गृह निर्माताओं को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात की सप्लाई

2490. **श्री एम० आर० गोपाल रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों के वास्तविक गृह निर्माताओं को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा इस्पात का आबंटन प्राप्त करने के लिए तीन महीने से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इस्पात के वितरण में गृह निर्माताओं को प्राथमिकता न देने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) उपलब्धि की तुलना में मांग अधिक होने के कारण हो सकता है कि कभी-कभी मकान बनाने वालों को सप्लाई के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़े ।

(ख) दिल्ली में प्रमुख उत्पादकों के स्टाकयार्डो में भवन-निर्माण सामग्री का कुछ प्रतिशत मकान बनाने वालों में वितरण के लिए अलग से रख दिया जाता है । इसका आबंटन् प्रमुख इस्पात उत्पादक समिति करती है, जो तीनों उत्पादकों से उपलब्धि को ध्यान में रखती है । इससे पता चलेगा कि मकान बनाने वालों को पहले ही कुछ प्राथमिकता दी जा रही है ।

एल्यूमीनियम संयंत्रों की उत्पादन क्षमता

2491. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारत में कार्य कर रहे सभी एल्यूमीनियम संयंत्रों की कुल वर्तमान वार्षिक उत्पादन क्षमता

कितनी है ;

(ख) क्या देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह क्षमता पर्याप्त है ; और

(ग) यदि नहीं, तो एल्यूमीनियम संयंत्रों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत में एल्यूमिनियम के उत्पादन की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 178,850 टन प्रति वर्ष है ।

(ख) कुछ सीमा को छोड़कर यह वर्तमान घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त है ।

(ग) एल्यूमिनियम की प्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए चतुर्थ/पंचम योजना अवधियों के दौरान 251,000 टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त सीमा को कार्यान्वयन के लिए अनुज्ञप्त किया गया है ।

भारतीय सैनिक विद्यालय, नैनीताल को वित्तीय सहायता

2492. **श्री समर गुह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सैनिक विद्यालय, नैनीताल को, उत्तर प्रदेश राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने के कारण स्कूल के कार्यचालन तथा रख-रखाव में बहुत कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या सरकार से वित्तीय सहायता न मिलने से इस विद्यालय के प्राधिकारियों को प्रतिवर्ष शहीद सैनिकों के सैकड़ों पुत्र-पुत्रियों और युवा पत्नियों को प्रवेश से वंचित रखना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सैनिक विद्यालय को सहायता देने के लिये प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन् । गोराखाल (जिला नैनीताल) में सैनिक स्कूल को आवास के कारण कतिपय कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं, जिसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है ।

(ख) जी नहीं श्रीमन् । सैनिक स्कूलों में केवल लड़कों को ही दाखिल किया जाता है शहीद सैनिकों की लड़कियां तथा युवा पत्नियां प्रवेश की पात्र नहीं हैं । उपलब्ध सीमित रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए 1972–73 सत्र में कुछ अर्हता प्राप्त लड़कों को अन्य सैनिक स्कूलों में दाखिल किया गया था ।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार से स्कूल परिसर के लिए निर्माण कार्यक्रम को शीघ्र ही पूरा करने का अनुरोध किया गया है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में इंजीनियरों के रोजगार के लिए परीक्षा

2494. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले दिनांक 1 नवम्बर, 1972 के 'युगान्तर' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि यद्यपि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में रोजगार के लिए परीक्षा में बैठने के लिए 2,700 इंजीनियर आवेदकों को चुना गया था तथापि केवल 1,400 अर्थात् लगभग 50 प्रतिशत आवेदक ही वास्तव में परीक्षा में बैठे;

(ख) क्या बाहर के आवेदकों को परीक्षा में न बैठने के लिये गुमनाम साधनों से धमकी भरे पत्र लिखे गए थे;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच कराई जायेगी; और

(घ) क्या शेष चुने गए आवेदकों की, उन्हें सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक साधन जुटाते हुए, फिर परीक्षा ली जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) प्रोबेशन इंजीनियरों के चयन के लिए भारी इंजीनियरिंग निगम ने अप्रैल, 1972 में देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था । कुछ आशोधनों के साथ जून, 1972 में यह विज्ञापन पुनः दिया गया था । (प्राप्त हुए आवेदनों की पूरी तरह जांच पड़ताल के पश्चात् 2681 आवेदकों को 22 अक्तूबर, 72 को लिखित परीक्षा में बैठने के लिए पत्र भेजे गये थे । उम्मीदवारों को आवश्यक सुविधाएं दी गई थीं और परीक्षा शान्त वातावरण में ली गई थी जिन व्यक्तियों को परीक्षा में बैठने के लिए पत्र भेजे गये थे, उनमें से 1415 व्यक्ति परीक्षा में बैठे थे ।

(ख) बाहर के आवेदकों को धमकीपूर्ण पत्र भेजे जाने की जानकारी न तो सरकार को और न ही भारी इंजीनियरिंग निगम को है । परीक्षा में बैठने के लिए बुलाये गये उम्मीदवारों में से धमकी के कारण परीक्षा में न बैठ सकने के बारे में किसी उम्मीदवारों से कोई शिकायत अथवा अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उटता ।

(घ) जी, नहीं ।

राज्यों में निकल और सीसा संयंत्रों के बारे में प्रस्ताव

2495. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से हाल में यह मांग की है कि उन राज्यों में निकल, सीसा और अन्य धातु संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता दी जाए ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन प्रस्तावों पर इस बीच विचार कर लिया है और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते हैं ।

आयातित इस्पात के आबंटन के लिये उच्च प्राथमिकता दिये जाने वाले उद्योग

2496. **श्री ई० बी० विखेपाटिल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयातित इस्पात देने के लिये किस विशिष्ट उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : वास्तविक उपभोक्ताओं तथा रजिस्टर्ड निर्यातकों के लिए इस्पात के आयात का विनियमन वर्षानुवर्ष आधार पर बनाई गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार किया जाता है । प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की एक सूची वर्ष 1972–73 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति के परिशिष्ट के रूप में दी गई है । उस सूची में दिए गए उद्योगों के बारे में आवश्यकता पर आधारित आयात नीति अपनाई जाती है । रजिस्टर्ड निर्यातकों के लिए आयात नीति संपूर्ति के रूप में अति अधिमानित स्त्रोतों से आयात करने की व्यवस्था है । वर्तमान

आयात व्यापार नियंत्रण नीति में किसी भी उद्योग को "उच्च प्राथमिकता" के रूप में अलग से वर्गीकृत नहीं किया गया है।

Labour Laws in Force in Goa

2497. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the Central Labour laws are in force in Goa, if so, the names of those Labour laws and whether the list of such laws would be laid on the Table of the House; and

(b) whether any action was taken against anybody under the aforesaid laws during the years 1970, 1971 and 1972; if so the names of the persons indicating the action taken against them ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) and (b) : The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Iron Ore deposits in Goa

2498. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of Steel and Mines be pleased to state :

(a) whether large deposits of iron ore of good quality are available in Goa;

(b) if so, the number of mines in operation;

(c) whether these mines are being misused; and

(d) if so, the steps being taken to check this misuse ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) Yes, Sir.

(b) 150 mines were operating as in January, 197

(c) & (d) : Some cases of negligence from the point of view of conservation of minerals have been noticed by the inspecting staff of Indian Bureau of Mines during inspection of mines. Such cases are pointed out to the management of the mines by the officers of the Indian Bureau of Mines, who discuss the cases with them and advise them suitably. In case the advice of the Indian Bureau of Mines officers is not cared for, legal directives are issued.

Nationalisation of Mines in Goa

2499. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government propose to nationalise mines in Goa; and

(b) if so, the time by which it is likely ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shah Nawaz Khan) : (a) There is no proposal at present to nationalise in Goa.

(b) Does not arise.

रोजगार कार्यालयों के कार्य का पुनरीक्षण

2500. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालयों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को नया रूप देने को ध्यान में रखते हुए उनके कार्य का पुनरीक्षण करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रभावी तथा द्रुत सेवा लागू करने और यदि कोई रुकावटें हैं तो उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : जी हाँ, प्रभावकारी तथा द्रुत सेवा की व्यवस्था करने के लिए, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के कार्यकारी दल द्वारा, जिसमें सभी

राज्य सरकारों के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, इस प्रक्रिया का नियमित रूप से पुनरीक्षण किया जाता है। कार्यकारी दल द्वारा लिए गये निर्णय राज्य सरकारों को सूचित कर दिये जाते हैं, जिनका रोजगार कार्यालयों पर वित्तीय तथा प्रशासनिक नियंत्रण है और उन्हें इन निर्णयों को कार्यान्वित करने की सलाह दी जाती है।

विदेशों में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने सम्बन्धी निदेश

2501. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के निदेश दिये हैं कि विदेशों में नियुक्ति की अवधि में पद त्याग की इच्छा प्रकट करने वाले किसी भी कर्मचारी को भारत वापिस आना पड़ेगा और तब वैसा करने की अनुमति मांगनी पड़ेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक आवश्यकता के कारण यह किया गया।

सैनिक कर्मचारियों के परिवारों को कृषि-भूमि देना

2502. **श्री पम्पन गोडा** :

श्री मार्तण्ड सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के भारत-पाकिस्तान युद्ध में मारे गये सैनिक कर्मचारियों के कितने परिवारों को राज्यवार जनवरी और सितम्बर 1972 के बीच कृषि भूमि की मंजूरी दी गयी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : विवरण संलग्न है।

विवरण

हाल के भारत-पाक युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त सैनिक कार्मिकों को, राज्य सरकारों के द्वारा उपलब्ध कराई गई कृषि योग्य भूमि, जो जनवरी तथा सितम्बर 1972 के दौरान मंजूर की गई है, निम्नलिखित है :—

राज्य	आबंटित की गई
आंध्र प्रदेश	24
बिहार	16
गुजरात	8
हिमाचल प्रदेश	52
महाराष्ट्र	97
मैसूर	19
राजस्थान	364
तमिलनाडू	23
उत्तर प्रदेश	128
पश्चिम बंगाल	5

त्रिपुरा के उद्योगों में श्रमिक विवाद

2503. **श्री दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के विभिन्न उद्योगों में कितने श्रमिक-विवाद अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) इन विवादों को शीघ्रता से सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : आवश्यक रूप से यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में पड़ता है ।

लूइस मैल्ले द्वारा निर्मित 'फैंटम इण्डिया' नामक वृत्त चित्र

2504. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लूइस मैल्ले द्वारा निर्मित 'फैंटम इण्डिया' नामक विवादास्पद वृत्त चित्र को अमरीका के नगरों में दिखाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस फिल्म के प्रदर्शन होने में रोकने के लिए सरकार का कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) : ऐसी फिल्मों द्वारा भारत की गलत शक्ल पेश करने की बात को सरकार अच्छा नहीं समझती । सरकार आवश्यक आपत्ति प्रकट कर चुकी है और अब कोई अन्य कार्रवाई जरूरी नहीं समझती ।

इन्डो चायना में शांति स्थापित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग द्वारा किये गये प्रयास

2505. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के पद पर होने के कारण सरकार ने इन्डोचाइना में शांति स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(ख) उस क्षेत्र में शांति स्थापित होने के बारे में नवीनतम सम्भावनाएं क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : **(क) और (ख)** : सम्बन्धित पक्षों के लिए उनकी इच्छा व्यक्त करने पर भारत सदा अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए तैयार रहा । भारत यह विश्वास करता है कि ऐसी समस्याओं का समाधान द्विपक्षीय बातचीत से करना ही सबसे अच्छा है । सयोग से वियतनाम में संघर्षरत पक्ष काफी देर से पेरिस में शांति स्थापना के लिए प्रत्यक्ष वार्ता करते रहे हैं । यह तथ्य कि पेरिस वार्ता फिर शुरू हुई है और अगले सप्ताह तक चलेगी-एक शुभ चिन्ह है । हमें पूरी आशा है कि शीघ्र ही दोनों पक्षों के लिए मान्य कोई समझौता हो जाएगा । लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं अधीक्षण आयोग दोनों पक्षों को मिलाने तथा उनके मांगने पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने में उपयोगी भूमिका अदा कर रहा है । दिसम्बर, 1969 में तत्कालीन कम्बोडिया सरकार के अनुरोध पर कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण एवं अधीक्षण आयोग अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया ।

रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकायें

2506. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय द्वारा निकाली जाने वाली पत्रिकाओं के भाषा-वार नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक मामले में परिचालन कितना-कितना है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : **(क) और (ख)** : रक्षा मत्रालय सशस्त्र सेनाओं के लिए एक सचित्र साप्ताहिक "सैनिक समाचार', निम्नांकित दस भाषाओं में प्रकाशित कर रहा है :

1. अंग्रेजी
2. हिन्दी
3. मराठी
4. गोरखाली
5. पंजाबी
6. उर्दू
7. तमिल
8. तेलगू
9. मलयालम
10. बंगाली

19 नवम्बर 1972 को उपर्युक्त पत्रिका का साप्ताहिक परिचालन इस प्रकार है :

1. अंग्रेजी	5,577
2. हिन्दी	11,852
3. मराठी	1,894
4. गोरखाली	1,525
5. पंजाबी	3,552
6. उर्दू	529
7. तमिल	1,158
8. तेलगू	688
9. मलयालम	2,901
10. बंगाली	404

प्रकाशित की जा रही अन्य पत्रिकाओं के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Minimum Bonus for 1971-72

2507. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have directed all the Industries to pay the minimum bonus;

(b) the percentage of minimum bonus fixed by Government for the year 1971-72; and

(c) the mode of payment of bonus to the workers ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) It is obligatory on the employers to pay bonus in terms of the Payment of Bonus Act, 1965, and no directive are required to be issued for compliance with the statute.

(b) As a result of the amendment made in the Act, through the Ordinance promul-

gated on the 23rd September, 1972, a minimum bonus equal to 8·1/3 per cent of salary-wage is payable in respect of the accounting year commencing on any day in the year 1971.

(c) The mode of payment is laid down in Section 19 of the Act, as amended by the Ordinance, according to which bonus is payable in cash in some cases and in others it is payable partly in cash and partly through deposits in the provident fund accounts of the employees.

Information about 370 POWs Captured by Pakistan through International Red Cross Committee

2508. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the Government had tried to get information in regard to about 370 POWs captured in Indo-Pak war in December 1971 with the help of the International Red Cross Committee; and

(b) the nature of information received about the Indian POW's with the help of International Red Cross ?

The Minister of Defence (Shri Jagjiwan Ram) : (a) and (b) : Lists of 369 Military and Para Military personnel whose names did not appear in the lists of Prisoners of War declared by Pakistan, were sent to International Committee of Red Cross for verification with the Pakistani authorities. No information has so far been received from the International Committee of the Red Cross regarding these personnel.

केरल में रक्षा उत्पादन एककों की स्थापना

2509. **श्री वरके जार्ज :**

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य में रक्षा उत्पादन एककों की स्थापना करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं श्रीमन्। रक्षा उत्पादन यूनिटों को स्थापित करने के लिए परियोजना के सामरिक तथा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि सहित सभी सम्बन्धित पहलुओं पर पूरा विचार करने के पश्चात हर मामले में निर्णय लिया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Rehabilitation of Persons Disabled during War in 1971

2510. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of persons rehabilitated out of those disabled during the war in 1971; and

(b) the number of persons provided with regular employment and the number of persons who are yet to be provided with employment ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : Out of about 1,000 Servicemen who are undergoing treatment in various military hospitals and are likely to be invalided out of service, preferences regarding manner of rehabilitation have since been obtained, after vocational guidance from 585 persons. Rehabilitation preferences of the remaining number is also being ascertained as and when the medical authorities are in a position to make them available on completion of treatment. Out of this number, 448 have requested for direct employment. Offers of appointment in civil jobs have, by now, been issued in 137 cases and

vacancies for the remaining are being identified through the various employing agencies including the Director General Employment and Training, State Governments, etc. Assistance in obtaining self-employment facilities in the case of 33 out of 39 requests, has been provided, 58 who have requested for vocational training facilities, have already been provided with such facilities.

Rehabilitation of Victims of Indo-Pak War, 1971

2511 **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the number of persons of the border areas rendered homeless during the Indo-Pak war of 1971 together with the number of those who have since been rehabilitated as also the number of those still to be rehabilitated and the time by which they would be rehabilitated ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri K. K. Khadilkar) : According to the information received from the Governments of Jammu & Kashmir, Punjab and Rajasthan, the position is as under :

		Jammu & Kashmir	Punjab	Rajasthan
1.	No. of persons/ families rendered homeless	1,64,704 Persons.	4,41,107 Persons.	30,596 Families.
2	No. of persons/ families who have since been rehabilitated.	1,17,600 Persons.	3,60, 05 Persons.	30,596 Families.
3.	No. of persons/ families still to be rehabilitated.	47,104 Persons.	80,804 Persons.	Nil
4.	Time by which the persons mentioned at item (3) above will be rehabilitated.	The persons mentioned against item (3) above are staying in camps or outside, and they will be moved to their original areas, when they are ready for occupation.		Does not arise.

Information from the Government of Gujarat is still awaited and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it becomes available.

Rehabilitation of Tibetan Refugees in Ladakh

2512. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state the present position of the rehabilitation work in regard to the Tibetan refugees in Ladakh District of Jammu and Kashmir States and the outlines of the schemes to be formulated in future for their interest ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R K. Khadilkar) : A scheme for resettlement of 305 Tibetan refugee families of Leh Camp is being implemented by the Government of Jammu and Kashmir. 600 acres of land has been reclaimed and allotted. The construction of houses and school building is in progress. Buildings for handicraft centre and godown have been completed. The State Government is finding the rest of the required land in another area.

As regards Tibetan refugees living in Changthang area, who are mostly graziers, a scheme for their resettlement has been drawn up by the District authorities and submitted to the State Government The State Government's proposal is awaited.

Land Alloted in Ladakh for Rehabilitation of Tibetan Refugees

2513. **Shri Kushok Bakula** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether initiallv a scheme was formulated to allot 1200 acres of agricultural land in Ladakh for the rehabilitation of Tibetan refugees, but only 6 0 acres of land out of it has been earmarked so far and that the major part of this land is barren and useless; and

(b) if so, the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R K. Khadilkar) : (a) and (b) : A scheme for the resettlement of 305 Tibetan refugee families on 1200 acres of land under the command of the Abhichenmethong Canal released by the Jammu and Kashmir Government in Ladakh was sanctioned in June, 1971. Before sanctioning the scheme, the area was surveyed by the Soil Survey Team of the Ministry of Agriculture and on the basis of the recommendations made by the Team it was decided that about 00 acres of land would be utilised for agriculture, 55 acres for horticulture ann cultivation of vegetables, 2 50 acres which was unfit for cultivation for planting trees to provide fuel and timber for the use of the Tibetan refugee community and the rest of the land for buildings, roads etc., 6^0 acres of land have already been allotted to the Tibetan refugees according to the original scheme. The apprehension that the land is barren and useless is not correct. According to the State Government, the land is cultivable. Owing to certain developments, the remaining nand in the area is now not available for allotment. The State Government is finding the rest of the required land in some other area.

Stock of China's Ballistic Missiles Run with Liquid Fuel in Tibet

2514. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri K. M Madhukar :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has drawn to the news-item published in a British paper 'Janes Weapons Systems' that China has stock piled in Tibet ballistic missiles run with liquid fuel and having a range of 2485 kms; and

(b) if so, the reaction of Go ernment thereon ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir.

(b) Government have no authentic information regarding the deployment by China of ballistic missiles in Tibet.

वर्ष 1972-73 में इस्पात का उत्पादन

2515. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में इस्पात का उत्पादन वर्ष 1971-72 की अपेक्षा अधिक होगा;

(ख) क्या पहले वर्ष की तुलना में लाभ कम होगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) इस वर्ष मुख्य इस्पात कारखानों का इस्पात का कुल उत्पादन 1971-72 की अपेक्षा अधिक होने की संभावना है ।

(ख) और (ग) : सम्बद्ध इस्पात उद्योगों इस्पात के कार्यफल 1971-72 की अधिक अच्छे होने की सम्भावना है ।

भालघाट में तांबा निक्षेपों का मिलना

2516. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री रण बहादुर सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के भालघाट जिले में तांबा निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) : हाल ही के वर्षों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए भूतल और उपभूतल अन्वेषणों के परिणाम-स्वरूप, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के मातंजखण्ड क्षेत्र में लगभग 1·35 प्रतिशत ताम्रांश वाली ताम्र अयस्क की लगभग 400 लाख टन उपलब्ध राशियाँ अनुमानित की गई हैं। आगे का विस्तृत समन्वेषण कार्य प्रगति पर है ।

कोयला विपणन निगम की स्थापना का प्रस्ताव

2517. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला विपणन निगम की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव की जांच कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है तथा विपणन योजना की रूप रेखा क्या है; और

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में अथवा किसी अन्य कारण से कोयला पर पुनः नियंत्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) : पब्लिक सेक्टर में कोयला विपणन सम्बन्धी समस्याओं के परीक्षण के लिए, जिनमें केन्द्रीय कोयला विपणन निगम स्थापित किए जाने की साध्यता भी सम्मिलित है, अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है। सीमति की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

(ग) उपभोक्ताओं में कोयले के वितरण को सुव्यवस्थित करने के, विशेषतया रेलवे वैगनों की चल रही निरन्तर कमी के संदर्भ में, उपायों में से एक उपाय कोयले के वितरण पर पुनः नियंत्रण लगाना है । इस सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पासपोर्ट प्राप्त करने के लिये लम्बे समय तक प्रतीक्षा

2518. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उप सचिव/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से सत्यापन पत्र प्राप्त करने के बाद भी पासपोर्ट प्राप्त करने के लिये व्यक्तियों को बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ख) क्या पासपोर्ट जारी करने के लिए सरकार ने कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ग) गत छः महीनों में ऐसे कितने पासपोर्ट जारी किये गये जिनका सत्यापन उप सचिव/

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट ने किया था तथा क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, नई दिल्ली ने कम से कम और अधिक से अधिक कितना समय लगाया ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) : स्थिति यह है कि क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारियों को इस प्रकार के स्थाई निर्देश हैं कि उप सचिव/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों तथा इसके ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा जारी किये गए सत्यापन-प्रमाण पत्र पेश करने वाले आवेदकों को ४८ घटे के अन्दर पारपत्र मंजूर कर दिये जाएं। परन्तु क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वह यह निश्चय कर ले कि आवेदन-पत्र और सब तरह से पूर्ण हैं, साथ ही, जारी करने वाले अधिकारियों/मजिस्ट्रेटों द्वारा सत्यापन-प्रमाण पत्रों की पुष्टि कर दी जाये । कुछ ऐसे मामलों में ही देर होती है जिनमें आवेदन पत्र सब प्रकार से पूर्ण नहीं होते और बहुधा देर का कारण सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा, बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद उचित समय के अन्दर सत्यापन प्रमाण पत्र की पुष्टि न कर पाना है ।

(ग) वांछित सूचना प्राप्त की जा रही है ।

भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने से मना करना

2519. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1972 को 44 भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने से मना किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी कार्यवाही के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) उन लोगों के यात्रा दस्तावेजों को देखकर कनाडा के प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि वस्तुत: पर्यटक हैं संभावित आप्रवासी नहीं ।

(ग) कनाडा के प्राधिकारियों ने नये विनिमय प्रकाशित किये हैं जिनके अनुसार कोई भी विदेशी कनाडा में एक बार किसी दूसरे हैसियत में प्रवेश करके आप्रवासी होने के लिये आवेदन नहीं कर सकता है । उस विनियम को यहां अधिकाधिकप्रचारित करने का इरादा है ताकि कनाडा जाने वाले सभी भारतीय अपने साथ समुचित यात्रा दस्तावेज ले जायें । विचाराधीन इस विशेष मामले को कनाडा के हाई कमीशन के पास भेजा है । वे इस मामले की जांच करने को राजी हो गये हैं ।

बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना में दुर्घटना

2520. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जून, 1972 को मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बेलाडिला लौह अयस्क परियोजना के निक्षेप संख्या 5 में दुर्घटना हुई थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई जांच कराई गई है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हाँ ।

(ख) और (ग) : जी हाँ । 20-6-1972 को खान सुरक्षा के महानिदेशक द्वारा प्रारम्भिक जांच की गयी थी और उपलब्ध निष्कर्षों के अनुसार, दुर्घटना उस क्षेत्र में हुई जहाँ कोई खनन

संक्रियायें नहीं की जा रही थी । दुर्घटना-स्थल बलाडिला (निक्षेप संख्या 5) की खान पट्टा सीमा से लगभग 15 कि० मी० की दूरी पर है । अतः दुर्घटना, खान अधिनियम, 1952 की सीमा में नहीं आती । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भी दुर्घटना के कारणों की जांच की थी और यह पता लगा है कि विगत 3-4 दिनों के दौरान भारी वर्षा हुई थी जिसके परिणामस्वरूप बैंच के शिखर पर की भूमि ढीली पड़ गई और अकस्मात् नीचे आ गिरी और दुर्घटना का कारण बनी ।

बैलाडिला में लौह अयस्क के लिये अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

2521. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बैलाडिला स्थित लौह अयस्क परियोजना द्वारा पर्याप्त भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ख) क्या भूस्वामियों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं दिया गया; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) : बैलाडिला निक्षेप संख्या 14 में सड़कों और उपनगरों के सन्निर्माण के लिए 109·4 एकड़ भूमि अर्जित की गई है । समुपयोजनाधीन लौह अयस्क निक्षेपों के खनन पट्टों के अतिरिक्त बैलाडिला निक्षेप संख्या 5 में उपनगर के सन्निर्माण और अन्य सिविल प्रसुविधाओं के लिए भी कुछ भूमि अर्जित की गई है । सेवा प्रसुविधाओं को प्रतिष्ठापित करने के लिए प्राइवेट दलों से अर्जित किये गये कुछ क्षेत्र को छोड़कर, अर्जित की गई भूमि राज्य सरकार की है । जिला प्राधिकारियों द्वारा किये गये विनिश्चय के अनुसार भूमि स्वामियों को प्रतिकर की राशि संदत्त की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

भिलाई इस्पात कारखाने में एक गिरोह के बारे में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी का आरोप

2522. **श्री राम भगत पस्वान** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा लगाये गये इस आरोप की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भिलाई इस्पात कारखाने में घोटाला है तथा वहाँ एक गिरोह विद्यमान है जो मूल्यवान इस्पात को रद्दी माल के रूप में अत्यधिक कम मूल्य पर बेचता है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात् और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कच्छा तीबू द्वीप सम्बन्धी फैसला

2523. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समुद्र तट से दूर एक कच्छा तीबू द्वीप को स्वामित्व सम्बन्धी विवाद श्रीलंका सरकार से तय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो द्वीप का भविष्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) : कच्छतीव् द्वीप की संप्रभुता के प्रश्न पर अब भी भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच विचार-विनिमय चल रहा है ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात ही होगा भारत और श्रीलंका दोनों ने मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से इसे तय करने की इच्छा प्रकट की है।

Unemployed Adivasis

2524. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a census of unemployed Adivasis, State wise;

(b) if so, the percentage of Adivasis of Madhya Pradesh which have been provided with employment during the last three years; and

(c) the areas where these Adivasis would be provided with employment during the current Five Year Plan and the percentage there of ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise. Various Development projects included in the Foruth Five-Year Plan and the special employment schemes being implemented since 1970-71, particularly those for the benefit of the weaker sections of the society and areas, are expected to generate increasing number of employment opportunities for the unemployed (including the Adivasis), in those areas.

Provident Fund Scheme in Bidi Industry

2525. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have taken steps to ensure that the Provident Fund Scheme is enforced on the employers in the Bidi Industry for the benefit of employees working in their establishments; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri R. K. Khadilkar) : **(a) and (b)** : A proposal to extend the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 to the Bidi Industry is under consideration.

Modernisation of coal mining

2526. **Shri Dhah Shah Pradhan** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government are satisfied with the progress made in the direction of the modernisation of coal mining;

(b) whether the coal mines in the private sector are giving their cooperation in this regard; and

(c) if so, the particulars of the progress thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) to (c) : So far as the public sector in coal mining is concerned, a majority of the mines under the National Coal Development Corporation Ltd. and the Singareni Collieries Company Ltd. are mechanised and have been modernised to the extent necessary under the prevailing conditions. Work of modernisation the mines recently acquired by the Bharat Coking Coal Ltd. is still at the planning stage.

2. In the private sector, the coal industry spent about Rs. 14.17 crores out of the World Bank Loan of Rs. 16.67 crores during the Third Plan period, for importing coal mining machinery and equipment. The Tata Iron & Steel Co. Ltd. have launched a programme for restructuring and modernising their coal mines producing coking coal needed for their steel plant. The Indian Iron & Steel Co. Ltd. have taken up a programme of modernising and expansion of

their two coal mines in Jharia with the help of World Bank Loan. This work has progressed well and one large coal washery has already been functioning treating coals from these two mines. Some Private sector Companies have also modernised their mines but the majority of the private sector collieries have not by and large adopted modernised mining methods.

इस्पात संयंत्रों को होने वाली हानियों को रोकने के उपाय

2527. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील में भारी हानि का कारण संयंत्र का जल्दी-जल्दी बंद होना था;

(ख) यदि हां, तो हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित कराने के लिये कि संयंत्र सुचारू रूप से कार्य कर सके सरकार ने उनकी मरम्मत तथा रखरखाव के लिये क्या उपाय सोचे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० को हुई हानि के बहुत से कारण हैं जिसमें क्षमता का अपर्याप्त उपयोग भी सम्मिलित है । इस अपर्याप्त उपयोग का एक अंशदायी कारण बड़ी खराबियां रही हैं ।

(ख) गत दो वर्षों में बड़ी खराबियों के कारण हिन्दुस्तान स्टील लि० के आधीन इस्पात कारखानों को निश्चित लागत के रूप में हुई उत्पादन की हानि निम्नलिखित है :

कारखाना	निश्चित लागत के रूप में हुई कुल हानि (हजार रुपये)	
	1970-71	1971-72
भिलाई इस्पात कारखाना	1,297	105
राउरकेला इस्पात कारखाना	3,543	82,331**
दुर्गापुर इस्पात कराखाना	1,121	2,156

**इसमें जुलाई, 1971 में स्टील मेल्टिंग शाप की छत गिर जाने से हुई 82,180,000 रुपये की हानि भी शामिल है ।

(ग) संयंत्र तथा उपस्करों के उचित रख-रखाव का उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का है तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्राधिकारियों ने इस दिशा में बहुत से उपाय किये हैं तथा कर रहे हैं । इनमें कारखानों के संधारण संगठनों को सशक्त बनाना, फालतू पुर्जा, स्टोर, ऊष्मसह आदि के लिए क्रमबद्ध फारवर्ड प्लेंनिग करना, पूंजीगत तथा बड़ी बड़ी मरम्मत के लिए एक तीन वर्षीय योजना बनाना, निर्धारित अनुसूची के अनुसार तथा नियमित निरीक्षणों द्वारा निवारक संधारण पर अधिक ध्यान देना सम्मिलित है । इस सम्बन्ध में सरकार भी संयंत्रों को सभी आवश्यक सहायता देती है ।

पाकिस्तान द्वारा बंगाली सेनाधिकारयों पर मुकदमा चलाया जाना

2528. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान जो युद्ध अपराधों पर बंगला- देश में कोई मुकदमा चलाये जाने के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार कर रहा है, स्वयं पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे बंगाली अधिकारियों पर जासूसी, तोड़ फोड़ तथा विध्वंस के आरोपों में मुकदमा चल रहा है तथा उसके द्वारा 80 बंगाली अधिकारियों को 5 वर्ष से 14 वर्ष तक की भिन्न-भिन्न अवधियों के कारावास का दण्ड दिया गया है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने इस ओर राष्ट्र संघ का ध्यान आकर्षित किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) इस मामले में बंगलादेश की सरकार क्या कार्यवाही करेगी, इस बात का निर्णय लेना उसका काम है क्योंकि इसका सम्बन्ध पाकिस्तान स्थित बंगलादेश के नागरिकों से है।

भविष्य निधि के अंशदान की दर में वृद्धि

2529. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भविष्य निधि के अंशदान की दर में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और उस पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की क्या प्रतिक्रियायें हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि भविष्य निधि अंशदान की दर, जहां वर्ष $6\frac{1}{4}\%$ है, बढ़ा कर 8% और जहां वह 8% है, वहाँ वह बढ़ाकर 10% कर दी जाये। इस मामले को भारतीय श्रम सम्मेलन/स्थायी श्रम समिति के समक्ष उनके विचार जानने हेतु रखने का प्रस्ताव है।

ईद के दिन युद्धबन्दियों को विशेष भोजन

2530. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईद के दिन पाकिस्तानी युद्धबंदियों को ईद का विशेष भोजन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी धनराशि व्यय हुई; और

(ग) क्या पाकिस्तान में भारतीय युद्धबन्दियों को भी दिवाली का त्यौहार मनाने के लिये कोई सुविधा दी गई यदि हां, तो किस प्रकार की ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्।

(ख) 90,000 रुपये।

(ग) दिवाली के अवसर पर पाकिस्तान में भारतीय बन्दियों को कोई विशेष सुविधा दी गई हो ऐसी कोई सूचना नहीं है।

Purchase of Mirage Planes from France

2531. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the Indian Government are bargaining with France for the purchase of Mirage planes for its own defence preparations; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b) : No, Sir. However, the discussions with the French Economic Mission, which visited this country last year, and the follow-up informal contacts have ranged over a wide field inclusive of cooperation between the aeronautical industries of the two countries.

Scheme for Small Steel Factories

2532. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to set up new small steel factories;

(b) whether these would be set up in private sector or public sector; and

(c) the number of such factories and the names of the capitalists who would invest money therein and the capacity of these factories ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Shahnawaz Khan) : (a) to (c) : If by "small steel factories" the Hon'ble Member is referring to plants for manufacture of steel from iron ore, it may be stated that production of steel from iron ore is reserved for the public sector. If the question pertains to the units manufacturing steel ingots/billets from ferrous-scrap, it may be stated that Government have granted letters of Intent/Industrial/C.O.B. licences to 22 units for an aggregate capacity of 12·85 lakhs tonnes (annual). A list of these units is appended. **[Placed in Library. See No. L. T. 3874/72]**

मध्य प्रदेश की फर्मों द्वारा इस्पात की चोरबाजारी

2533. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में ऐसी घटनायें हुई हैं कि मध्य प्रदेश में जिन फर्मों अथवा व्यक्तियों को इस्पात अथवा लोहे का कोटा दिया गया था उन्होंने उससे उन वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जिन के लिये कोटा दिया गया था और उसे ऊंचे मूल्यों पर चोर-बाजारी में बेच दिया हो; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) और (ख)** : तथा कथित वास्तविक उपयोक्ताओं को आबंटित किया गया इस्पात खुले बाजार में पहुंच जाने के बारे में यदा कदा रिपोर्ट मिली है । जिस काम के लिये लोहे और इस्पात का आबंटन किया गया हो उससे भिन्न प्रयोजन के लिए गलत ढंग से उसका उपयोग अब अपराध करार दिया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार दंडनीय है । लोहे और इस्पात के सही इस्तेमाल पर नजर रखने के लिये लोहा और इस्पात नियन्त्रक के क्षेत्रीय कार्यालय खोले गये हैं । लोहे और इस्पात के दुरुपयोग के मामलों की छानबीन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों की सहायता भी ली जाती है । अभी तक मध्य प्रदेश से किसी ऐसे मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

Employees in Excess of Requirement in Indian Embassies Abroad

2534. **Shri M. S. Purty** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the number of Indian employees in our embassies abroad has been found in excess of their requirement;

(b) if so, their number in our Embassies in the European countries at present; and

(c) whether Government would take steps to effect sconomy after carrying out proper survey ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir. Reduction in staff have been found possible in some of the Missions due to reorienting of working patterns and centralizing some items of work at Headquarters.

(b) Reorienting of work methods and centralizing some items of work at Headquarters will enable reduction of 51 India-based posts in Missions in Europe.

(b) Staff requirements are being reviewed with accent on economy consistent with

efficiency, on a continuous basis, with reference to their work loads and the review of work patterns.

नई दिल्ली में बहुमंजिले भवनों के लिये इस्पात का आबंटन

2535. **श्री प्रबोध चन्द्र**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने निम्नलिखित बहुमंजिले भवनों के निर्मा के लिये कितना इस्पात सप्लाई किया है, हिमालय हाउस, हिन्दुस्तान टाइम्स बिल्डिग, मयूरभवन, स्टेट बैंक आफ इन्डिया, बैंक आफ बड़ौदा बिल्डिग, चन्द्रलोक इंडियन आयल बिल्डिग ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड भवन वार इस्पात की सप्लाई के आंकड़े नहीं रखती है।

व्यापारियों को इस्पात की सप्लाई के लिये एजेन्ट

2536. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19,000 तक इससे अधिक आबादी वाले जिला मुख्यालयों और शहरों में इस्पात की सप्लाई के लिये कोई एजेन्ट्स नियुक्त किये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कई वर्ष पहले क्या देश देने वाले व्यापारियों को इस्पात की सप्लाई करने के लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) अब उपलब्ध उत्पादन का अधिकांश सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं में वितरित कर दिया जाता है तथा केवल कुछ प्रतिशत माल ही व्यापारियों को प्रेषित किया जाता है। जहां तक लघु उद्योगों का सम्बन्ध है मुख्य इस्पात उत्पादक लघु उद्योगों निगमों को प्रेषण करते हैं जो अपने डिपुओं के माध्यम से माल को वास्तविक उपभोक्ताओं में वितरित करते हैं। मुख्य उत्पादकों के स्टाकयार्डो में प्राप्त इस्पात के माल का कुछ प्रतिशत लघु उद्योगों के लिए भी सुरक्षित रखा जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक मुख्य इस्पात उत्पादकों के उत्पादन का सम्बन्ध है जिला मुख्यालयों में ऐजेन्ट नियुक्त करने आवश्यक नहीं समझे गये हैं। फिर भी, बिलेट पुनर्वेलन समिति द्वारा व्यापारियों के लिए अलग से रखे गये माल का वितरण करने के लिए व्यापारियों की सूची में विस्तार किया गया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक जिले में कम से कम एक व्यापारी हो।

(ग) इस्पात कारखानों से व्यापारियों को प्रेषण उत्पादकों द्वारा बुक डिपो किये गये आर्डरों के तिथि क्रम से क्षेत्रीय आधार पर किये जाते हैं।

यात्रा एजेन्टों द्वारा पारपत्रों की चोर बाजारी

2537. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यात्रा एजेंट यात्रियों से तैयार-शुदा 'पारपत्रों' के लिए बहुत अधिक पैसा ले रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस चोर-बाजारी को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूनतम बोनस का वित्तीय प्रभाव

2538. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8·33 प्रतिशत बोनस देने के निर्णय को क्रियान्वित करने से सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों को पृथक-पृथक कुल कितना कितना भुगतान करना पड़ेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 का बड़ा व्यापक सीमाक्षेत्र है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम के गत संशोधन से पूर्व कुछ नियोजक 4% के न्यूनतम बोनस से उच्चतर बोनस का भुगतान पहले ही कर रहे थे । इन परिस्थितियों में कुल अतिरिक्त बोनस दायित्वों का ठीक अनुमान लगाना बड़ा कठिन है । तथापि, केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों के सम्बन्ध में 1971-72 वर्ष के लिए अतिरिक्त बोनस दायित्व लगभग 6 5 से 7 करोड़ रुपये पड़ता है ।

स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का मूल्य

2540. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का मूल्य स्टेनलैस स्टील के मूल्य तथा निर्माण लागत दोनों की तुलना मे बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने वालों को सप्लाई किये जाने वाले स्टेनलैस स्टील का प्रति किलोग्राम मूल्य, प्रति किलोग्राम निर्माण लागत तथा इन बर्तनों का खुले बाजार में बिकने का मूल्य क्या-क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 22 एस० डब्ल्यू० जी० के वेदाग इस्पात के मूल्य 1970-71 में 35 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 1971-72 में 28 रुपये प्रति किलोग्राम लिया था । इस समय वेदाग इस्पात के बर्तनों को थोक में विक्रेय मूल्य 53 रुपये प्रति किलोग्राम बताया जाता है । वेदाग इस्पात की चादरों तथा बर्तनों के मूल्यों में अन्तर मुख्य कारण निर्माण के समय माल बर्बाद होना तथा बर्तन बनाने की लागत हैं । बर्तन बनाने की लागत में ऊपरी खर्चे, अन्य प्रासंगिक व्यय तथा लाभ सम्मिलित हैं । यह भी बताया गया है कि बर्तन बनाने की लागत अधिक न होने का कारण क्षमता का कम उपयोग है ।

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 'पाँच दिवसीय सप्ताह' का सुझाव

2541. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के 7 दिवसीय संचित कार्य सप्ताह के प्रस्ताव की तुलना में इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 'पांच दिवसीय सप्ताह' का सुझाव दिया है ;

(ख) इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप उत्पादन में कुल कितनी वृद्धि होगी ;

(ग) इससे कितने और लोगों को रोजगार मिल सकेगा ; और

(घ) क्या 'सात दिवसीय संचित कार्य सप्ताह' के सिद्धान्त को सरकार तथा देश के अन्य संस्थानों में भी लागू किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) से (घ) : भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के महा-सचिव द्वारा प्रेस में दिए गए वक्तव्य को सरकार ने देखा है जिसमें कहा गया है कि जहां कहीं भी सम्भव हो प्लांट को सप्ताह के सातों दिन, चलाना चाहिए, लेकिन श्रमिकों के लिए, उनके वेतन को कम किए बैगर, 40 घंटों का पाँच दिवसीय सप्ताह होना चाहिए।

सरकार ने अभी योजना के यथार्थ ब्यौरे और अनुमान तैयार नहीं किए हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियायी देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध

2542. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से सांस्कृतिक संबंध दृढ़ करने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। इस वर्ष में इनमें से अधिकांश देशों के साथ प्राध्यापकों, सांस्कृतिक-मंडलियों तथा विद्वानों की यात्राएं आयोजित की गई। भारतीय मिशनों ने सितम्बर, 1972 में अरविन्द शताब्दी के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों को श्री अरविन्द की रचनाएं भेंट की तथा प्रदर्शिनियों एवं फिल्म प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। उपयुक्त स्थानीय संस्थाओं को पुस्तकें एवं वाद्य-यंत्र भी भेंट किए गए। इन देशों से आने वाले छात्रों को छात्र-वृत्ति देने का कार्यक्रम चल रहा है। थाईलैंड तथा मलयेशिया से सांस्कृतिक-समझौते किए जाने का प्रयत्न हो रहा है।

इस्पात का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तथा संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित मूल्य

2543. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात का वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है और संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य क्या है;

(ख) क्या सरकार को इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात करने वालों से मूल्य का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य तथा कुछ विदेशों के मूल्य का एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : 18 अप्रैल 1972 से लागू की गई एक योजना के अन्तर्गत आयात किया गया इस्पात रजिस्टर्ड निर्यातकों को दिया जाता है जिससे वे संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य/हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (जहां संयुक्त संयंत्र समिति का मूल्य उपलब्ध न हो-2 प्रतिशत) के मूल्य पर निर्यात आर्डरों का माल सप्लाई कर सकें। फिर भी हाल में इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद् ने विदेश व्यापार मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि रजिस्टर्ड निर्यातकों को इस्पात की उपलब्धि संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्य अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य (जो भी कम हो) पर की जानी चाहिए। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

सितम्बर, 1972 में विभिन्न देशों में इस्पात के प्रवर्तमान मूल्य

(रुपये/प्रति मीट्रर टन)

क्रम सं०	उत्पाद	संयुक्त संयंत्र समिति मूल्य	भारत निर्माणी बाह्य मूल्य	यूरोपीय सीभा मण्डी	अमेरिका	जापान
1.	कच्चा लोहा–समाक्षारीय	410	321	501	588	—
2.	कच्चा लोहा–फाउन्ड्री	490	401	577	590	—
3.	बिलेट	1,014	579	528	1,039	—
4.	ब्लूम तथा स्लैब	820	479	—	1,039	—
5.	छड़ तथा गोल छड़	1,061	720	845	1,392	—
6.	प्रवलित छड़–सादी	1,061	720	769	981	750
7.	तार छड़	1,081	745	958	1,463	—
8.	एंगिल-मध्यम	1,025	684	—	1,346	—
9.	एंगिल-छोटे	1,025	684	—	1,346	802
10.	टीज	1,025	684	—	1,346	—
11.	चेनल-भारी	1,025	684	—	1,346	1,063
12.	चेनल-हल्के	1,025	684	958	1,346	833
13.	बीमज/जोइस्ट	1,146	804	867	1,346	—
14.	बीमज/जोइस्ट-वाइड फलेन्ज	1,146	804	1,011	1,346	—
15.	रेल की भारी पटरियां	810	714	—	997	—
16.	रेल की हल्की पटरियां	915	819	—	997	—
17.	एम० एस० प्लेट	1,220	859	897	1,355	969
18.	चेकर्ड प्लेट	1,230	869	920	—	979
19.	गर्म बेलित चादरें	1,343	904	803	1,155	771
20.	गर्म बेलित स्ट्रिप्स/क्वायल्स	1,268	829	875	1,355	—
21.	ठंडी बेलित चादरें	1,909	1,320	1,078	1,675	969
22.	ठंडी बेलित चादरें/क्वायल्स	1,859	1,270	—	1,828	—
23.	स्केल्प	1,350	765	913	—	—
24.	जस्ता चढ़ी चादरें	2,175	1,444	1,440	1,749	—

लघु उद्योगों के लिये राज्यों को इस्पात का नियतन

2544. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों को सप्लाई करने के लिए वर्ष 1970-71 और 1971-72 में विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशालयों या राज्य निगम को इस्पात का कितना नियतन किया गया;

(ख) संगठित क्षेत्र और लघु उद्योग क्षेत्र को इस्पात के कुल उत्पादन में से कितने प्रतिशत इस्पात का नियतन किया गया; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि लघु उद्योग क्षेत्र को दिये जाने वाले इस्पात की मात्रा तथा मल्य के मामले में उसके साथ पक्षपात बर्ता जाता है ?

इस्पात और खान मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अक्तूबर, 1970 से सितम्बर 1971 की अवधि में विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशकों और राजकीय लघु उद्योग निगम को क्रमश: 84,373 टन और 100,182 टन इस्पात का आबंटन किया गया था । अक्टूबर 1971 से सितम्बर 1972 की अवधि की सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेंगी ।

(ख) राज्य उद्योग निदेशकों और राजकीय उद्योग निगमों को अक्टूबर, 70 से सितम्बर, 1971 की अवधि में किया गया आबंटन कुल आबंटन का क्रमश: 5·20 प्रतिशत और 6·25 प्रतिशत था । इस 11·45 प्रतिशत के मुकाबले में इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा तकनीकी विकास के महानिदेशालय की इकाइयों को किया गया आबंटन 6·82 प्रतिशत था अक्तूबर 71 से सितम्बर, 72 की अवधि की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जहां तक आबंटन का संबंध है, यह कहना ठीक नहीं है कि कोई भेदभाव बरता गया है । जहां तक कीमतों का प्रश्न है, लघु उद्योग क्षेत्र को अब इस्पात की सप्लाई विभिन्न राजकीय लघु उद्योग निगमों के माध्यम से की जाती है जो कुछ सर्विस चार्ज (सेवा भार) लेती है और जिसे ये निगम दिये जाने वाले माल के मूल्यों में जोड़ देती है । इससे ऐसे एककों के मूल्य उन एककों के मूल्य से कुछ अधिक होते हैं जो सीधे इस्पात कारखानों से इस्पात लेते हैं । संभवत: माननीय सदस्य का आशय इसी से है । लघु उद्योग के क्षेत्र को उन्हीं मूल्यों पर जो इस्पात कारखानों से सीधे प्रेषित किये गये माल पर लागू होते हैं, इस्पात सप्लाई करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

पूर्वी पाकिस्तान से 1965 से पहले आए लोगों को मुआवजा देना

2545. **श्री नरेन्द्र कुमार सात्वे** : क्या **विदेश** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध से पहले पूर्व पाकिस्तान से आये लोगों को, पूर्व पाकिस्तान में छोड़ी गई अपनी सम्पत्ति के लिए मुआवजा नहीं दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में सा निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिह) : **(क) और (ख)** : 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते के अधीन इन आप्रवासियों को उनकी छूट गई अचल सम्पत्ति पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त था । इसलिए वे उसका मुआवजा पाने के हकदार नहीं थे ।

परन्तु 1965 में युद्ध के दौरान औरउसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों की ऐसी सम्पत्ति को 'शत्रु सम्पत्ति' घोषित करके जब्त कर लिया था । ऐसे भारतीय राष्ट्रिकों को कुछ सहायता देने के लिए भारत सरकार ने मार्च 1971 में उन्हें भारत की समेकित निधि में से अनुग्रह अनुदान के रूप में सत्यापित दावों के मूल्यों का 25 प्रतिशत की दर से तदर्थ अंतरिम सहायता देने के निर्णय की घोषणा की जो किसी भी एक मामले में अधिक से अधिक 25 लाख रुपये तक हो सकता है । यदि किसी मामले में यह राशि इस सीमा से अधिक हो तो उस मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर होना था । ऐसी अदायगियों का हिसाब रखा जाएगा और उनका समंजन किया जाएगा । जब भारतीय राष्ट्रिकों की सम्पत्ति उन्हें लौटाई जायगी या इस मद में उन्हें कोई राशि दी जाएगी तब इस निर्णय के अधीन तदर्थ अंतरिम सहायता की कुछ अदायगियां की जा चुकी हैं ।

युद्ध पोतों की मशीनरी और उपकरणोंक के आधुनिकतम पुर्जों का देश में उत्पादन

2546. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष प्रकार के युद्ध पोतों का देश में निर्माण होने से भारत नौ सैनिक शस्त्रों एवं उपकरणों में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है ;

(ख) क्या मशीनरी और उपकरणों के आधुनिकतम पुर्जों का निर्माण देश में आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो जहाज निर्माण कब तक पूर्णत: देश में ही होने लगेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) : युद्ध पोतों के स्वदेशी उत्पादन के क्षेत्र में इस समय मुख्य गतिविधि का सम्बन्ध लीडर क्लास फ्रीगेट से है । तथापि, अन्य प्रकार के नौसैनिक जहाजों के स्वदेशी निर्माण का प्रस्ताव भी उत्तरोत्तर हाथ में लिया गया है । लीडर क्लास फ्रीगेट्स पनडुब्बी रोधी तथा विमान भर्दा क्षमता वाल जटिल युद्धपोत हैं जिनमें नवीनतम उपकरण तथा शस्त्रास्त्र लगे हुए हैं और उनका स्वदेश में ही निर्माण नौसेना हथियारों और उपस्करों में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम दिखाई देता है ।

इन फ्रोगेटों में लगाने के लिए मेन वोयलरस, मेन टरबाइनस, मेन गीयरिंग आदि सहित जटिल मशीनों और उपस्करों की कुछेक मदों का सफलतापूवक देश में ही निर्माण किया गया है । इसके अतिरिक्त, इन फ्रीगेटों पर लगाने के लिए जटिल रडार और अग्नि नियन्त्रण उपस्कर का स्वदेश में ही निर्माण आरम्भ कर दिया गया है और सहायक तथा विद्युतीय मशीनरी के निर्माण में काफी प्रगति कर ली गई है ।

जबकि आने वाले वर्षों में स्वदेशीकरण में और प्रगति होने की आशा है, शिल्प-विज्ञान में प्रगति के कारण शस्त्रास्त्रों और उपस्कर की जरूरतों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए और क्योंकि कुछ मदों के बारे में बहुत सीमित आवश्यकताओं की वजह से स्वदेशीकरण लाभकारी सिद्ध न हो अत: शत शत प्रतिशत स्वदेशीकरण कठिन होगा ।

सेलम, विशाखापतनम और विजयनगर इस्पात संयंत्रों पर अधिक लागत

2547. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम, विशाखापत्तनम और विजयनगर इस्पात संयंत्रों की लागत मूलत: अनुमानित लागत से बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संयंत्र की लागत में कितनी वृद्धि हुई है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लागत में कमी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : सेलम, विशाखापतनम तथा विजयनगर इस्पात कारखानों के लिए लागत के विस्तृत अनुमान पहली बार परामर्शदाताओं द्वारा 1971–72 में तैयार किये गये तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदनों में लगाये गय थं । परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किये गये लागत अनुमानों के आधार पर सरकार ने सेलम इस्पात कारखाने में पूंजी निवेश का निर्णय पहले ही ले लिया है । उनके अनुसार सेलम इस्पात प्रायोजना में लगभग 340 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होगा तथा 90 प्रतिशत क्षमता के उपयोग करने लगने पर प्रतिवर्ष 30 लाख रुपये का मामूली लाभ होगा ।

विशाखापत्तनम तथा विजयनगर इस्पात कारखानों में पूंजी निवेश के निर्णय अभी लिए जाने हैं। इन दोनों कारखानों के परामर्शदाताओं ने बताया है कि प्रत्येक कारखाने पर 750 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी निवेश पर प्रतिवर्ष काफी हानि होगी। अतः सरकार ने इन दोनों कारखानों की पूंजीगत तथा परिचालन लागत में कमी की गुंजाइश की जांच करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था।

अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1972 में सरकार को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि परामर्शदाताओं द्वारा उनकी शक्यता रिपोर्ट का प्रस्तावित धमन भट्टियों से बड़ी धमन भट्टियां लगाई जायें जिससे स्केल इकानमी प्राप्त की जा सके। अध्ययन दल की रिपोर्ट की जांच की जा रही है तथा इन कारखानों की क्षमता प्राडक्ट-मिक्स पूंजीगत तथा परिचालन लागत आदि के बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में बेकार पड़ा डोलोमाइट क्रशिंग संयंत्र

2548. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 16 लाख की लागत से 1967 में लगाये गये डोलोमाइट क्रशिंग संयंत्र के लिए आज तक कोई कर्मचारी भर्ती नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग) : डोलोमाइट क्रशिंग संयंत्र के इस्तेमाल न करने के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा रही है। पूछी गई जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में खनिज निक्षेप

2549. **श्री भोगेन्द्र झा**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल खनिज उत्पादन में बिहार का कितना अंश है ;

(ख) क्या राज्य में नये खनिज निक्षेपों के पाये जाने की संभावना है ;

(ग) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने वहां नये निक्षेपों का पता लगाने के लिए कोई प्रयत्न किया है ; और

(घ) यदि हां, उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा अब तक उसे क्या सफलता मिली है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान खनिज उत्पादन के भारतीय मूल्य में बिहार का शेयर निम्न प्रकार से है :

वर्ष	खनिज उत्पादन का मूल्य (करोड रुपयों में)	
	अखिल भारतीय योग	बिहार
1969	466·3	141·9
1970	485·7	143·1
1971*	445·2	128·4

(ख) से (घ) : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1971-72 के दौरान बिहार के रांची जिले में बाक्साइट के लिए, पलामू जिले में ग्रेफाइट के लिए और सिंघभूम जिले में स्वर्ण के लिए अन्वेषण किए ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विगत दस वर्षों के दौरान किए गए गहनतम खनिज समन्वेषण के परिणामस्वरूप, सिंघभूम जिले में ताम्र अयस्क के 980 लाख टन, रांची और पलामू जिलों में बाक्साइट के 490 लाख टन, सिंघभूम जिले में क्रोमाइट के 4·70 लाख टन, सिंघभूम जिले में कांच बालू के 51·10 लाख टन, शाहाबाद, हजारीबाग और पलामू जिलों में फलक्स और सीमेन्ट श्रेणी चूनाश्म की पर्याप्त उपलभ्य राशियां शाहबाद जिले में पाइराइट की 710 लाख टन और कोयले की पर्याप्त उपलभ्य राशियाँ प्रावकलित की गई समन्वेषण के अतिरिक्त, राज्य के 172022 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से अभी तक 95500 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र को व्यवस्थित भूवैज्ञानिक रूप से मानचित्रित किया गया है । बिहार का भूवैज्ञानिक और खनिज मानचित्र भी प्रकाशित किया गया है ।

पश्चिम बंगाल में कोयले के उत्पादन में कमी

2550. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गत दो वर्षों में कोयले के उत्पादन में 30 लाख टन से भी अधिक गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में गिरावट आने के क्या कारण हैं ; और

(ग) राज्य में कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, हां ।

(ख) पश्चिम बंगाल में कोयला उत्पादन में ह्रास के लिए निम्नलिखित प्रमुख कारण रहे हैं:

(i) रेल परिवहन में कमी ;

(ii) पश्चिम बंगाल में विधि और व्यवस्था की खराबी ;

(iii) कतिपय खानों में औद्योगिक संबंधों की समस्याएं ;

(iv) विद्युत आपूर्ति की कमी जिससे रेलवे और कोयला खानों के कार्यकरण में बाधाएं उत्पन्न हुई ।

(ग) राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप, विधि और व्यवस्था की स्थिति में और राज्य में औद्योगिक संबंधों में सारवान सुधार हुआ है । कोयला संचलन के लिए वैगनों की आपूर्ति को वर्धित करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिए, रेलवे के साथ सतत सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है । 18-5-72 को पश्चिम बंगाल सरकार ने उच्च शक्ति प्राप्त समिति भी नियुक्त की है जिसमें कोयला नियंत्रक, रेलवे और वाणिज्य के विभिन्न चेम्बरों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । पश्चिम बंगाल में रेल परिवहन में सुधार के लिए उपाय ढूंढने हेतु समिति की पाक्षिक बैठक होती है ।

उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला खानों का पुनर्गठन

2551. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला खानों का पुन-विनियोजन और पुनर्गठन करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर कितनी लागत आएगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने पोलेण्ड की एक फर्म, मैसर्स कोपेक्स के साथ भारत कोकिंग कोल को विशेषज्ञीय और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने और राष्ट्रीयकृत कोककारी कोयला खानों के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करने में सहयोग के लिए करार सम्पादित किया है । इस संबंध में प्रारम्भिक अध्ययन प्रगति पर है ।

(ख) और (ग) : मुख्य विशेषताएं और उनकी अनुमानित लागत के बारे में जानकारी साध्यता रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात ही उपलब्ध होगी ।

इस्पात का मूल्य

2552. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भारत में खुले बाजार में इस्पात का मूल्य गिर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) अभी हाल तक इस्पात के कई वर्गों की मांग की अपेक्षा उनकी उपलिब्ध कम थी । इस स्थिति का सामना करने के लिए किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल है : तकनीकी सुधारों, अच्छे औद्योगिक संबंधों तथा संधारण में सुधार आदि के द्वारा देशीय उत्पादन में वृद्धि, प्रमुखतः दुर्लभ किस्म की वस्तुओं की आयात नीति को उदार बनाना निर्यात का विनियमन, वितरण प्रणाली को दोषरहित बनाना, इस्पात से आबंटन का दुरुपयोग रोकना, न्यायालय व्यादेशों द्वारा रोके गये पनबेंलन योग्य इस्पात की काफी मात्रा का उपलब्ध हो जाना, तथा विद्युत भट्टियों को स्थापना को प्रोत्साहन देना । संभवतः इन उपायों के संचित प्रभाव के कारण खुले बाजार में इस्पात की कई किस्में जैसे कड़ियाँ, चैनेल्स, एंगिल्स आदि के मूल्यों में कमी का रुख है ।

विवरण

(रुपये प्रति टन)

	जुलाई 1972	अगस्त 1972	सितम्बर 1972	अक्टूबर 1972
क. छड़ और गोल छड़ (आफ ग्रेड 12 मि० मी०)				
दिल्ली	1763	1850	1725	1650
बम्बई	1775	1750	1725	1620
कलकत्ता	1675	1650	1638	1650
ख. कंडिया (आफ ग्रेड 150, 75 मि० मी०)				
दिल्ली	3100	3150	2850	2300

बम्बई	2700	2725	2650	2400
कलकत्ता	2835	2750	2500	2400
ग. चैनल (आफ ग्रेड, 50 मि० मी०)				
दिल्ली	2400	2475	2475	1700
बम्बई	2500	2075	1850	1600
कलकत्ता	2650	2400	2000	1600
घ. सेंगल (50 50 मि० मी०)				
दिल्ली	1825	1788	1738	1700
बम्बई	1900	1900	1850	1900
कलकत्ता	1800	1800	1825	1850
ङ. प्लेटें (आफ ग्रेड 6 मि० मी०)				
दिल्ली	2175	2125	2000	2100
बम्बई	2100	2100	2200	2300
कलकत्ता	1950	1975	2000	2000
च. गर्म बेलित चादरें (अपरीक्षित 10-14 गेज)				
दिल्ली	2000	2000	1900	2000
बम्बई	1950	2000	2050	2200
कलकत्ता	1950	1900	1875	1850
छ. ठण्डी बेलित चादरें (अपरीक्षित 20 गेज)				
दिल्ली	2350	2313	2188	2100
बम्बई	2225	2200	2300	2250
कलकत्ता	2325	2275	2150	2200
ज. जस्ती सादी चादरें (24 गेज)				
दिल्ली	3575	3550	3350	3600
बम्बई	3200	3400	3450	3500
कलकत्ता	3275	3150	3000	3100

प्रबन्ध में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

2553. **श्री धन सिंह भौरा :**

डा० गोविन्द दास रिछारिया :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के प्रतिनिधि लेने की योजना को कार्यरूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने उपक्रमों के निदेशक बोर्डों में श्रमिकों के प्रतिनिधि लिये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) और (ख) : सरकार ने परख के

आधार पर कुछ सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में प्रबन्धमण्डल में श्रमिकों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु एक योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। सर्व प्रथम इस योजना को हिन्दुस्तान एंटीबाओटिक्स लिमिटेड, पिम्परी में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

खेतिहर मजदूरों के लिए विषद् रूप में श्रमिक कानून

2555. **श्री० वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध अधिकांश श्रमिक कानून खेतिहर मजदूरों पर लागू नहीं होते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या खेतिहर मजदूरों के लाभार्थ विषद कानून बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 और श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 कृषि सम्बन्धी श्रमिकों पर लागू होते हैं। कृषि संबंधी प्रतिष्ठानों को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की सीमा से बाहर नहीं निकाला गया है। कृषि कार्य जो व्यापारिक रूप में चलाये जाते हैं, वे भी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत आते हैं। इस समय कृषि-सम्बन्धी श्रमिकों के लाभ के लिए कोई व्यापक कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है, तथापि, राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा प्रस्तावित अनेक उन्नति-कारक उपायों को राज्य सरकारों और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही के लिए सिफारिश की गई है।

खेतिहर श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण

2556. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि खेतिहर श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण उचित रूप से हो ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में, जहाँ तक यह केन्द्रीय क्षेत्र में पड़ते हैं, केन्द्रीय सरकार ने 25 अगस्त, 1972 को मसौदा प्रस्ताव अधिसूचित किये हैं। प्रस्तावों पर टिप्पणियों की प्राप्ति हेतु तीन महीने दिये गये हैं।

नौसेना की प्रगति के लिए जहाज निर्माण का विकास

2557. **श्री एस० ए० मरूगनन्तम** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना का विकास अधिकांशत: देश में जहाज निर्माण उद्योग की प्रगति पर निर्भर करता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या नौ-सेना के लिए आवश्यक जहाजों के निर्माण को विशेष महत्व देकर देश में जहाज निर्माण उद्योग का विकास करने के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन। देश में जहाज निर्माण उद्योग की प्रगति से नौसेना विकास में सहायता मिलेगी।

(ख) हमारे जहाज-निर्माण यार्ड पहले ही युद्धपोत तथा विभिन्न प्रकार के अन्य नौसैनिक जहाजों का निर्माण कर रहे हैं। यह क्षमता उत्तरोत्तर बढ़ाई जा रही है।

दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री की भारत यात्रा

2558. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1972 में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया था;

(ख) प्रधान मंत्री से हुई भेंट में किन किन विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) क्या व्यापार के विकास तथा अन्य विषयों के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ था; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) बातचीत द्विपक्षीय हित के मुद्दों पर हुई । दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री ने प्रायद्वीप की स्थिति पर भी बातचीत की ।

(ग) पत्रों का आदान-प्रदान जो 1964 में हुआ था, उसी ढांचे के अन्तर्गत दोनों देशों के बीच व्यापार होता है । यह व्यवस्था अब भी लागू है । दोनों पक्ष व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

इस्पात संयंत्रों के अध्यक्षों और प्रबन्धकों की नियुक्ति

2559. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, भिलाई बोकारो, और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के अध्यक्षों और महा-प्रबन्धकों के नाम क्या हैं, और इस स्तर के इस्पात कारखानों का प्रबन्ध करने सम्बन्धी उनका अनुभव तथा उनकी अर्हताएं क्या हैं;

(ख) क्या सरकार अथवा एच० एस० एल० ने बड़े इस्पात संयंत्रों के प्रबन्धक अथवा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम योग्यता और अनुभव निर्धारित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों के वर्तमान महाप्रबन्धकों तथा बोकारो स्टील लि० के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के नाम, अर्हताएं तथा अनुभव विवरण में दिये गये हैं ।

(ख) और (ग) : सरकार अथवा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस्पात कम्पनी के अध्यक्ष अथवा इस्पात कारखाने के महा प्रबन्धक की नियुक्ति के लिए इस प्रकार की ऐसी कोई विशेष अर्हताएं तथा अनुभव निर्धारित नहीं किये हैं । फिर भी, सरकार की यह नीति है कि ऐसे पदों पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा वित्तीय प्रबन्ध के क्षेत्रों में प्रमाणित योग्यता वाले व्यक्ति होने चाहिए । सामान्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे उच्च पदों पर नियुक्तियां विभिन्न स्रोतों से तैयार किये गये उपयुक्त व्यक्तियों की नामिका से की जाती है । ये नामिकाएं सरकार द्वारा विशेष रूप से गठित नामिका बनाने वाले प्रवरणबोर्ड द्वारा सरकार के लिए तैयार की जाती है ।

विवरण

दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो तथा राउरकेला इस्पात कारखानों के महा प्रबन्धकों तथा अध्यक्ष के नाम तथा उनकी अर्हताएं एवं अनुभव

क्रम सं०	इस्पात कारखाने के अध्यक्ष/महा प्रबन्धक का नाम तथा पदनाम	अर्हताएं	अनुभव
1.	श्री पी० आर० अहूजा, महा प्रबन्धक	मकेनिकल इंजीनियरिंग	जुलाई, 1956 में भिलाई इस्पात

प्रबंधक भिलाई इस्पात कारखाना	में डिप्लोमा	कारखाने में सहायक इंजीनियर के रूप में कार्य भार संभाला। तब से निर्माण तथा परिचालन दोनों ही क्षेत्रों के विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं जिन में इसी कारखाने में मुख्य अधीक्षक (बेलन मिल) सहायक महा अधीक्षक तथा महा-अधिक्षक के पद सम्मिलित हैं। अक्तूबर 1971 में महा प्रबन्धक नियुक्त किये गये।
2. डा० पी० एल० अग्रवाल, महा प्रबन्धक राउरकेला इस्पात कारखाना	बी० एस० सी० (मेटालर्जी पी० एच० डी० (शेफिल्ड)	जनवरी 1961 में असिस्टेंट चीफ फयल इंजीनियर के रूप में राउरकेला इस्पात कारखाने में कार्यभार सभाला विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं जिनमें अगस्त, 1969 तक उसी कारखाने में मुख्य अधीक्षक तथा सहायक महा-अधीक्षक के पद सम्मिलित हैं अक्तूबर, 1971 में महाप्रबन्धक का कार्यभार संभालने से पहले मिश्रित इस्पात कारखाना दुर्गापुर तथा बोकारो इस्पात कारखाने में महा अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं।
3. श्री बगारम तुलपुले, महाप्रबंधक दुर्गापुर इस्पात कारखाना।	बी० ई० (इलैक्ट्रीकल)	यह एक प्रसिद्ध मजदूर संघ नेता है। विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं जैसे राष्ट्रीय श्रम आयोग के उत्पादिता तथा प्रोत्साहन अध्यक्ष दल के अध्यक्ष तथा निर्माण उद्योग अध्ययन दल के अध्यक्ष। औद्योगिक न्यायाधिकरण में सलाहकार/ आटोमेशन समिति के सदस्य। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष।
4. श्री एम० सोधी, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, बोकारो स्टील लि०।	एम० ए० बी० एस० सी० (आनर्स) इंजीनियरिंग (लंदन) डी० एल० सी० (आनर्स) (लोबोरो) (आटो-मोबाइल) इंजीनियरिंग ए० एम० आई० एम० ई० (लंदन) उद्योग-प्रबन्ध सेवा के अधिकारी।	सहायक वर्क्स मैनेजर, राइफल फैक्ट्री, ईसापुर रक्षा मंत्रालय में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी। भारी वाहन प्रायोजना, अबादी, में महा प्रबन्धक। बोकारो स्टील लि० में प्रबन्ध निदेशक।

बोकारो इस्पात कारखाने में दूसरी, तीसरी और चौथी धमन भट्टियों को चालू करने के लिए निर्धारित तिथियां

2560. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने में प्रथम चरण में दूसरी, तीसरी और चौथी धमन भट्टियों को पूरा करने तथा चालू करने की निर्धारित तिथियां क्या हैं;

(ख) दूसरी, तीसरी, और चौथी धमन भट्टियों को पूरा करने में अब तक कितनी प्राप्ति हुई है; और

(ग) पहली धमन भट्टी को पूरा करने तथा चालू करने में अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है और इसके चालू होने के पश्चात से धमन भट्टी में कुल कितना उत्पादन हुआ था ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण में केवल तीन धमन भट्टियों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। प्रथम धमन भट्टी 3 अक्तूबर, 1972 को चालू की गई थी जबकि कार्यक्रम के अनुसार दूसरी और तीसरी धमन भट्टियां क्रमशः दिसम्बर, 1973 तथा मार्च, 1974 में चालू की जायेंगी।

(ख) दूसरी धमन भट्टी का सिविल कार्य लगभग पूरा हो गया है तथा ढांचों और उपस्करों की स्थापना का काम तेजी से हो रहा है। तीसरी धमन भट्टी के लिए भट्टी तथा सम्बद्ध एककों की नीवें डाली जा चुकी हैं और अन्य सिविल कार्य पूर्ण होने वाले हैं।

(ग) प्रथम धमन भट्टी समूह की विभिन्न इकाइयों पर कुल 146 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय होने का अनुमान है। 23 नवम्बर 1972 तक प्रथम धमन भट्टी के 57,140 टन गर्म धातु का उत्पादन किया है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए परामर्शदाता

2561. **श्री आर पी० उलगनम्बी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील लिमिटेड के मुख्य परामर्शदाताओं के नाम क्या हैं जिन्हें 40 लाख टन के उत्पादन की अवस्था में संयंत्र को लाभप्रद बनाने के लिए बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार के लिए योजना बनाने का काम सौंपा गया था; और

(ख) बोकारो स्टील लिमिटेड ने भारतीय परामर्शदाताओं को अब तक कुल कितना परामर्श-दात्री शुल्क दिया है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) बोकारो इस्पात कारखाने के 17 लाख मीटरी टन से 40 लाख मीटरी टन तक के विस्तार के लिए मुख्य सलाहकार हिन्दुस्तान स्टील लि० का केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो है।

(ख) बोकारो स्टील लि० द्वारा भारतीय परामर्शदाताओं को अब तक परामर्श कार्यों के लिए दी गई कुल फीस नीचे दी गई है :

१. मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी

(१) प्रथम चरण के लिए 180·94 लाख रुपये

(२) द्वितीय चरण के लिए 80·00 लाख रुपये

२. केन्द्रीय इंजीनियरी तथा रूपांकन ब्यूरो

द्वितीय चरण के लिए 300·00 लाख रुपये

बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण से होने वाली अनुमानित आय

2562. **श्री आर० पी० उलगनम्बी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण से होने वाली आय का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) : जैसा कि लोक सभा में 23 नवम्बर, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1440 के उत्तर में बताया गया था बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण में हानि होने की सम्भावना है । इस समय हानि का ठीक-ठीक पता लगाना कठिन है ।

युद्ध विधवाओं के लिए मकान

2563. **डा० कर्णी सिंह :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी युद्ध विधवाओं की संख्या क्या है जिनके पास अपना मकान नहीं है ;

(ख) क्या उन्हें मकान देने की कोई योजना सरकार ने बनवाई है ; यदि हां, तो कुल कितने मकान बनाने का प्रस्ताव है ;

(ग) उन्हें कब तक युद्ध विधवाओं को दिया जायेगा ; और

(घ) मकानों के आबंटन के लिए क्या मापदण्ड अपनाया गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) : 1971 के युद्ध में हुई विधवाओं की कुल संख्या 2305 है । राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में आवास/अवासीय प्लाटों का आबंटन भी एक भाग है । इस बात पर विचार किया गया है कि ऐसे आबंटन व्यक्तिगत मामलों और पारिवारिक ढांचे में आवास मुहय्या किये जाने की सामान्य आवश्यकता को ध्यान में रखकर और संबंधित परिवारों की सुविधा को ध्यान में रखकर किये जाने चाहिए । विभिन्न राज्यों के संबंध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश

राज्य सरकार इस बात पर सहमत हुई है कि युद्ध में हुई विधवाओं को उपयुक्त आवास निःशुल्क दिया जाए ।

असम

राज्य सरकार विचाराधीन है ।

बिहार

राज्य सरकार द्वारा संक्रियाओं में मृत सैनिकों के परिवारों के लिए उनके परिवारों द्वारा चुने

गए स्थानों पर आवास निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 12·5 लाख रुपए की एक गृह निधि स्थापित की है। इसके अतिरिक्त पटना में उनके लिए 270 मकान आरक्षित किए गए हैं।

दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण युद्ध के कारण हुई विधवाओं को इमदाद के रूप में कम मूल्य पर मकानों के प्लाट आबंटित कर रहा है। मध्यम और निम्न आय वर्ग की योजनाओं के अन्तर्गत फ्लेटों की भी आर्थिक सहायता की दरों/किराये पर आबंटित कर रहा है।

गुजरात

राज्य सरकार युद्ध के कारण हुई विधवाओं को उपयुक्त आवास देने को सहमत हो गई है।

हरियाणा

राज्य सरकार युद्ध के कारण हुई प्रत्येक विधवा को उपहार में एक मकान देने के लिये विशेष संगठन के अनुरोध पर विचार कर रही है।

हिमाचल प्रदेश

युद्ध के कारण हुई प्रत्येक विधवा को एक मकान उपहार में दिए जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

जम्मू और कश्मीर

युद्ध के कारण हुई प्रत्येक विधवा को एक मकान उपहार में दिए जाने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

केरल

केरल सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि युद्ध के कारण हुई प्रत्येक विधवा को एक मकान मुफ्त में दिया जाएगा यदि उसके पास पहले से कोई मकान न हो। जो लोग अपने वर्तमान मकानों में सुधार करना चाहते हों वे राज्य सरकार से 5000 रुपए की राशि प्राप्त करने के पात्र हैं।

मध्य प्रदेश

राज्य सरकार ने जे० सी० ओ० और अन्य रैंकों की विधवाओं के लिए उनके द्वारा चुने गए स्थानों पर 10,000 रुपए की लागत के और अफसरों की विधवाओं के लिए 15,000 रुपए की लागत के छोटे घर बनाने का निर्णय किया है। स्थानों का सर्वे पूरा कर लिया गया है।

महाराष्ट्र

राज्य सरकार के विचाराधीन है। युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों को, यदि वे चाहे, 200 वर्ग मीटर के आवासीय प्लाट दिए जा रहे हैं।

मैसूर

राज्य सरकार युद्ध के कारण हुई प्रत्येक विधवा को उसकी इच्छा के स्थान पर एक मकान उपहार में दे रही है।

मणिपुर

युद्ध में मृत सैनिकों के भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आवासीय भूमि आबंटित की जाएगी। उपयुक्त आवास का आबंटन विचाराधीन है।

नागालैंड

युद्ध में मृतकों के परिवारों और आश्रित को मकान बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति अफसर 15,000 रुपए और प्रति जे० सी० ओ० । अन्य रैंक को 10,000 रुपए का नकद अनुदान दिया जा रहा है ।

उड़ीसा

उपयुक्त आवास उपहार में दिए जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

पंजाब

युद्ध के कारण हुई प्रत्येक विधवा को उपहार में आवास दिये जाने अथवा निर्माण करने की एक योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है । इम्प्रुमैंट ट्रस्ट के मकानों को बिना लाभ-बिना हानि के आधार पर आबंटित किये जाने की भी व्यवस्था की गई है ।

राजस्थान

राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

तमिलनाडू

युद्ध के कारण हुई प्रत्येक विधवा को एक मकान ऋण उपहार में दिए जाने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है । मामले पर उनसे चर्चा की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार ने 42, लाख रुपए की कुल लागत से आवास निर्माण करने की एक योजना बनाई है । उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार सम्पूर्ण कार्यक्रम के दिसम्बर 1973 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

पश्चिमी बंगाल

बात-चीत के दौरान राज्य सरकार इस बात पर सहमत हुई है कि प्रत्येक जे० सी० ओ० और अन्य रैंकों की विधवाओं को निःशुल्क उपयुक्त आवास और अफसरों की विधवाओं को किराया-खरीद आधार पर मुहैया करने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

त्रिपुरा

राज्य सरकार ने युद्ध के कारण हुई विधवाओं के लिए आवास बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग को पहले से ही आदेश जारी कर दिये हैं ।

मिज़ोरम

1971 के युद्ध में मृतकों के परिवारों को मकानों पर 3500 रुपए प्रति मकान खर्च करने के प्रश्न पर राज्य सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है ।

मेघालय

राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

अरुणांचल

राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

2. राज्य सरकार को शीघ्र कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया है ।

इस्पात संयंत्रों में उत्पादन पर होल्डिंग कम्पनी का प्रभाव

2564. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के लिए स्थापित की गई होल्डिंग कम्पनी का सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता के उपयोग पर और उनको होने वाली हानि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की स्थापित क्षमता का दृष्टतम उपयोग और उनका कुशल परिचालन और लाभ मूलत: प्रबन्धकों अर्थात् हिंदुस्तान स्टील लि० का काम है, जो अब स्टील होल्डिंग कम्पनी की एक सहायक कम्पनी होगी । स्टील होल्डिंग कम्पनी की स्थापना से अधिक कारगर ढंग से देखभाल और तालमेल तथा विशिष्ट परामर्श-सेवाओं द्वारा इन दिशाओं में काफी सहायता मिलेगी । इसके अलावा स्टील होल्डिंग कम्पनी के नियन्त्रण में अन्य कई क्षेत्र भी होंगे जिनका कोकिंग कोयले, लोह-खनिज और मैंगनीज जैसे उद्योगों के लिये आवश्यक आदान (इनपुट्स) के बड़े सम्भारकों के रूप में इस्पात उद्योग से घनिष्ट सम्बन्ध है । इससे होल्डिंग कम्पनी लंबमान एकीकरण द्वारा मितव्ययिता और निविष्ट उद्योगों के विकास में अधिक समन्वय ला सकेगी ।

निवेली लिग्नाइट निगम में हानि

2565. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेली लिग्नाइट निगम पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ;

(ख) क्या इस निगम को 1971–72 में अत्यधिक हानि हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) 31-10-72 को नौवेली लिग्नाइट निगम में विनिहित की गई कुल राशि निम्न प्रकार से थी :

	(करोड़ रुपयों में)
साम्या	80·00
ऋण	102·78

(ख) निगम ने 13·32 करोड़ रुपयों (1971–72 में अनन्तिम) की हानि उठाई ।

(ग) मुख्यत: लिग्नाइट खनन में औद्योगिक कठिनाइयों, जिनके फलस्वरूप लिग्नाइट का कम उत्पादन, जो विद्युत और ब्रिक्वेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र को उच्चतम स्तर पर परिचालित करने के लिए अपर्याप्त रहा है और उर्वरक संयंत्र डिजाइन, प्रक्रिया और संक्रियात्मक कठिनाइयों के परिणामस्वरूप यूरिया के कम उत्पादन के कारण नैवेली लिग्नाइट निगम को हानि होती रही है ।

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में और हैंडलिंग प्लांट के रोगी कर्मचारियों से प्रतिवेदन

2567. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में और हेन्डलिंग प्लांट में अनियंत्रित लौह अयस्क की धूल के कारण कुछ कर्मचारी क्षयरोग, छाती में दर्द और प्लूरिसी के रोग से पीड़ित हैं;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) : आवधिक डाक्टरी जांच के दौरान विशाखापत्तनम पत्तन के अयस्क हैंडलिंग प्लांट के केवल चार श्रमिकों को क्षयरोग से ग्रस्त पाया गया। परन्तु यह प्लांट में लोह अयस्क की धूल कारण नहीं था, क्योंकि डाक्टरी जाँच से पता चला कि वे विशाखापत्तनम पत्तन में नियुक्ति से पूर्व ही इस रोगों के शिकार हो चुके थे। लोह अयस्क की धूल के कारण छाती में दर्द और प्लयूरिसी के कोई मामले नहीं पकड़े गए।

(ख) जी, हां।

(ग) चार श्रमिकों का इलाज किया गया था और क्षयरोग के लक्षण कम हो गए थे। विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने श्रमिकों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए विस्तृत संरक्षणात्मक उपाय किए हैं।

कच्छ में लिग्नाइट के निक्षेप

2568. **श्री महीपतराय मेहता** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के कच्छ जिले में लिग्नाइट के बड़े बड़े निक्षप पाये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और गुजरात सरकार द्वारा किये गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, गुजरात के कच्छ जिले में उमरसार, मातानोलाफी, जुलाराय वपापडार, फान्द्रो अक्रीमोटा, घेवादी और मान्डवी में सात निक्षेपों से विभिन्नता अतिभार अनुपात के साथ लगभग 2040 लाख टन लिग्नाइट की उपलंभ्य राशियां प्राक्कलित की गई हैं।

(ख) गुजरात सरकार ने कुच्छ लिग्नाइट का समुपयोजन कार्य गुजरात खनिज विकास निगम को समनुदेशित किया गया है जो एक राज्यउद्यम है। केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, जीलगोरा द्वारा लिग्नाइट के प्रयोग के बारे में सितम्बर, 1972 में प्रस्तुत प्रौद्योग-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट इस समय अध्ययनाधीन है और उसका गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

2569. **श्री ए० एस० कस्तूरे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-4-1972 को भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग में कर्मचारियों की, श्रेणीवार, संख्या कितनी थी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जनातियों की अपेक्षित प्रतिशतता न बनाये रखने के कारण हैं; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को भर्ती के समय विशेष रियायतें दी जाती हैं और क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की संख्या में कमी को देखते हुए ये रियायते पर्याप्त हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अनुसूचित जाति/जन जातियों के लिए आरक्षित पदों में कमी का कारण उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता है। अत्यधिक प्रत्यनों के बावजूद भी उन पदों के लिए जिनमें तकनीकी और वैज्ञानिक अर्हताएं अपेक्षित हैं, जनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं। इस विषय पर सरकारी अनुदेशों के अनुसार जहां भी अपेक्षित होगा, आरक्षरण को अग्रनीत के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को भर्ती करने के लिए प्रयत्न जारी रहेगे।

(ग) जी, हां।

विवरण

क्रम संख्या	पदों की श्रेणी	1 अप्रैल, 1972 की पद संख्या	अनुचित जाति/जनजातियों की संख्या अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	श्रेणी–1	1015	29	शून्य
2	श्रेणी–2	620	10	3
3	श्रेणी–3	4935	109	77
4	श्रेणी–4	2195	488	83

इण्डियन पेटल्प एण्ड फेरो अलायज लिमिटेड द्वारा फेरो सिलिकोन की बिक्री

2571. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इण्डियन मेटल्स एण्ड फेरो अलायज लिमिटेड, उड़ीसा में कोरापुर में थीरुवेली में अपने कारखाने से फेरो सिलिकोन बेचता है;

(ख) यदि हां, तो फेरो सिलिकोन का प्रतिशत बाजार मूल्य क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि यह कम्पनी इसके प्रबन्धक निदेशक के सम्बन्धियों की एक विक्रय एजेंसी के माध्यम से फेरी रिबन बेचती है; और

(घ) यदि हां, तो यह कम्पनी इस विक्रय एजेंसी को यह उत्पादन प्रति टन किस दर पर बेचती है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (घ) : जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पता लगाये गये खनिज निक्षेपों का उपयोग

2572. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खनिज निक्षेपों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खनिजों की इस खोज से राज्य में औद्योगीकरण की नई सम्भावनाएं पैदा हो गई हैं;

(ग) क्या इस खनिज विदोहन इस समय संतोषजनक ढंग से चल रहा है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनके अधिकतम विदोहन के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) और (ख)** : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विगत वर्षों में किए गए अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप राजस्थान में लगभग 8,000 करोड़ रुपयों के मूल्य के ताम्र, सीसा, जस्ता, पाइराइट–पाइरोटाइट (गन्धक), फास्फोराइट, जिप्सम और चूनाश्म के निक्षेप प्रमाणित किए गए हैं जिससे राज्य में औद्योगिकीकरण के मार्ग को त्वरित करने में बहुत समय लगेगा ।

(ग) और (घ) : राज्य सरकार द्वारा अपने निजी संसाधनों अथवा प्राईवेट दलों के माध्यम से साधारणतः लघुत्तर निक्षेप विकसित किये जाते हैं । प्रधान आर्थिक निक्षेपों का जहाँ बृहद् विनिधान अन्तर्वलित है, समुपयोजन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है । अभी तक सरकार ने राज्य में ताम्र, फास्फोराइट और सीसा-जस्ता निक्षेपों का समुपयोजन किया है । हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड द्वारा खेतड़ी और कोलिहान में के ताम्र निक्षेपों का समुपयोजन किया जा रहा है । उदयपुर जिले के माटीन रॉक फास्फेट निक्षेपों का अन्वेषण सम्पूरित हो गया है और इस निक्षेप को अन्वेषण के लिए हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को सौंप दिया गया है । हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की बलारिया (जावर खान) में सीसा-जस्ता खान के उत्पादन को वर्धित करने की योजनाएं हैं । हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा राजपुरा-दरीबा के समीप बहुधातु निक्षेप को समुपयोजन के लिए लिया गया है । सीकर जिले के सलादिपुर पाइराइट निक्षेप को पाइराइट, फास्फेट और केमिकल्स लिमिटेड को समुपयोजन के लिए सौंप दिया गया है ।

दिल्ली में रोजगार, दफ्तरों में पंजीकृत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवार

2573. **श्री भागीरथ कंवर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उन उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1970 से सितम्बर, 1972 तक रोजगार कार्यालयों में अपने नाम दर्ज करवायें हैं;

(ख) उनमें से ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है जिनको सरकारी और गैर-सरकारी संसाधनों से प्राप्त अधिसूचनाओं के मिलने पर रिक्त स्थानों के लिए इन्टरव्यू पत्र जारी किये गये थे और उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है; और

(ग) धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) रोजगार अवसरों में वृद्धि नौकरी चाहने वालों की संख्या में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं रही है ।

विवरण

समयावधि	समयावधि के दौरान पंजीकृत किए गए उम्मीदवारों की संख्या		समयावधि के दौरान नौकरी के लिए* भेजे गए उम्मीदवारों की संख्या		समयावधि के दौरान नियुक्त** किए गए उम्मीदवारों की संख्या	
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1970	16,191	483	16,849	2,251	1,410	87

1971	16,292	577	18,627	2,984	1,047	147
1972+ (जनवरी-जून)	9,040	283	8,481	1,303	446	63
योग	41,523	1,343	43,957	6,538	2,903	297

* इनमें वे उम्मीदवार भी शामिल हैं जिन्हें एक से अधिक नियुक्ति के लिए भेजा गया हो।

** 1970 से 1972 (जनवरी-जून) की समयावधि के दौरान नियोजित उम्मीदवारों की संख्या का, इस समयावधि के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों से, जिनके बारे में अलग रूप से सूचना उपलब्ध नहीं है, अनिवार्यतः संबंध नहीं सकता।

\+ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के संबंध में आंकड़े प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्ध वार्षिक अन्तरालों पर एकत्र किये जाते हैं।

नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन में यूरिया तथा विद्युत का उत्पादन

2574. **श्री झा किर्लतनन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में यूरिया तथा विद्युत का उत्पादन काफी घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक घट गया है ; और

(ग) इस कमी के मुख्यतः क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) : नैवेली में विद्युत-जनन और यूरिया-उत्पादन में कमी हुई है। नीचे दी गई सारणी विगत चार वर्षों के दौरान लक्ष्य और अभिप्राप्त वास्तविक उत्पादन को दर्शित करती है :

वर्ष	विद्युत (लाख एकक)		यूरिया (टनों में)	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
1969–70	24000	22420	100000	88,166
1970–71	18800	18010	75,000	68,588
1971–72	21150	21680	50,000	43,079
1972–73	19200	10310	90,000	27,109
	(अप्रैल से अक्तूबर, 72 तक)		(अप्रैल से अक्तूबर, 72 तक)	

(ग) विद्युत : विद्युत-जनन में कमी का कारण खान से अपर्याप्त लिग्नाइट आपूर्ति है। मार्च, 72 में विशेषज्ञीय समिति द्वारा, जो लिग्नाइट खानों की असंतोषजनक कार्यकरण के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों को सुझाने के लिए गठित की गई थी, की गई सिफारिशों को दृष्टि में लाते हुए लिग्नाइटन-उत्पादन को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

(i) निगम कतिपय अतिरिक्त खनन और अनुभागिक उपस्कर की उपाप्ति कर रहा है, जिसके चालू किए जाने से यह आशा की जाती है कि निगम 1974–75 से आगे 45 लाख टन के वार्षिक उत्पादन स्तर तक पहुंच जाएगा।

(ii) लिग्नाइट-उत्पादन को 60 से 65 लाख टन प्रतिवर्ष सवर्धन के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(iii) खानों से अतिभार उत्पादन को सुधारने के लिए संवर्धित धमन द्वारा भूमि की पूर्व-तैयारी को तीव्रतर किया जा रहा है।

(iv) खनन उपस्कर के उत्तमतम उपयोजन और व्यय-स्तरों में कमी करने की दृष्टि से खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(v) निवारक अनुरक्षण के कार्यक्रम को सम्मिलित कर उपस्कर के अनुरक्षण के लिए सारिणी को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

ऊपर लिखित कदमों के अतिरिक्त, नैवेली विद्युत गृह के कुछेक अकार्यरत एककों को या तो कोयला या तेल-फायरिंग में संपरिवर्तित करने की सम्भाव्यता की जाँच करने के लिए सरकार ने तकनीकी समिति नियुक्त की है। इस समिति ने केवल हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है जिसका इस समय सरकार द्वारा परीक्षण किया जा रहा है।

यूरिया :

यूरिया के उत्पादन में डिजाइन प्रौद्योगिकी सक्रिया और अनुरक्षण-समस्याओं के कारण कमी हुई है। इस समय उर्वरक संयंत्र में अधिक मरम्मतें, उपान्तरण और सुधार किए जा रहे हैं। लगभग 55% कार्य सम्पूरित हो चुका है और बाकी कार्य के एक वर्ष के भीतर सम्पूरित होने की आशा है। आशा की जाती है कि निर्धारित क्षमता का 80–85% तक उत्पादन उक्त मरम्मतों/उपान्तरणों के सम्पूरित हो जाने पर अभिप्राप्त हो जाएगा।

दण्डकारण्य परियोजना में उमेरकोट से रायगढ़ जाने वाली सड़क का उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरण

2575. **श्री के० प्रधानी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उमेरकोट से रायगढ़ जाने वाली सड़क को उड़ीसा सरकार को हस्तान्तरित किए जाने के क्या कारण हैं जबकि यह सड़क दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में आती है ;

(ख) क्या प्राधिकारी इसे मरम्मत आदि के लिए वापस लेना चाहते हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) से (ग)** : वर्तमान नीति के अनुसार, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत के उपरान्त, सड़कें अपनी-अपनी राज्य सरकारों को सौंप दी जाती हैं।

उमरकोट से रायगढ़ जाने वाली सड़क पापदहाण्डी-लिकमा सड़क का ही भाग है जिसे कि मरम्मत के लिए 1959 में उड़ीसा सरकार से लिया गया था। उमरकोट लिकमा सड़क के भाग की 8·03 लाख रुपये की लागत से मरम्मत करके उड़ीसा सरकार को जून, 1965 में हस्तान्तरित कर दी गई है।

चूंकि मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका था और सड़क पहले ही हस्तान्तरित की जा चुकी है, अब इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसलिये इसे बनाए रखने के लिए दण्डकारण्य प्राधिकारी सड़क को वापस नहीं लेना चाहते हैं।

डण्डकारण्य परियोजना से बंगला देश वापिस गये परिवार

2576. **श्री के० प्रधानी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में बसे हुए कुछ परिवार इस वर्ष बंगला देश वापस गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है ; और

(ग) परियोजना में उनके द्वारा छोड़ी गयी भूमि और आवासों का किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 16 दिसम्बर, 1971 से 30 दिसम्बर, 1972 को अवधि के बीच, 3,328 परिवार पुनर्वास स्थलों तथा गावों को छोड़कर चले गये थे । इन परिवारों ने परियोजना को अपनी इच्छा से छोड़ा था और सभवत: ये परिवार बंगला देश चले गए हैं ।

(ग) लगभग 30 परिवार जो लौट आए थे, उन्हें उनकी भूमि तथा मकान फिर से दे दिए गए हैं । शेष परिवारों की खाली भूमि तथा मकान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए अन्य परिवारों, जो पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं, के पुनर्वास के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं ।

दण्डकारण्य प्राधिकारियों द्वारा कृषि योग्य बनाई गई भूमि पर आदिवासी परिवारों का बसाया जाना

2577. **श्री के० प्रधानी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य प्राधिकारियों द्वारा कृषि योग्य बनाई गई भूमि के 25 प्रतिशत भाग पर आदिवासी परिवारों को बसाने के लिये उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों के पास कितनी धन राशि जमा की गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में बसाये गये स्थानीय आदिवासी परिवारों की कुल सख्या कितनी है और उसका क्षेत्र कितना है ; और

(ग) प्रत्येक परिवार को बसाने के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) मई, 1972 तक उड़ीसा सरकार को 42·18 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की गई थी । जून, 1972 तक मध्य प्रदेश सरकार को 16·32 लाख रुपये की राशि अग्रिम शेष में दी गई थी जिसमें से प्रयोग में न लाई गई 5·14 लाख की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वापस कर दी गई ।

	(ख) परिवारों की संख्या	दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा उद्धार किए गए क्षेत्र का पुन: दिया जाना ।	राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र का वितरण
उड़ीसा	2,342	17,371 एकड़	13,913 एकड़
मध्य प्रदेश	858	9,322 एकड़	7,550 एकड़

इसके अतिरिक्त, दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी ऐजेन्सियों के माध्यम से मध्य प्रदेश में 207 आदिवासी परिवारों को बसाया गया है और उनको आबटित किया गया क्षेत्र 817 एकड़ है ।

(ग) जहां मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी परिवारों को बसाया जाता है, ऐसे बसाए गए आदिवासी परिवारों के लिए दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को 2,850 रुपये प्रति परिवार दिए जाते हैं। सीधे दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण द्वारा बसाए गए परिवारों के मामले में भी प्रति परिवार औसत खर्च प्रायः इतना ही है।

इसके अलावा दण्डकारण्य परियोजना प्रत्येक आदिवासी परिवार को एलाट की गई भूमि के उद्धार तथा विकास पर भी लगभग 2,800 रुपये खर्च करती है।

क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों, जैसे-सड़कों के निर्माण, सिंचाई, बांधों आदि का भी आदिवासी लाभ उठाते हैं। प्राधिकरण द्वारा पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में उत्पन्न की गई सुख सुविधाओं का बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों के साथ आदिवासी भी लाभ उठाते हैं।

जैपुर में स्थापित की जाने वाली एल्यूमिनियम फैक्टरी का स्थानान्तरण

2578. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम कारपोरेशन कलकत्ता द्वारा जैपुर में स्थापित की जाने वाली एल्यूमिनियम फैक्टरी को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

दण्डकारण्य मुख्यालय में बेकार पड़े बुलडोजर

2579. **श्री के० प्रधानी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य मुख्यालय में कई बुलडोजर बेकार पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या उनका अन्य व्यक्तियों द्वारा किराया खरीद आधार पर उपयोग किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो उनको उपयोग में लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं।

सभी बुलडोजर, जो कार्य करने की स्थिति में हैं, उन्हें पूर्ण रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है।

(ख) **और** (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पाव संयंत्र में समस्यायें

2580. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में विद्यमान समस्याओं का कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की समस्याओं पर सतत ध्यान दिया जाता/जा रहा है।

(ख) समस्याओं में मालिक-मजदूर सम्बन्धों का लगातार खराब रहना, कोक ओवन और ओवन उपस्करों की असन्तोषजनक हालत, गैस की कमी, उपस्करों में खराबी आना और अभी हाल में दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली पर लगाए गए प्रतिबन्ध शामिल हैं।

(ग) कई उपायों द्वारा उत्पादन में सुधार करने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं यथा—कोक ओवनों की मरम्मत, कोक ओवन गैस की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक/सहायक ईंधनों का प्रयोग खुले मुंह की भट्टियों में यथा सम्भव सीमा तक आक्सीजन लैंसिंग का प्रयोग, उपस्करों की अपलब्धि को बेहतर बनाने के विचार से अच्छा रख-रखाव, पूंजीगत कार्यक्रम को तेजी से पूरा करना और फालतू पुर्जों, उष्मसह और दूसरी आवश्यक सामग्री की योजनानुसार प्राप्ति। मालिक-मजदूर सम्बन्धों के क्षेत्र में औद्योगिक झगड़ों और कठिनाइयों का तेजी से निपटाने और उत्पादन को अधिकतम करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु एक त्रि-स्तरीय सलाहकार मशीनरी बनाई गई है।

गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बैठक

2581. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य (मिश्र) के राष्ट्रपति ने गुट-निर्पेक्ष राष्ट्रों की एक बैठक का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या इस संबंध में भारत के प्रधान मंत्री को कोई नियंत्रण प्राप्त हुआ है ; और

(ग) गुट-निर्पेक्ष राष्ट्रों की यह बैठक कहां आयोजित की जायेगी और उक्त बैठक में किस विषय पर चर्चा होगी ?

विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग) : संयुक्त राष्ट्र महासभा की 28वीं बैठक से पहले अगले वर्ष गुटमुक्त देशों का शिखर सम्मेलन अल्जीयर्स में होने वाला है। इससे पूर्व ही मंत्री स्तर की प्रारम्भिक बैठक काबुल में होगी। ये निर्णय अगस्त 1972 में गुटमुक्त देशों के विदेश मंत्रियों की जाजंटाउन में हुई बैठक में लिए गए थे।

मिश्र की सरकार ने गुटमुक्त आन्दोलन को पुनः सक्रिय बनाने में रुचि दिखाई है। इस संबंध में वे भारत से सम्बन्ध बनाये हुए हैं। परन्तु उन्होंने गुटमुक्त देशों की बैठक बुलाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

सरकारी क्षेत्र के एककों में निर्धारित बोनस योजना का लागू किया जाना

2582. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी फैक्टरियों तथा संस्थानों के लिए निर्धारित 8 33 प्रतिशत बोनस की योजना सरकारी क्षेत्र के एककों पर भी लागू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि खर्च होगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत आने वाले सभी सरकारी क्षेत्र प्रतिष्ठानों पर यह वृद्धि लागू होती है। सरकारी क्षेत्र में उन प्रतिष्ठानों को भी ,जो अधिनियम के अन्तर्गत उसकी धारा 20 के उपबन्धों के आधार पर बोनस का भुगतान नहीं करते, अनुग्रहपूर्वक भुगतान करने के लिए कहा गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के सम्बन्ध में वर्ष 1971-72 के लिए अतिरिक्त दायित्व का

अनुमान लगभग 6·5 से 7 करोड़ रुपये पड़ता है ।

जम्मू और काश्मीर के अखनूर उपनगर में युद्ध-पीड़ितों द्वारा नकद बेकारी अनुदान की मांग

2583. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू व काश्मीर के अखनूर उपनगर के निवासियों ने वर्ष 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान बेघर हुए युद्ध-पीड़ितों को नकद बेकारी-अनुदान देने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार ने पृथक्-पृथक् उन्हें जिन्स तथा नकद राशि के रूप में कितनी-कितनी सहायता प्रदान की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : **(क) और (ख)** : जम्मू और काश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अखनूर उपनगर के निवासियों ने नकद अनुदान की मांग की थी, किन्तु इन लोगों को भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान जान या सम्पत्ति की कोई हानि नहीं हुई थी इसलिए इन लोगों को केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा सामान या नकद के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई थी ।

उत्पादन बढ़ाने के लिये इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में मरम्मत तथा उसका नवीकरण

2584. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का अधिग्रहण करने के बाद से इसकी मरम्मत पर तथा इसके संयंत्र तथा मशीनरी के नवीकरण पर कितनी राशि खर्च की गई तथा इस संयंत्र को इसकी निर्धारित क्षमता तक लाने में और कितनी राशि खर्च होने तथा और कितना समय लगने की सम्भावना है ;

(ख) इस कम्पनी के उत्पादन के महीने-वार आंकड़े क्या हैं, उक्त स्थापन, अधिग्रहण करने के पूर्व के दो वर्षों के इन्हीं महीनों के उत्पादन की तुलना में कितना न्यूनाधिक रहा ; और

(ग) उक्त कम्पनी सम्भवत: कब तक अपनी पूरी निर्धारित क्षमता तक पहुंच जायेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) 14-7-1972 को कम्पनी का प्रबन्ध हाथ में लेने से लेकर कम्पनी ने संयंत्र प्रतिस्थापन कार्यक्रम पर 146 लाख रुपए खर्च किए हैं । समस्त प्रतिस्थापन प्रायोजना को कार्यान्वित करने पर 4590 लाख रुपए खर्च होंगे ।

(ख) इस्पात पिण्ड का उत्पादन

(टन)

	1970	1972	
जुलाई	41,656	जुलाई 1–जुलाई 14	10,024
		जुलाई 15–जुलाई 31	13,766
			23,790
अगस्त	47,953	39,219	
सितम्बर	44,350	40,082	
अक्तूबर	56,518	42,860	

(ग) 1975–76 ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में औद्योगिक सम्बन्ध

2585. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात तथा अलोय संयंत्रों में औद्योगिक संबंधों में चालू वर्ष के दौरान कोई सुधार हुआ है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक मास में कितना-कितना उत्पादन हुआ तथा यह गत वर्ष की तुलना में कितना न्यूनाधिक है, चालू वर्ष के दौरान कितने श्रम-दिन की हानि हुई तथा गत वर्ष की तुलना में ये कितने न्यूनाधिक रहे; और

(ग) इस संयंत्र में सदा ही व्याप्त रहने वाले इस संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय सोचे गये हैं ताकि इसके कार्यकरण में सुधार हो ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने तथा मिश्र इस्पात कारखाने में गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में श्रमिक झगड़ों के कारण श्रम दिनों की हानि में कमी हुई है ।

(ख) गत वर्ष से उनकी तुलना में चालू वर्ष में प्रत्येक महीने के उत्पादन के आंकड़े निम्न-लिखित हैं :

	इस्पात पिण्ड		(हजार टन) विक्रेय इस्पात	
	1972	1971	1972	1971
दुर्गापुर इस्पात कारखाना				
अप्रैल	63·6	60·5	34·1	41·5
मई	54·6	66·8	42·9	47·7
जून	49·5	53·3	25·4	38·6
जुलाई	66·3	50·9	34·4	37·8
अगस्त	50·1	57·2	21·6	35·5
सितम्बर	63·7	35·4	34·7	20·9
अक्तूबर	64·0	45·2	47·1	29·6
जोड़	412·0	369·4	240·3	251·7

मिश्र इस्पात कारखाना	इस्पात पिण्ड		टन तैयार इस्पात	
	1972	1971	1972	1971
अप्रैल	6166	5537	3362	2802
मई	4590	5360	2326	3709
जून	3164	5326	1322	2798
जुलाई	5882	5472	4002	2834

अगस्त	6200	2797	4021	409i
सितम्बर	5937	2709	5295	1537
अक्तूबर	2551	4578	2277	2493
जोड	34490	31779	20606	20266

श्रमिक झगड़ों के कारण श्रम दिनों की हानि के आँकड़े निम्नलिखित हैं :

	1972	1971
दुर्गापुर इस्पात कारखाना (जनवरी-सितम्बर)	35,003	134,209
मिश्र इस्पात कारखाना (जनवरी-अगस्त)	19,751	37,044

(ग) श्रमिकों के झगड़ों और उनकी शिकायतों को शीघ्रता से निपटाने और उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने में मजदूरों का सहयोग प्राप्त करने हेतु दुर्गापुर में एक त्रि-स्तरीय सलाहकार मशीनरी स्थापित की गई है ।

श्रम ब्यूरों में कार्य कुशलता

2586. **श्री बसन्त साठे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम ब्यूरो की संगठनात्मक, संचालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए विदेशी विशेषज्ञ की सिफारिशों पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या उस विशेषज्ञ ने समस्त भारत में फैले हुए विभिन्न उद्योगों की श्रम समस्याओं के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अनुसंधान अध्ययन और सर्वेक्षण करने में इस संगठन के महत्व को देखते हुए श्रम ब्यूरो को भारत में किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थानान्तरित करने का सुझाव दिया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या शिमला और चण्डीगढ़ स्थित श्रम ब्यूरो के कार्यालयों को नागपुर जैसे केन्द्रीय स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3875/72]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्रम-ब्यूरो में इकोनामिदस/स्टेटिस्टिकल इन्वैस्टीगेटर्स ग्रेड-I के रिक्त पदों को भरना

2587. **श्री वी० पी० साठे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या-ब्यूरो में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम के बजाये तदर्थ पदोन्नतियां करके वर्ष 1969 से अब तक इकोनोमिदस/स्टेटिस्टीकल इन्वैस्टीगेटर्ज ग्रेड-I के कितने रिक्त पद भरे गये ;

(ख) क्या विभागीय कोटे तथा सघ लोक सेवा आयोग के कोटे के मध्य अनुपात की समानता को बनाये रखा गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) तदर्थ पदोन्नति द्वारा.....चार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अर्थात् सीधी भर्ती द्वारा... शून्य

(ख) और (ग) : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठते ।

इस्पात की चादरों के आयात पर नियंत्रण

2588. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की चादरों के आयात को नियंत्रित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी चादरों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) ऐसी चादरों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है ; और

(घ) जब देश के इस्पात संयंत्र रेल बैगनों के पटियों के लिये उपयुक्त इस्पात का भी उत्पादन करने की स्थिति में नहीं है तब ऐसी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : **(क) से (घ)** : इस्पात की विभिन्न श्रेणियों को आयात का विनियमन वर्ष 1972-73 की आयात व्यापार नियंत्रण नीति में की गई व्यवस्था के अनुसार ही किया जाता है । इस नीति की शर्तों के अनुसार "चादरों" के आयात की अनुमति है । इस नीति के विद्यमान उपबन्धों को बदलने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बंगला देश को भेजने के लिए त्रिपुरा में बाँसों तथा इमारती लकड़ी की कटाई

2589. **दशरथ देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश तथा त्रिपुरा के बीच व्यापार-वार्ता के पूरा होने से पूर्व, बंगला देश को सप्लाई करने के उद्देश्य से त्रिपुरा में बड़ी मात्रा में बांसों तथा इमारती लकड़ी की कटाई की गई थी ;

(ख) क्या उक्त बांस तथा इमारती लकड़ी अब त्रिपुरा के जंगल में बेकार पड़ी है क्योंकि उन्हें उन विशिष्ट स्थानों पर नहीं पहुंचाया जा सकता जहां बंगला देश चाहता है; और

(ग) जी हां, तो उसके लिये किन व्यक्तियों को उत्तरदायी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेनलेस स्टील का उत्पादन बन्द करने के लिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

2590. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलेस स्टील के उत्पादन में वृद्धि करने की मांग के समर्थन में दुर्गापुर अलाय इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की थी, और क्या शान्तिपूर्ण हड़ताल अभी भी चल रही है ;

(ख) क्या अलाय इस्पात संयंत्र के तकनीकी विशेषज्ञों ने कोई ऐसा ज्ञापन सरकार को दिया है

जिसमें यह कारण बताया गया है कि सीमलेस-ट्यूबों के उत्पादन को प्राथमिकता देने की अपेक्षा स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिये संयंत्र का विस्तार क्यों आवश्यक समझते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तकनीकी मामलों को अन्तिम रूप से निर्णीत करने के लिये केन्द्रीय तकनीकी विशेषज्ञों और दुर्गापुर अलाय इस्पात संयंत्र के विशेषज्ञों की एक गोष्ठी का आयोजन करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी गोष्ठी कब तक आयोजित की जायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) हिन्दुस्तान स्टील ऐम्पलाइज यूनियन तथा एलायज स्टीलज श्रमिक यूनियन ने 19 सितम्बर, 1972 को मिश्र इस्पात कारखाने में कारखाने की विस्तार योजना के प्रोडक्ट मिवस में बेदाग इस्पात की क्षमता में वृद्धि करने की अपनी माँग के समर्थन में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। इस मांग को लेकर कभी कभी शान्तिपूर्ण आन्दोलन होते रहते हैं।

(ख) एलाय स्टील एग्जेक्यूटिव एसोशियेशन से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें उसने बताया है कि वह बेदाग इस्पात की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को बिना जोड़ की ट्यूबों के उत्पादन के मुकाबले में क्यों आवश्यक समझती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) फिर भी, मिश्र इस्पात कारखाने की विस्तार योजना के लिए प्रोडक्ट मिक्स के पूरे प्रश्न पर पुनः विचार करने का प्रस्ताव है।

उद्योगों की स्थापना के लिये जापानी प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भारत की यात्रा

2591: **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए हाल में एक जापानी प्रतिनिधि-मण्डल ने भारत की यात्रा की ;

(ख) यदि हां, तो वे विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठान कौन से हैं जिनका इस दल द्वारा दौरा किया गया अथवा जिनमें इसके द्वारा रुचि दिखाई गयी ; और

(ग) क्या इस दल ने भारत सरकार को इस बीच कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो उसकी विशेषतायें क्या हैं तथा क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और उसमें दिये गये सुझावों के बारे में कोई निर्णय किया है ?

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जापानी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य रूप से इन औद्योगिक संस्थानों को देखा :

1. महेन्द्रा तेनसाइल स्टील लि० ; बम्बई :
2. तोशिबा-आनन्द फैक्टरी, कोचीन, जो बैटरी, बिजली के बल्ब और ट्यूब बनाते हैं।
3. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि० ; बंगलोर।
4. हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लि० ; बंगलोर और
5. मद्रास फर्टीलाइजर फैक्टरी।

(ग) जी नहीं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से अकाल-पीड़ित लोगों के बड़ी संख्या में जाने का समाचार

प्रो० मधु पण्डिते (राजापुर) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"खाद्यान्न और पीने के पानी की कमी के कारण महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों से अकाल-पीड़ित लोगों के हजारों की संख्या में बम्बई और पूना जैसे बड़े शहरों में जाने के समाचार तथा इस स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रिय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

कृषि मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : मानवीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न भागों में चालू वर्ष के दौरान मानसून की वर्षा कम हुई है और यह अनियमित रही है। दुर्भाग्यवश यह राज्य लगातार तीन वर्षों से सूखे से प्रभावित होता रहा है। इस समय राज्य के 25 जिले, जिनकी जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, विभिन्न परिमाण में कमी की स्थिति से प्रभावित हुए बताए जाते हैं।

2. दोनों केन्द्रीय और राज्य सरकारें प्रभावित लोगों के प्रति पूरी तरह जागरूक हैं। वस्तुतः राज्य सरकार ने लोगों को इस संकट से निजात दिलाने के लिए विभिन्न राहत उपायों में वृद्धिकर दी है। इस महीने के मध्य में 10,000 से भी अधिक कमी सम्बन्धी और विभागीय कार्य चल रहे हैं जिन से लगभग 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राहत कार्यों के लिए 23·23 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिनमें से 15 नवम्बर, 1972 तक 19·42 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं जबकि पहली जुलाई, 1972 तक केवल 2·45 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लगभग 17,000 बूढ़े, अपंग और निर्बल व्यक्तियों को मुफ्त सहायता दी गई है जिस पर 10·22 लाख रुपये खर्च हुए हैं।

3. विशेषतया औरंगाबाद और पूना डिवीजनों में पीने के पानी की अत्याधिक कमी बताया जाती है। राज्य सरकार के लिए कुछ अन्य क्षेत्रों में स्थिति भी चिन्ताजनक बनी हुई है। पीने का पानी सुलभ करने के लिए विभिन्न उपाए किए गए हैं जिनमें कुओं को गहरा करना और उनकी बोरिंग करना, बैलगाड़ियों और टैक्टरों से पानी को ढुलाई करना और सामुदायिक कुओं का कायक्रम शुरू करना, निजी कुओं में से सिल्ट निकालना, छोटी नदियों और नालों पर बांध बनाना और जिला परिषदों को विस्फोट द्वारा कुएं गहरे करने और उनकी बोरिंग करने की अनुमति देने सम्बन्धी कार्य शामिल हैं।

4. प्रभावित मवेशियों के लिए चारा सुलभ करने के लिए उपाय भी शुरू किए गए हैं और 173 मवेशी कैम्प खोलने की मन्जूरी दी गई है जिनमें लगभग 2·5 लाख मवेशियां को रखा जा सकता है।

5. कलक्टरों को 3·59 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के अलावा तकावी ऋणों के लिए 4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

6. राज्य में 23,000 से भी अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं। भारत सरकार राज्य सरकार की वितरण प्रणाली से सम्बन्धित जरूरतें पूरी करने के लिए उनकी खाद्यान्नों की सभी उचित मांगे पूरी करती रही हैं। खाद्यान्नों की अतिरिक्त सप्लाई को तेज करने का निर्णय भी दिया गया है।

7. केन्द्रीय दल ने सितम्बर, 1972 में राज्य का दौरा किया था और उनकी सिफारिशों पर

अप्रैल से अक्तूबर, 1972 की अवधि में राहत उपायों पर खर्च करने के लिए केन्द्रीय सहायता के हेतु 20·09 करोड़ रुपये की तदर्थ सहायता दी गई है। दूसरा दल राज्य का दिसम्बर, 1972 के पहले सप्ताह में दौरा करने वाला है।

8. आपातिक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 24,583 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मन्जूरी दी गई है जिनमें से 5·93 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा, कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण हेतु 10 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

9. अतः मानवीय सदस्य इस से सहमत होंगे कि राज्य सरकार प्रभावित जन-संख्या को रोजगार के अवसर प्रदान कर, उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न मुहैया कर, पीने का पानी और चारे की व्यवस्था का पर्याप्त राहत कार्य शुरू कर रही है। कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ लोग ग्रामीण इलाके छोड़कर शहरों को जा रहे हैं। हम राज्य सरकार से स्थिति का पता लगा रहे हैं। मानवीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे कि केन्द्रिय सरकार राज्य सरकार को सभी सम्भव सहायता दे रही है। इस स्थिति पर बराबर निगरानी रखे हुए हैं और राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाये हुए है और स्थिति का मुकाबला करने के लिए समय-समय पर यथा-वश्यक सभी उपाय किए जायेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : हम यह आशा करते थे कि मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि स्थिति का सामना करने के लिए कितनी तथा क्या केन्द्रीय सहायता दी जायेगी। महाराष्ट्र में यह तीन वर्षों से निरन्तर सूखा पड़ रहा है जिस कारण वहां पर स्थिति बहुत गम्भीर है। यदि केन्द्रीय सरकार बड़े पैमाने पर सहायता नहीं देती तो लोगों को भूख से मुक्ति दिलाना सम्भव नहीं हैं। महाराष्ट्र द्वारा दिये गये आँकड़ों से पता लगता है कि 1970–71 में 35,000 गाँवों में से 23,000 गाँवों में कमी की स्थिति की ओर 1971–72 में ऐसी स्थिति 15,000 गाँवों में विद्यमान थी।

वर्षा की कमी के कारण बहुत बड़े क्षेत्र में बुवाई नहीं की जा सकी, कोलाबा, थाना तथा रत्नगिरि जैसे क्षेत्रों में भी इस वर्ष वर्षा कम हुई है और इनमें भी कमी की स्थिति विद्यमान है, खरीफ की फसल कुल 40 प्रतिशत ही हुई है। रबी की फसल की बुवाई 70 प्रतिशत कम हुई है।

पीने के पानी की सुविधायें बहुत ही कम हैं। महाराष्ट्र के लगभग एक चौथाई गाँव पेय जल के अभाव के कारण खाली हो गये हैं। 12,000 गाँवों के लगभग एक मील के अन्दर निरन्तर सारा वर्ष पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वर्ष कुल 15 प्रतिशत गाँवों में ही पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध की गई हैं जबकि यह आश्वासन दिया गया था कि गाँधी शताब्दी वर्ष में सभी गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था कर दी जायेगी।

कृषि मजदूरों की स्थिति बहुत गम्भीर है। वे भूख से मुक्ति पाने के लिए सहायता केन्द्रों पर ही निर्भर करते हैं। उनका अन्य कोई साधन नहीं है।

सहकारी समितियों द्वारा चलाई जाने वाली उचित मूल्य की अनेक दुकानें बन्द हो गई हैं। केन्द्रों को मजदूरी के भुगतान तथा उचित मूल्य की दुकानों को स्टाक की सफ्लाई के बीच कुछ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।

पानी तथा चारे की कमी के कारण स्वा करोड़ खेतों पर प्रभाव पड़ा है। शोलापुर जैसे जिले में लगभग 500 पशु प्रतिदिन मर रहे हैं।

एस० एल० सी० के 50,000 तथा कालेज जाने वाले लगभग 40,000 विद्यार्थियों को सहायता

की आवश्यकता है। पुरानी अकाल संहिता तथा अभाव संबंधी नियमावली में इनको सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

सहायता कार्यों पर काम कर रहे श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी के एवज 75 पैसे दिये जाते थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर यह भुगतान बन्द कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने माँग की है कि पाँचवी योजना की राशि में से उनको 50 करोड़ रुपये में दिये जायें ताकि वह सिंचाई परियाजनाओं के कार्य को आरम्भ कर सकें और पीने के पानी की सुविधा लोगों को उपलब्ध कर सकें। इससे उन लोगों को जो बेरोजगार हैं कार्य भी दिया सकेगा।

कृषि मजदूरों को काम देने के लिए कुछ सहायता कार्य शुरू किये जाने चाहिए। इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को ठोस सुझाव दिये हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कोनकन रेल लाइन का कार्य आरम्भ करने का सुझाव दिया है। इस बारे में रेल मन्त्री ने यह सुझाव दिया था कि इस लाइन के बनाने में मजदूरों पर कार्य होने वाले 2 करोड़ रुपये को रोजगार के खाते में जमा कर दिया जाये तो अधिक अच्छा होगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाये।

अकाल संहिता में भारी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसमें विद्यार्थियों को सहायता देने की बात को शामिल की जानी चाहिये। साप्ताहिक छुटटी सम्बन्धी भुगतान पुनः आरम्भ किया जाना चाहिये।

हम यह महसूस करते हैं कि दक्षिणी राज्यों की समस्याओं पर बड़ी कठिनाई से चर्चा उठाने में कोई ऐसी कठिनाई नहीं होती। इस सूचना को ग्राह्य करने के लिए मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूँ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैंने महाराष्ट्र में विद्यमान स्थिति को छिपाने का प्रयास नहीं किया। राहत देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों को ही कार्य करना होगा। राज्य सरकार को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने जो कार्यवाही की है मैंने उसका निवरण अपने वक्तव्य में दे दिया है।

अभी दो अथवा तीन दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री दिल्ली में आये हुए थे, उन्होंने मेरे साथ खाद्य स्थिति, परीक्षात्मक सहायता कार्यों आदि के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने वित मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों के साथ भी बातचीत की थी। और वह बातचीत से सन्तुष्ट हो कर गयी है।

इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में महाराष्ट्र सरकार को समस्त आवश्यक सहायता दी जायेगी। जनवरी से लेकर अक्तूबर के अन्त तक महाराष्ट्र को 130, 231 टन अनाज सप्लाई किया गया है, दिसम्बर जनवरी और फरवरी में और अनाज सप्लाई करने के प्रबन्ध किये जायेंगे। इस में चिन्ता की कोई बात नहीं है। लगभग 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। आशा है और लोगों को रोजगार देने के लिए और योजनाएं बनाई जायेंगी। इन सभी बातों पर महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री के साथ बात-चीत की गई है। महाराष्ट्र सरकार की और आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए दिसम्बर के महीने में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक दल वहाँ भेजा जायेगा।

सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए 23 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है उनमें से 6 करोड़ दे दिये गये हैं और अगली किस्त योजनाओं की क्रियान्वित सम्बन्धी प्रतिवेतन के प्राप्त होने पर दे दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमन्डहाबर) : ऐसा कहा गया है कि आगामी महीनों में स्थिति और

भी गम्भीर होगी। केवल शोलापुर में साथ वाले क्षेत्रों में 35,000 ढोर आये हैं, बताया गया है कि लगभग 15000 गांवों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। अनेक क्षेत्रों में निरन्तर गत आठ वर्षों से सूखा पड़ रहा है।

महाराष्ट्र के बहुत कम क्षेत्र में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं। निर्धारित राशि को अभी तक खर्च नहीं किया गया है। उथले तथा गहरे नलकूपों की तुरन्त खुदाई की जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूँ कि निर्धारित राशि को खर्च न किये जाने के क्या कारण हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में सरकार कोई कार्यवाही करना चाहती है। गरीबों की स्थिति सुधारने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। माननीय मन्त्री को यह बताना चाहिये कि गत 25 वर्षों में कितनी भूमि में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं। वहां पर तथ्य जानने के लिए क्या दल भेजा जाना चाहिये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्यों ने अनेक प्रश्न उठाये हैं जिनका वर्तमान मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो भी राशि महाराष्ट्र को दी जाती है वह सारी उनके द्वारा व्यय की जाती है। किसी विशेष मद के बारे में मेरे पास ब्यौरा नहीं है। उन्होंने पद्धति का विकेन्द्रीयकरण कर दिया है जिससे व्यय पर जिला परिषदों तथा पंचायतों को नियन्त्रण प्राप्त है। और वह राशि को तुरन्त खर्च देती हैं। अब तक कुल 20 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं। वहां की औसत राष्ट्रीय औसत है क्योंकि वहां की स्थिति कठिन है।

बिहार में रबी की फसल के बारे में
RE : RABI CROP IN BIHAR

Shri G. . Yadav (Katihar) : The Condition of farmers in Bihar is deteriorating. Seeds and fertilizers are not being made avairlable to farmers for rabi sowing. I request the Central Government to made necessary arrangements for the supply of seeds and fertilizers to the farmers.

सभा-पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार का वित्त लेखा

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1968–69 सम्बन्धी वित्तीय लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3870 ए०/72)**

केरल में काजू कर्मचारियों के बारे में
RE : CASHEW WORKERS IN KERALA

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मैं आपको पहले ही लिख चुका हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : वे आज इसे नहीं उठा सकते। कल मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले (मावेलिकरा) : केरल के लगभग एक लाख काजू कर्मचारी प्रभावित.....

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं फिर विचार करूंगा।

सभा-पटल पर पत्र रखने के बारे में
RE : LAYING OF PAPER ON THE TABLE OF THE HOUSE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : 27 तारीख को जब प्रमाणीकृत दस्तावेज की मैं एक

प्रति सभा–पटल रखना चाहता था तो उपाध्यक्ष महोदय ने बार-बार कहा था, कि अध्यक्ष महोदय ने सूचना को नहीं देखा है, उपाध्यक्ष महोदय के पास भी दो ही कागज थे जबकि नियम 377 के अन्तर्गत मेरी सूचना बिल्कुल सही थी। यह एक बड़ा ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सारा कार्यवाही वृतान्त देखा है। आपने मुझे दो पत्र भेजे थे पर उनके साथ आपने विवादास्पद कागज नहीं भेजा था। आपने स्वयं माना है कि आपने वह कागज 10·30 बजे भेजा था तथा बाद में यह भी कहा कि वह मैंने 12 बजे भेजा था।

ऐसे मामलों के सम्बन्ध में यह नियम है कि इन मामलों को अध्यक्ष के पास सवेरे ही भेजा जाये। अतः इस प्रकार नियम का पूरा-पूरा पालन किये बिना सभा इस प्रकार की चर्चा उठाना और सभा का समय खराब करना गलत है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आपका ऐसा कहना सर्वथा गलत है।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई भी दो सदस्य इसके लिए नामांकित कर दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे कृपया विशेषाधिकार समिति को भेज दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा ही चलता है तो मुझे यह करना ही होगा। पर मैं सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हमें इस सीमा तक नहीं जाना चाहिए।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : (बेगूसराय) : उस दिन उपाध्यक्ष महोदय ने बताया था कि सभा-पटल पर रखा जाने वाला वक्तव्य प्राप्त हो गया था पर उसके साथ उनका पत्र नहीं आया था। तब माननीय सदस्य ने उसकी एक प्रति अध्यक्ष पीठ को दे दी थी। क्या है सही है अथवा नहीं, कृपया कार्यवाही को देखकर फैसला करें।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक वक्तव्य के सभा पटल पर रखे जाने का प्रश्न है वह बिल्कुल सही था। पर कभी-कभी बेबात पर बहुत सा समय लग जाता है। मैं आपको और श्री बाजपेयी को पंच नियुक्त करता हूँ और कार्यवाही को देखकर स्वयं फैसला दें और मुझे सलाह दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि उपाध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि क्योंकि आपने इसे नहीं देखा है इस कारण इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता। यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। मैं इसे फिर उठाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। पर इतना सही है कि उन्होंने अपना विनिर्णय नहीं दिया था। सामान्यतः यदि कागजात चर्चा से सम्बन्धित होते हैं तो मैं एक दम उसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दे देता हूं। इस मामले में कागजात नहीं आए थे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 369 के अन्तर्गत सूचना देने की आवश्यकता भी नहीं है। पर मुझे इसके बाद में इस अवसर से वंचित रखा गया है (**व्यवधान**)। अब मैं उसकी अनुमति मांगता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं ! अभी मैं इसकी जांच करूंगा (**व्यवधान**) कि यह चर्चा से सम्बन्धित है अथवा नहीं। मैं इसके रखे जाने की अनुमति दे सकता हूं पर ऐसा हर अवसर पर नहीं किया जा सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : किसी राज्य सरकार के व्यय का मामला विनियोग विधेयक के समय सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता तो कब रखा जा सकता है ? आप इसके लिए अधिक समय क्यों चाहते हैं ? मैं इसे कल भी रख सकता हूँ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक सभा द्वारा 22 नवम्बर, 1972 को पास किये गये विनियोग (रेल) संख्या 4, विधेयक 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 23 नवम्बर, 1972 को पास किये गये विनियोग (रेल) संख्या 5 विधेयक, 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि 27 नवम्बर, 1972 को राज्य सभा ने अपनी बैठक में चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया है।

(चार) कि 27 नवम्बर, 1972 को राज्य सभा ने अपनी बैठक में शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1972 पास किया है।

(पांच) कि 28 नवम्बर, 1972 को राज्य सभा ने अपनी बैठक में राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 1972 पास किया है।

(छः) कि 27 नवम्बर, 1972 को राज्य सभा ने अपनी बैठक में प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) विधेयक, 1972 पास किया है।

राज्य सभा द्वारा पास किये गये विधेयक

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 1972.

(2) शिक्षु (संशोधन) विधेयक, 1972

(3) राजनयिक और कौंसलीय आफिसर (शपथ और फीस) (जम्मू कश्मीर पर विस्तार) विधेयक, 1972

(4) प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) विधेयक, 1972

पाकिस्तानी हेलीकाप्टरों द्वारा भारतीय वायुसेना के उल्लंघन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 902 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

Correction of Answer to a Started Question No. 902 regarding Indian Space Violation by Pak Helicopters in Kashmir.

अध्यक्ष महोदय,

19 मई 1972 को तारांकित प्रश्न संख्या 902 से उत्पन्न पूरक प्रश्नों में से एक का उत्तर देते हुए मैंने बताया था कि 16 मार्च 1972 को जिस पाकिस्तानी हेलिकाप्टर ने भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था वह 100 गज तक घुस आया था। इस सम्बन्ध में आगे और जांच करने पर पता लगा कि हेलिकाप्टर ने भारतीय वायु सीमा में 3½ नाटिकल मील तक प्रवेश किया।

2. इस वक्तव्य को शुद्ध करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि गलती केवल अगस्त 1972 के अन्त

में ध्यान में आई जबकि उसी प्रश्न के पूरक प्रश्न के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए सामग्री एकत्र की गई और क्योंकि उसके पश्चात् सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई ।

3. उसी पूरक प्रश्न के उत्तर में, मैंने सदन को 17 दिसम्बर 1971 के पश्चात् पाकिस्तानी वायुयान द्वारा घुसपैठ के 9 मामलों के बारे में सदन को विस्तृत ब्यौरा देने का भी आश्वासन दिया था (1 जम्मू व कश्मीर में, 4 पंजाब में और 4 राजस्थान में) से ब्यौरे उस विवरण में दिए हुए हैं जो सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

17 दिसम्बर, 1971 के पश्चात् पाकिस्तानी वायुयान द्वारा भारतीय वायु सीमा में 9 बार घुसपैठ का ब्यौरा ।

क्रम संख्या	सीमा उल्लंघन की तिथि और समय	भारतीय वायुसीमा के उल्लंघन का स्थान	वायुयान की किस्म	वायुयान की संख्या	घुसपैठ
1	26–12–1971 15-50 बजे	अजनाला के उत्तर–पश्चिम	फिक्सड विंग वायुयान	एक	500 गज
2	28–12–1971 11-30 बजे	अजनाला के पश्चिम–उत्तर-पश्चिम	तदैव	एक	200 गज
3	29–12–1971 10-30 बजे	अजनाला के उत्तर-पश्चिम	तदैव	एक	200 गज
4	5–2–1972 15-08 बजे	खालरा	तदैव	एक	5 नाटिकल मील
5	15-2-1972 09-10 बजे	ब्यार बैट	हेलिकाप्टर	दो	12 नाटिकल मील
6	15-2-1972 21-40 बजे	तनोट क्षेत्र	फिक्सड विंग वायुयान	एक	10 नाटिकल मील
7	22-2-1972 15-25 बजे, 16-00 बजे	गंगानगर का पश्चिम	तदैव	एक	डेढ़ नाटिकल मील
8	16-3-1972 09-35 बजे	जम्मू के दक्षिण पश्चिम	हैलिकाप्टर	एक	साढ़े तीन नाटिकल मील
6	18-3-1972 09-48 बजे	ब्यार बैट के दक्षिण पश्चिम	फिक्सड विंग वायुयान	एक	12 नाटिकल मील

फरीदाबाद स्थित गुरू गोविन्द सिंह मैडिकल कालेज के बारे में वक्तव्य

S ATEMENT RE : GURU GOVIND SINGH MEDICAL COLLEGE, FARIDABAD

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : फरीदाबाद में किसी प्राइवेट संस्था द्वारा कथित सब-स्टेंडर्ड मेडिकल कालेज खोले जाने

और प्रत्याशित छात्रों से कैपीटेशन फीस लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में 23 नम्बर, 1972 को इस सदन में जो उल्लेख हुआ था उसके प्रसंग में मैं एक वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ।

मैं इस सदन को यह आश्वासन दे देना चाहता हूं कि इस मामले को संसद में उठाए जाने से पूर्व भी हमने हरियाणा सरकार से सम्पर्क किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे इस मामले में समुचित कार्यवाही करें।

फरीदाबाद के इस प्राइवेट मेडिकल कालेज के बारे में हरियाणा राज्य सरकार से हम जितना तथ्य हासिल कर सके हैं मैं यहां पर उनका संक्षेप में उल्लेख कर दूं। लगता है कि गुरू गोविन्दसिंह विद्या सेवक सोसाइटी ने 1971 में किसी समय करनाल में एक मेडिकल कालेज खोलने के लिए हरियाणा राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। राज्य सरकार इस प्रकार के एक मैडिकल कालेज खोलने के लिए इस शर्त पर राजी हो गई थी कि सोसाइटी सम्बन्धी नियमों के अधीन भारतीय चिकित्सा परिषद् से अनुमति ले ले। उसके बाद राज्य सरकार ने देखा कि इस सोसाइटी ने फरीदाबाद में एक मेडिकल कालेज खोलने का एकतरफा निर्णय ले लिया और एक प्रासपेक्टस भी जारी कर दिया जिसमें 10 नवम्बर, 1971 तक आवेदन-पत्र मांगे गये थे और साथ ही प्रत्याशित छात्रों से 10,000 रुपए कालेज भवन के लिये दान के रूप में, 10,000 रुपए पूरी अवधि की कुल फीस के रूप में और 100 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में जमा करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने 5 नवम्बर, 1971 को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने यह घोषित किया कि उन्होंने फरीदाबाद में किसी प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति नहीं दी है। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि उम्मीदवार ऐसी संस्था से अपने जोखिम पर निपट ले और आवश्यक शर्तों के पूरा किये बिना कालेज खोलने की इस योजना में हरियाणा सरकार का कोई हाथ नहीं है।

यह भी मालूम हुआ है कि गुरू गोविन्द सिंह विद्या सेवक सोसाइटी ने 2 फरवरी, 1972 को फिर राज्य सरकार को पत्र लिखा जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वह इस मेडिकल कालेज को करनाल की बजाय फरीदाबाद में खोलने के लिए राजी हो जाये। इसके उत्तर में राज्य सरकार ने इस सोसाइटी को बतलाया था कि उसे इस प्रस्तावित परिवर्तन पर कोई आपत्ती तो नहीं है किन्तु यह जरूरी है कि इसके लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुमति प्राप्त कर ली जाए और विहित अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद किसी विश्वविद्यालय से इसे संबद्ध कर लिया जाये।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के सचिव ने अप्रैल 1972 में हरियाणा सरकार को एक पत्र भेजा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं : (i) जब तक मजूदा कालेजों में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा विहित मानकों के अनुसार स्टाफ और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक कोई भी नया मेडिकल कालेज नहीं खोला जाना चाहिए, और (ii) प्रति व्यक्ति फीस लेकर प्राइवेट मेडिकल कालेज खोलना बन्द कर दिया जाये।

लगता है कि इसी बीच प्रबन्धकों ने अनेक छात्रों से पहले ही फीस ले ली थी तथापि छात्रों द्वारा दिए गए विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रबन्धकों ने उचित भवन, पर्याप्त उपकरण अथवा आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था नहीं की। इन्हीं स्पष्ट कारणों से कालेज के प्रबन्धक न तो पंजाब विश्वविद्यालय से इसे संबद्ध करा पाये हैं और न ही वे भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुमति ले सके हैं।

इस महीने के दूसरे सप्ताह से इस कालेज में दाखिल हुए कुछ छात्र मेरे निवास के आगे धरना दिए बैठे हैं। 15 तारीख को इन छात्रों ने एक लिखित ज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतें और अपनी मांगें दी हुई थीं। उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रबन्धकों ने प्रत्येक छात्र से 20,000 रु० ले

लिये हैं, तब भी मेडिकल कालेज के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रास्पेक्टस में दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही न तो पंजाब विश्वविद्यालय से इसे संबद्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही की गई है और न ही हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त की गई है। उन्होंने भवन, उपकरण और स्टाफ सम्बन्धी कमियों का भी ज़िकर किया है और कहा है कि 25 अक्तूबर, 1972 को उन्होंने भूख हड़ताल की थी जिसके बाद प्रबन्धकों ने कालेज को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। उनके अनुसार हरियाणा सरकार ने डाइसेक्शन हाल चलाने की अनुमति दे दी थी और इस कालेज को अस्पताल सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए भी वह राजी हो गई थी। छात्रों की मांगें इस प्रकार हैं :

(1) इस कालेज के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई जांच बैठाई जाय और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाय, और

(2) चिकित्सा छात्रों के रूप में उनके हितों की रक्षा की जाय तथा सरकार कालेज को अपने हाथ में ले-ले और विश्वविद्यालय से संबद्ध कराये।

इस ज्ञापन को पढ़ने के पश्चात् मैंने तत्काल हरियाणा के मुख्य मंत्री से बात की थी। इस बातचीत के आधार पर मैंने 16 नवम्बर, 1972 को छात्रों को जवाब भेज दिया था जिसमें उन्हें यह सलाह दी थी कि वे दोषी व्यक्तियों को पकड़ने के अभिप्राय से हरियाणा की राज्य सरकार को एक शिकायत भेजें जिससे उनके विरुद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही की जा सके। यदि इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती तो शायद प्रबन्धक या तो छात्रों को उनके पैसे वापिस कर देते या फिर इस कालेज की ठीक ढंग से स्थापना करने के बारे में कार्यवाही करते। मैंने उन्हें समझा दिया था कि मुख्य मंत्री समझते हैं कि चूंकि कालिज को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने का काम विश्वविद्यालय का ही है और वह तब ही ऐसा कर सकता है जबकि वे इस बात से संतुष्ट हों कि वह कालिज निर्धारित शिक्षा और अन्य स्तरों के बारे में कुछेक न्यूनतम अनिवार्य शर्तों को पूरा करता है। एक मात्र सम्बन्धित विश्वविद्यालय ही सम्बद्धता के प्रश्न का फैसला करने को सक्षम है और इस सम्बन्ध में मुख्य-मंत्री द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय को यह कहना कि वे इस कालेज को अपने साथ सम्बद्ध करलें, न तो उचित ही है और न ही व्यावहारिक। मैंने यह भी कहा था कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करने में असमर्थ है। मैंने उन्हें यह भी बतलाया था कि मुख्य मंत्री ने प्रबन्धकों को कालेज की इमारत बनाने और फरीदाबाद स्थित सरकारी अस्पताल को मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण हेतु क्लिनिकी सुविधा के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देने का भी आश्वासन दे दिया था।

मैंने हरियाणा के मुख्य मंत्री को उसी समय एक पत्र लिखा था और साथ ही छात्रों से मिले ज्ञापन तथा छात्रों को भेजे गये उत्तर की प्रतियां भी भेजी थीं। इस स्थिति का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिये मैंने मुख्य मंत्री से आवश्यक जांच करवाने का अनुरोध किया है।

मुख्य मंत्री ने मुझे साफ-साफ कह दिया था कि राज्य सरकार के पास जो साधन उपलब्ध हैं उनसे इस कालेज की राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन लेने में निहित वित्तीय जरूरतें पूरी नहीं की जा सकेंगी।

कुछ दिन हुए मैंने मुख्य मंत्री से फिर बात की थी। उन्होंने मुझे बतलाया है कि उन्होंने इस मामले को सतर्कता अधिकारियों को विस्तृत जांच करने के लिये सौंप दिया है।

महोदय, भारत सरकार की लगातार यही नीति रही है कि कमर्शल प्रकार के मेडिकल कालेजों को जो अपने अस्तित्व के लिये कैपीटेशन फीस पर निर्भर हैं और जो छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर दाखला नहीं दे पाते हतोत्साहित किया जाए। हमने इस नीति विषयक धारणा को कई अवसरों पर विभिन्न मंचों से तथा सरकारी पत्राचार द्वारा सभी राज्य सरकारों तक पहुंचाया है। फिर भी, जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित ही है, स्नातकपूर्व मेडिकल कालेजों का प्रशासन तो राज्यों की वैधानिक और प्रशासनिक क्षमता के अन्तर्गत आता है और हमारी नीति प्रभावकारी ढंग से तभी क्रियान्वित हो सकती है जबकि सम्बन्धित राज्य सरकारें पूर्ण सहयोग दें और पूरी निगरानी बरतें। हाल ही में राज्यों ने केपीटेशन फीस पर आधारित प्राइवेट मेडिकल कालेजों को निरुत्साहित करने की हमारी नीति पर ठोस तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार ने इस वर्ष मई मास में एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें बिहार के अन्दर मेडिकल शिक्षा देने वाली संस्थाओं को समुचित रूप से विनियमित करने और उनके खोलने पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था है। मुझे पता लगा है कि उत्तर-प्रदेश की सरकार ने भी हाल ही में इसी प्रकार का विधान बनाने की चेष्टा की है। हमने सभी राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध कर दिया है कि वे ऐसी कार्यवाही की आवश्यकता पर गम्भीर रूप से विचार करें।

मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय को भी कह दिया है कि वे भारतीय चिकित्सा परिषद् से तत्काल परामर्श कर इस बात की जांच करें कि क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की वर्तमान व्यवस्थाओं में संशोधन करने की गुंजायश है जिससे कि ऐसे प्राइवेट मेडिकल कालेजों के खुलने पर रोक लगाई जा सके।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि.....

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी जब अध्यक्ष कुछ कह रहा हो तब आपकी बात नहीं सुनी जा सकती, यह नियम आप जानते हैं। मैं इस विषय पर एक छोटी चर्चा रख सकता हूं। मेरे पास अनेकों पत्र आ रहे हैं। लड़कों को बड़ी हानि हो रही है। हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए। हमें इस पर एक छोटी चर्चा किसी दिन रखनी चाहिए।

श्री उमा शंकर दीक्षित : मुझे कोई एतराज नहीं है।

(इसके पश्चात् लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock)

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after Lunch at four minutes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सभा के कार्य के बारे में
RE BUSINESS OF THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खाद्य समस्या पर चर्चा करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक अनुरोध है, हम बोनस संदाभ (संशोधन) विधेयक

पर चर्चा करना चाहते हैं, प्रो० एस० नुरुल हसन के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा करने से पूर्व इस विधेयक पर चर्चा की जाये क्योंकि हम इसे इस सप्ताह में पारित करना चाहते हैं, इस विधेयक को पारित किये बिना इसे क्रियान्वित नहीं किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात अध्यक्ष महोदय तक पहुँचा दी जायेगी और ससदीय कार्य मन्त्री ने भी आपकी बात सुन ली है ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : The people are looking for the bonus. As such it should be taken first.

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : संसदीय कार्य मन्त्री ने उनके अनुरोध को नहीं सुना है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर पहले चर्चा की जाए ।

संसदीय कार्य तथा नौवाहन और परिवहन : मंत्री (श्री राज बहादुर) : श्री शर्मा निश्चय ही इस बात को मन्त्री महोदय तक पहुँचा देंगे ।

खाद्य स्थिति के बारे में प्रस्ताव

Motion Re. Food Siuation

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिंदे ।

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : कुछ माननीय सदस्यों ने देश में खाद्य स्थिति को असंतोषजनक बताया है । मैं बता देना चाहता हूँ कि उनका ऐसा विचार सही नहीं है । देश में खाद्य समस्या को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए । दुर्भाग्यवश श्री पीलू मोदी के विचार में हमारी योजना त्रुटिपूर्ण है और उन्होंने इसमें राजनीति लाने का आरोप लगाया है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनके विचार राजनीति प्रेरित हैं और उन्होंने इस समस्या के मूल पहलुओं पर चर्चा नहीं की है ।

यदि हम वर्ष 1966–77 और वर्ष 1972 की खाद्य स्थिति की समीक्षा करें तो हम सरकार की सफलता तथा असफलता का मूल्यांकन कर सकते हैं । वर्ष 1966–67 में हमें अनाज का आयात करना पड़ा था परन्तु इस वर्ष कई कारणों से कृषि उत्पादन के कम होने के बावजूद भी सरकार ने अब तक बिना आयात किये खाद्य स्थिति को बिगड़ने से बचाता है, क्या यह प्रयास प्रशंसा योग्य नहीं है ?

वर्ष 1966 से जनसंख्या की वृद्धि 14 प्रतिशत रही है । श्री पीलू मोदी डा० करणी सिंह के इस विचार से सहमत नहीं है कि जनसंख्या की इस वृद्धि ने खाद्य स्थिति को बिगाड़ा है, हमने अनुमान लगाया है कि जनसंख्या की इस वृद्धि से हमें मोटे तौर पर 120 लाख से 130 लाख टन अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता होगी, माननीय सदस्य इस बात को तो मानेंगे कि सरकार ने गत पांच वर्षों में अथक प्रयास से खाद्य उत्पादन को बढ़ाया है । यह सब सरकार की ठोस और सही नीतियों के कारण हुआ है ।

श्री **के० एस० चावड़ा** (पाटन) : आप अनाज का निर्यात करना चाहते थे । इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

श्री **अण्णासाहेब पी० शिन्दे** : मुझे विश्वास है कि हम अनाज का निर्यात करने की स्थिति में

होंगे । इस अतिरिक्त अनाज की आवश्यकता के बावजूद भी हमने आयात नहीं किया है, माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि हमने किस प्रकार खाद्य स्थिति को बिगाड़ने से बचाया है ।

अनेक माननीय सदस्यों का कहना है कि सरकार ने सुरक्षित भंडार में रखे अनाज के बारे में गलत आँकड़े दिए हैं । उनका यह विचार नितांत गलत है । जुलाई में सुरक्षित भंडार में 94 लाख टन अनाज था । मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने कोई गलत आँकड़े नहीं दिए हैं । सरकार खाद्य समस्या के बारे में आत्मसन्तुष्ट भी नहीं है, चौथी योजना में सुरक्षित भंडार का लक्ष्य 50 लाख टन रखा गया था । हमने गत वर्ष इस विषय पर पुनः चर्चा की और यह निर्णय किया कि आगामी वर्ष मानसून की असफलता से खाद्य स्थिति बिगड़ सकती है अतएव सुरक्षित भंडार का लक्ष्य 50 लाख टन से बढ़ाकर 70 लाख टन कर दिया जाये, यदि सरकार आत्मसन्तुष्ट होती तो चौथी योजना की समाप्ति के पूर्व ही ऐसा न करती, इस वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सुरक्षित भंडार में अनाज की मात्रा और बढ़ाने का निश्चय किया है, भारत जैसे देश में सुरक्षित भंडार को बनाना व्ययसाध्य है परन्तु फिर भी सरकार ने यह निर्णय किया है कि अनाज का सुरक्षित भंडार बनाना अति महत्वपूर्ण और आवश्यक है । पांचवी योजना में सुरक्षित भंडार के लक्ष्य को और ऊंचा रखा जा रहा है । सरकार को विश्वास है कि वह बिना आयात किए अपने ही प्रयासों से सुरक्षित भंडार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी, देश में खाद्य स्थिति पहले की तुलना में अधिक संतोषजनक है ।

जहां तक अनाज की वसूली का सम्बन्ध है, मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन ने तथा कृषि मूल्य आयोग ने इस खरीफ के मौसम में 45 लाख टन धान तथा मोटे अनाज का भंडार बनाने की सिफारिश की थी, संभवतया कुछ राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण माननीय सदस्यों को इस लक्ष्य की प्राप्ति में सन्देह हो सकता है, मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि हमारा प्रयास इस लक्ष्य की प्राप्ति है और मुझे विश्वास है कि हम गत वर्ष की अपेक्षा अधिक मात्रा में अनाज वसूल कर सकेंगे, नवम्बर के पहले सप्ताह में अनाज का सुरक्षित भंडार 41 लाख टन था । वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि जनवरी के अन्त तक हम 20 लाख टन चावल वसूल करने में समर्थ होंगे, अनेक माननीय सदस्यों को आशंका है कि अप्रैल के बाद स्थिति बिगड़ेगी । यदि हम गत वर्षों को देखें तो यह पायेंगे कि खरीफ की फसल खराब होने के बावजूद भी रबी की फसल अच्छी होती रही है । मुझे आशा है कि इस बार भी गेहूं की अच्छी फसल होगी, अनेक राज्यों में बुआई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ हो चुकी है । यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी यदि हम गेहूँ की वसूली के लक्ष्य को पीछे छोड़ दें । प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद भी अनाज की कुल उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है, मैं इतना कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्यों ने आलोचना करते समय अनेक तथ्यों को ध्यान में नहीं रखा है ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि जब हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता की बात कर रहे हैं तो फिर अनाज का आयात क्यों किया जा रहा है । आज से पांच अथवा दस वर्ष पूर्व खाद्य स्थिति के बिगड़ने पर हम अनाज का आयात करने की बात करते थे । परन्तु अब इस प्रकार की बात न करके हम अनाज के मामले में होने वाली कमी को अपने ही प्रयासों से पूरा करने की सोचते हैं, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि इस वर्ष सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाले देश भी अनाज का आयात कर रहे हैं, यदि किसी वर्ष खाद्य स्थिति के बिगड़ने पर हमें अनाज का आयात करना पड़ जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमारी सभी योजनाएं दोषपूर्ण हैं । देश में एकदम स्थिति को बिगड़ने न देने के लिए खाद्यान्न का आयात करने में कोई बुराई नहीं है ।

खाद्य सचिव के विदेश दौरे के बारे में तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं । खाद्य सचिव

लन्दन में चीनी परिषद और गेहूँ परिषद की बैठकों में सरकार की ओर से भाग लेने गये थे। हमने उन्हें वहाँ अनाज की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेने के लिए भी कहा था। उनके विदेश दौरे को गोपनीयता के साथ सम्बद्ध करना सही नहीं है।

श्री पीलू मोदी ने योजना में कृषि को प्राथमिकता न देने की आलोचना की है, उनको ज्ञात होना चाहिए कि हमने योजना में 20 प्रतिशत धन का आवंटन कृषि के लिए रखा है। कृषि के विकास के लिए औद्योगिक उन्नति भी आवश्यक है। बिना पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों के हम कृषि उत्पादन किस प्रकार बढ़ा सकते हैं ? इसका तात्पर्य यह है कि बिना रसायन उद्योग के विकास के हम कृषि उत्पादन बढ़ा नहीं सकते हैं। श्री पीलू मोदी ने यह कहा है कि सरकार कृषि की उपेक्षा करके बोकारो कारखाने पर धन व्यय कर रही है। उनको यह ज्ञात होना चाहिये कि आधुनिक कृषि के लिए अपेक्षित पम्पिंग सेट्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स ट्रेक्टर आदि के निर्माण हेतु इस्पात की अत्यन्त आवश्यकता होती है, इसलिए बिना सुदृढ़ औद्योगिक आधार के कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। यदि आप उर्वरक, इस्पात, कीटनाशक औषधि, रसायन आदि के निर्माण में उपेक्षा बरतेंगे तो हम कृषि के क्षेत्र में पिछड़ जायेंगे, यह कहना गलत है कि सरकार सही नीति का अनुसरण नहीं कर रही है।

मैं श्री पंडा के इस कथन से सहमत हूँ कि कृषि उत्पादन के लिए बेहतर आर्थिक समन्वय होना चाहिये। इस उद्देश्य के लिए हमने मन्त्रिमण्डल सचिव के स्तर पर एक समिति भी गठित की हुई है। मन्त्रिमण्डल की यह आर्थिक समिति राजनैतिक स्तर पर इन सभी मामलों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रही है।

कतिपय माननीय सदस्यों ने यह सन्देह व्यक्त किया है कि क्या सरकार समाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेगी। सरकार निश्चय ही बिचौलियों को समाप्त करके किसानों से सीधे अनाज खरीदेगी और उत्पादकों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करेगी, मैं सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि अनाज के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने के बारे में किसी विचारधारा का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। 1943 के बंगाल दुर्भिक्ष के समय सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया था जिसने सिफारिश की थी कि खाद्य की सप्लाई तथा वितरण के मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये अन्यथा स्थिति बिगड़ सकती है। उष्णकटिबन्धीय देशों में मौसम का खराब होना साधारण बात है। यदि हम खाद्य तथा आवश्यक वस्तुओं में स्वतन्त्र व्यापार चलने देते हैं तो कीमतों में वृद्धि हो सकती है जिससे गरीब जनता प्रभावित होगी, इसलिए हम जानते हैं कि भारतीय खाद्य निगम जैसी सरकारी एजेन्सी अनाज की खरीद में अपनी प्रभावी भूमिका निभाये। हम उत्पादकों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि यह व्यवस्था दोषरहित नहीं है परन्तु हमें इसके व्याप्त दोनों को हटा कर इसे सुदृढ़ आधार देना चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या आप मैसूर सरकार को अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के लिए कहेंगे ? उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : मैसूर के बारे में यह एक गलत अनुमान है। उन्होंने अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने से कभी इन्कार नहीं किया है। हमने राज्य सरकारों को इस कार्य के लिए अपने आपको तैयार करने के लिए कहा है तथा उन्हें इस सम्बन्ध में स्वयं निर्णय करने की छूट दी हुई है। वे अनाज का थोक व्यापार अपने हाथ में अभी ले सकते हैं अथवा रबी की फसल के आने के समय ले सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य सरकारें इस नीति का अनुसरण करेंगी, मैंने इस सम्बन्ध में 15 दिसम्बर को सभी राज्यों के खाद्य मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया है जिसमें मैं इस

वर्ष अनाज की वसूली के कार्य में तेजी लाने और थोक व्यापार अपने हाथ में लेने के बारे में विचार विमर्श करूंगा। मुझे विश्वास है कि सभी राजनैतिक दल इसका समर्थन करेंगी।

खाद्यान्न की वितरण व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर रखने का भी सुझाव दिया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसको सरकार स्थायी आधार देना चाहती है ताकि सभी आवश्यक वस्तुएं सरकारी वितरण व्यवस्था से वितरित हो सकें।

दुर्भाग्यवश देश में खरीफ का पैदावार में बहुत अनिश्चितता है। हमने इस अनिश्चितता को दूर करने के उपायों पर विचार किया है ताकि हमारा कुल उत्पादन बढ़ सके। इसका एक उपाय रबी की पैदावार को बढ़ाना है, यह प्रसन्नता का विषय है कि अमृतसर से डिब्रूगढ़ तक भूमिगत जाल बड़ी मात्रा में पाया गया है। हमने तात्कालिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भूमिगत जल का उपयोग करना है। रबी की फसल के उत्पादन में वृद्धि होने से खाद्य के मामले में व्याप्त अनिश्चितता को दूर किया जा सकेगा।

मुझे भारतीय कृषि पर पूरा विश्वास है। इसके लिए सब दलों का सहयोग अपेक्षित है। किसी भी देश में कृषि उत्पादन में कभी भी गिरावट आ सकती है और उसे आयात का आश्रय लेना पड़ सकता है. मेरे विचार में भारत को सामान्य वर्षों में अनाज का आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी। देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती जा रही है।

श्री पीलू मोदी : मन्त्री महोदय को भारतीय खाद्य निगम के बारे में कुछ कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने इस विषय पर सविस्तार उत्तर दे दिया है। मैं जानता हूँ कि अनेक माननीय सदस्य इस उत्तर से सतुष्ट नहीं हैं और वे कई प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं, परन्तु किसी बात की सीमा भी होनी चाहिये, यदि मैं प्रत्येक को बोलने की अनुमति दूं तो वाद-विवाद का अन्त नहीं आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल एक-एक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा उन्हें एक मिनट से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। (**व्यवधान**)

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि आपको अमरीका से खाद्यान मंगाने के लिए बाजार भाव से 32 डालर प्रति टन अधिक मूल्य देना पड़ेगा ? हम आयात की मात्रा तथा लक्ष्यों के बारे में विस्तृत ब्यौरा जानना चाहते हैं।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : क्या सरकार ने इस वर्ष पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए कोई प्रभावकारी कार्यक्रम बनाया है जिससे अगले वर्ष के उत्पादन पर आश्रित न रहना पड़े।

श्री बां० एन० रेड्डी (निरमाल गूडा) : दो वर्षों से आंध्र प्रदेश राज्य को केन्द्रिय सरकार ने कितनी और, क्या सहायता दी है ?

श्री राम सहाय पाँडे (राजनन्द गांव) : हमारे देश में विश्व में उपलब्ध कुल कृषियोग्य भूमि की दो प्रतिशत भूमि है जबकि जनसंख्या 14 प्रतिशत है। क्या सरकार कृषि कार्यों के लिए पृथक पंचवर्षीय योजना बनाएगी ?

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया था कि पहली जुलाई को 94 लाख टन खाद्यान्न का भण्डार था किन्तु यह आंकड़े गलत हैं क्योंकि यदि इसमें चार महीनों में उपयोग किये गये 28 लाख टन खाद्यान्न घटाया जाए तो शेष आंकड़े 66 लाख टन होने चाहियें। मन्त्री महोदय इस सम्बध्ध में स्पष्टीकरण दें।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : अब यह सिद्ध हो चुका है कि साम्यवादी देश कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में मफल नहीं रहे। क्या सरकार कृषि उत्पादन के बारे में कोई अन्य प्रणाली अपनाएगी ?

Shri Hukam Chand Kachway (Morena) : May I know whether Government have made proper arrangements for storing foodgrains and whether Governments are going to implements the programme relating to exploitation of under ground water for irrigation ?

Are Government prepared to set up a committe of to members of Parliament to ascertain the number of starvation deaths ?

May I know whether Government propose to open fair price shops under the management of workers of Corgress Party ?

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : क्या यह सच है कि छोटा नागपुर, लदाख और हिमालय प्रदेश के कुछ भाग को कृषि की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र माना गया है, यदि हां तो कृषि मंत्रालय वहां क्या कार्यक्रम लागू करना चाहता है ?

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : क्या देश में ट्रेक्टरों की मांग घटती जा रही है तथा क्या भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय सरकार अलाभकर जोत के बारे में विचार करेगी।

श्री अमृत नादरा (बाड़मेर) : खाद्यान्न की वसूली तथा उसके वितरण के कार्य में क्या सरकार जनता के प्रतिनिधियों की समितियों का सहयोग प्राप्त करेगी ?

Shri Saijod Pandey (Ghajipur) : My I know the quantity foodgrains demanded by U. P. Government and the extend to which this demand has been met by the Central Government ?

Shri M. C. Daga (Pali) Sir, out of 3400 villages in Rajasthan 20,000 villages are under the grip of famine. May I know the quantity of foodgrains supplied to the famine stricken people ? Kill Rajasthan canal be completed ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : खाद्य मन्त्री ने उन आरापों का उल्लेख क्यों नहीं किया जो मैंने भारतीय खाद्य निगम पर लगाए थे। भारतीय खाद्य निगम में भारी भ्रष्टाचार है तथा दूसरे फलस्वरूप वहाँ के श्रमिकों में भारी असंतोष है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या सरकार को पता है कि गेहूं और चावल के थोक व्यापार को अधिकार में लिए जाने के बारे में ए० आई० सी० सी० के संकल्प के तुरन्त बाद गुजरात के बड़े नगरों में 85 प्रतिशत अनाज छुपा लिया गया है। क्या सरकार का विचार इन्हीं व्यापारियों को कमीशन एजेन्ट बनाने का है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या यह सच है कि हमारे पास लगभग 40 लाख टन खाद्यान्न है तथा नई फसल के आने से और भी खाद्यान्न हमारे पास होगा ? क्या आयात किए जाने वाले खाद्यान्न का संचित भण्डार बनाया जाएगा ?

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : According to the recent statement of the chief Minister of Madhya Pradesh Central Government have supplied only 10(,00 quintal of rice and 150,00 quintal of wheat out of allotted quantity of 20,000 quintal of rice and 20,000 quintal of wheat remiting in scarcity of foodgrains in that state. May I know the time by which the remaining quantity of foodgrains would be released to the state ?

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) अधिकतर आदिवासियों का भोजन ज्वार-बाजरा है तथा सरकार इस अनाज की उपेक्षा करती है। क्या सरकार खाद्य सम्बन्धी योजना बनाते समय इस फसल पर ध्यान देगी ?

Shri Ramavatar Shastri (Patana) Is it a fact that there is acute shortage of fertilezers in Bihar ? Is it also a fact that the officers of supply Department of Bihar have committed bungling of 9,000 tones of foodgrains ?

श्री वसंत साठे (अरोला) : क्या राष्ट्रीय आपतकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार गुरुवार को राष्ट्रीय उपवास दिवस घोषित करने का है ?

श्रीमती एम० गौडफ्रे : सरकारी खाद्य पदार्थों की कीमतें में कमी करने के लिए क्या कार्य वाही कर रही है ?

श्री सी० डी० गौतम (बालाघाट) : मध्य प्रदेश के किस किस जिले को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) भारत में उर्वरक की प्रति एकड़ खाद्य कितनी है तथा अमरीकन आदि विकसित देशों में कितनी न्यूनाधिन है तथा सरकार इस खाद्य को बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रही है ।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : I suggest that minimum wage for workers should be Rs. 3 per day and fair price shops should be opened in Harijan Colonies.

श्री डी० के० पडा : गंजम जिले को केवल 2000 टन प्रतिमास चावल सप्लाई किया है जबकि वहां 7500 टन चावल की आवश्यकता है । इस स्थिति में सरकार क्या उपाय कर रही है जिससे वहां की जनता को पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके ।

श्री के० पी० उन्नकृष्णन : क्या केरल को इस वर्ष पहले की तुलना में क्या खाद्यान्न सप्लाई किया जाएगा ? क्या विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी भी खाद्यान्न व्यापार की दस वर्ष नीति में हस्तक्षेप करना चाहते हैं ?

Dr. Laxminarain Pandeye (Mandsaur) : The hon. Minister should reply to the question as to what action would be taken against F. C. I. for indulging in corrupt practices in earning more profits by purchasing Maize and Jwar at very low prices.

श्री पीलू मोदी : गुजरात को मक्का भेजने के बारे में क्या किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय केवल उन्हीं प्रदेशों का उत्तर दें जिनका उत्तर पहले नहीं दिया गया है ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : विदेशों से खाद्यान्न का आयात करने के बारे में मेरा निवेदन है कि हम केवल व्यापारिक आधार पर ही उसका आयात करेंगे । हम पी० एल० 480 के अन्तर्गत जैसी शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे ।

यह भी कहा गया कि रूस और चीन ने अगस्त में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश किया है तथा हमें आयात के बारे में जुलाई में निर्णय कर लेना चाहिये था । मैं उस समय खरीब की फसल के बारे में अनुमान नहीं लगा सका तथा हमें आशा थी कि हमारे पास खाद्यान्न का पर्याप्त भण्डार होगा । अतः उस समय खाद्यान्न के आयात के बारे में मैं स्वयं भी सहमत नहीं होता । किसी वस्तु का मूल्य उनकी मांग और पूर्ति पर निर्णय करता है । बड़े देशों द्वारा अधिक खरीद करने के कारण खाद्यान्न ने मूल्य बढ़ गये हैं अभी तक खरीद नहीं की गई है अतः अधिक मूल्य देने के बारे में अभी उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

राज्यों के खाद्यान्न सप्लाई किये जाने के बारे में भी प्रश्न किये गये हैं । मैं इस समन्वय के आंकड़े देने में असमर्थ हूं कि प्रत्येक राज्य को कितना कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया । ये

आंकड़े सम्बद्ध सदस्यों को प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।

पिछले कुछ ही महीनों में आंध्र प्रदेश को 27,000 टन चावल, 1,27,000 टन गेहूं और लगभग 28,000 टन अन्य खाद्यान्न सप्लाई किया गया है । इसी प्रकार जनवरी से अक्तूबर महीने तक राजस्थान को कुल 1,11,900 टन खाद्यान्न सप्लाई किया गया ।

खाद्यान्न उत्पादन के लिये पृथक योजना के सुझाव को योजना मन्त्रालय को प्रस्तुत कर दिया जाएगा । वैसे कृषि मन्त्रालय के लिये पृथक धनराशि का नियतन किया जाता है ।

जुलाई के आरम्भ में वास्तविक भण्डार 90 लाख टन था तथा पहली नवम्बर को 41 लाख टन

(व्यवधान)

श्री भाटिया का यह प्रश्न कहना सच है कि आयात से भण्डार में वृद्धि करने का प्रस्ताव है । है । जहाँ तक आटे की मिलों के बन्द होने का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों का खाद्यान्न अलाट करती है । तथा राज्य सरकारें इन मिलों को कोटा अलाट करती है । अतः इसमें केन्द्रीय सरकार का कोई दोष नहीं है ।

ज्वार और बाजरे को पर्याप्त महत्व दिया जाता है तथा भारत सरकार ने जो वसूली की है । उनसे इस बात की पुष्टि हो जाती है । यह सच है कि आदिवासी तथा कुछ अन्य जनता ज्वार-बाजरा खाते हैं । बिहार को उर्वरकों की कम सप्लाई के बारे में मेरा निवेदन है कि हम वर्ष देश में उर्वरकों का उत्पादन कुछ कम हुआ तथा विदेशों से भी कार्य उर्वरक उलब्ध हुआ । फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 22 प्रतिशत अधिक उर्वरक सत्लाई किया गया । यदि बिहार सरकार ने उर्वरक के बारे में कुछ गड़बड़ी की है तो माननीय सदस्न इस सम्बन्ध में हमें पत्र लिखें जिससे इस प्रश्न को राज्य सरकार में साथ उठाया जा सकें ।

श्री पीलू मोदी ने भारतीय खाद्य निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है । वास्तव में हमें सभी मामलों का पता है तथा केन्द्रीय जाँच कुछ मामलों की जाँच कर रहा है । केन्द्रीय सरकार को समय समय पर उनसे रिपोर्ट कितनी रहती है तथा शीघ्र ही उचित कार्यवाही की जायगी ।

मैं इस आरोप का खण्डन करता हूं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उचित दर पर दुकाने दी जा रही हैं । राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि ग्राम पंचायत आदि सहकारी समितियों को यह दुकाने हो जाय ।

देश में ट्रेक्ठरों की मांग घटती जा रही है, यह सच है । किन्तु इसका कारण यह है कि देश में ट्रेक्टरों का मूल्य अधिक है ।

यह भी सच हैं कि छोटी जोत तथा अलाभकर जोत के कारण उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी ।

श्री नादरा जी ने यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि खाद्यान्न की कमी तथा उसके वितरण में जन प्रिय समितियों का योगदान लेना चाहिये । हम इस दिशा में आगे कार्यवाही करना चाहेंगे ।

हरिजन बस्तियों में उचित दर की दुकानें खोलने का सुझाव भी महत्वपूर्ण है । (व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कर्मचारी वृतांत में यह सब सम्मिलित नहीं किया जायगा ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि अहमदाबाद में ए० आटे सी० सी० के संकल्प के बाद बाद खाद्यान्न को छिपाया गया है तो इस कार्य की निदां होनी चाहिये ।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

1 Not Recorded.

यह समाज विरोधी कार्य है तथा ऐसे व्यक्तियों को जेल ने डालना चाहिये। (**व्यवधान**) खाद्यान्न की यह नीति के क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले कुछ तत्व हो सकते हैं। इन को दूर करने के लिये इन सभी को सहयोग देना चाहिये (**व्यवधान**) मेरे विचार से उर्वरक की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में आंकड़े प्रस्तुत किये जा चुके हैं। यदि मानवीय सदस्य चाहें तो आंकड़े प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

मुल्की आन्दोलान के कारण सप्लाई में कुछ बाधा उपस्थित हुई थी। अब हमने इस सम्बन्ध में असाधारण उपाय किये हैं मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जनता को प्रत्येक कठिनाइयों को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जायगा। मैं इस सम्बन्ध में आप सभी का सहयोग चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया

The substitute motion was put and negatived

भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 12 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re : TWELFTH REPORT OF COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह राव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

Birendra Singh Rao (Mahendragarh) : All of us are to be blamed for not paying attention to the scheme provided for in the Constitution regarding the official Language. The linguistic minorities want protection for the languages spoken by them. But while, struggling for the protection of their language, they are opposing the official language. To that extent, they are also to be blamed.

The Constitution, provides that Hindi in Devnagari script will be the official language of the country and that English may continue for 15 years. It is regrettable that even the report of the first official language commission and its recommendation have not been made available to the members of Parliament. The second commission on official language has not so far been appointed and thus an important directive of an article of the Constitution has been ignored. Social, cultural and economic integration in the country is not possible unless the whole scheme envisaged in ths Constitution is implemented.

We must remember that English is hot the language of the country. The use of English for official purpose after fifteen years is permitted only after a legislation to that effect is passed by both Houses of Parliament. No further legislation has been passed and still the use of English is continuing.

So long as there is no national language, there can be no integration of the country. The problems have not been solved by reorganisation of States on the basis of Language. The whole problem requires a deep thinking. Another States Reorganisation commission should be set up the reorganise the States so that the regional languages may get the maximum protection.

उपाध्यक्ष महोदय : आगे बढ़ने से पूर्व मैं दो बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि हम भाषायी अल्प संख्याकों की समस्याओं पर विचार करते हैं। दूसरे इस वाद-विवाद के लिये पांच घन्टे का समय निर्धारित किगा गया था परन्तु पांच घन्टे से अधिक समय चर्चा में व्यतीत हो चुका है और अभी कई वक्ता शेष हैं। इन परिस्थियों में सदन आगे की कार्यवाही के बारे में निर्णय करे।

श्री धरणीदास (मंगलदायी) : समय बढ़ाया जाना चाहिये।

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या संसदीय कार्य मंत्री भी कुछ कहना चाहते हैं ।

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मेरा सुझाव यह है कि हमें दूसरे कार्यों के लिये भी कुछ समय देना चाहिये ।

श्री ज्योतिमर्य बसु : जी नहीं, सभा के उठने तक नहीं ।

श्री राज बहादुर : क्या आप सभी इससे सहमत हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : यह दुःख का विषय है कि भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के प्रतिवेदन पर सदन में चर्चा के लिये ऐसा समय मिला है जबकि आसाम में गम्भीर, लज्जाजनक तथा दुःखद झगड़े चल रहे हैं ।

संविधान में प्राइमरी स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये अनुरक्षण प्रदान करने का कारण यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तब वह केवल अपनी मातृ-भाषा बोलना सीखता है अतः इस समय मातृभाषा के अतिरिक्त बच्चे के लिये भाषा का कोई अन्य माध्यम रखना असंभव है ।

संविधान में व्यवस्था की गई है कि इस बात की जांच करने के लिये कि प्राइमरी स्तर पर बच्चों को उनकी मातृभाषा के शिक्षा देने के लिये पर्याप्त अनुरक्षण प्रदान किये गये हैं अथवा नहीं एक आयुक्त की नियुक्ति की जायेगी और आयुक्त का प्रतिवेदन चर्चा के लिये सभा में प्रस्तुत किया जायेगा । संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि ये प्रतिवेदन राज्यों को भेजे जायेंगे । अब केन्द्रीय सरकार तथा इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किये गये आयुक्त को इन संवैधानिक उपबन्धों को क्रियान्वित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है । अतः संविधान में संशोधन किया जाना चाहिये, जिसमें यह उपबन्ध किया जाये कि ऐसे प्रतिवेदन न केवल संसद की सभाओं में ही पेश किये जाने चाहिये, किन्तु ऐसे भाग जो किसी राज्य विशेष के बारे में हों, सम्बन्धित राज्य विधान मंडल को पेश किये जाने चाहिये ताकि विधान मंडल के सदस्यों को इस बात पर चर्चा के लिये पूरा अवसर मिल सके कि दिये गये अनुरक्षणों तथा संवैधानिक निदेशों का पालन किया गया है अथवा नहीं ।

जब केन्द्रीय सरकार शिक्षा के विस्तार के लिये धन का प्रावधान करे तब कुछ राशि भाषायी अल्पसंख्यकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा सुविधायें देने के लिये निर्धारित की जानी चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह अनुदान समाप्त किया जाना चाहिये या केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक राज्य में इस प्रकार के स्कूल खोलने की जिम्मेदारी स्वयं ले लेनी चाहिये और राज्यों को संवैधानिक उपबन्धों के कार्यान्वियन के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिये ।

भाषा सम्बन्धी तीन समस्यायें हैं–मातृ भाषा की, क्षेत्रीय भाषा की तथा राष्ट्र भाषा की । इन समस्याओं को एक साथ रखकर विचार किया जाना चाहिये । इन तीनों पर अलग-अलग विचार करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता ।

कहा जाता है कि सभी प्रकार के भाषायी अल्पसंख्यकों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, इसी कारण विभिन्न प्रकार के झगड़े होते हैं, आपस में मतभेद रहते हैं । भारत, सांस्कृतिक, भाषायी, धार्मिक, तथा जाति आदि की विभिन्नता रखते हुये भी एक देश है और मेरा विश्वास है कि यदि देश की आर्थिक असमानता को दूर कर दिया जाये तो देश की एकता बनी रह सकती है ।

संस्कृत भाषा पुजारियों, पंडितों, तथा शासकों की भाषा रही और साधारण जनता इस भाषायी

ज्ञान से वंचित थी। फारसी मुसलमान शासकों की भाषा रही, अंग्रेजी ब्रिटिश शासकों की। आज सरकार निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा चलायी जाती है, यही कारण है कि आज क्षेत्रीय भाषायें अपनी मान्यता के लिये संघर्ष करती रहती हैं। सरकार को प्राइमरी स्तर पर बच्चों की शिक्षा उनकी मातृ-भाषा में देने के लिये सुविधायें प्रदान करनी चाहिये। क्षेत्रीय भाषा को ही कालिजों तथा माध्यम स्तर की शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिये। क्षेत्रीय भाषा के ऊपर एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिये, जो इस समय हिन्दी और अंग्रेजी दोनों हैं। हिन्दी के विकास के साथ क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा को प्रोत्साहित करने के प्रश्न को लिया जाना चाहिये। शिक्षा मंत्रालय को संविधान के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : भाषायी अल्पसंख्य के पिछले आयुक्त ने एक मुख्य सिफारिश यह की थी कि मैसूर सरकार को बिना और समय नष्ट किये मैसूर के कोंकणी भाषी लोगों के लिये कोंकणी मध्यम के द्वारा शिक्षा देनु हेतु सुविधायें देने के मामले में अन्तिम निर्णय लेना चाहिये। राज्य सरकार बिना निर्णय के गत छः वर्षों से चुप्पी साधे हुये है।

भाषायी अल्पसंख्यकों की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया जाना चाहिये और उसकी पुनः व्याख्या की जानी चाहिये जब सविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में शिक्षा देने की गारन्टी की गई है तो सरकार और गृह मंत्रालय को पहली और प्रमुख चिन्ता उन लोगों की, जिनकी बोलने की अपनी भाषा नहीं है, होनी चाहिये।

सस्कृति के विनाश आदि की बात भी कही गयी है। मेरा सुझाव यह है कि संस्कृति और भाषा के विकास में रुचि रखने वाले राज्य को अपनी भाषा के माध्यम के स्कूलों को खोलने के लिए, जहाँ भी वे उन्हें खोलना चाहें, विधेयक पेश करना चाहिये। हमें इन परिस्थितियों में भाषायी अल्प-संख्यकों के मामले पर पुनर्विचार करना होगा।

सविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों की भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार करके बहुत अच्छा किया। इससे काफी अधिक भाषाओं और कई बार अधिक सांस्कृतिक और भाषायी मूल्यों वाले देश के बहुमत द्वारा स्वीकार किया गया। इन परिस्थितियों में जहाँ तक भाषायी अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, उन्हें स्वयं भाषायी अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, उन्हें स्वयं भाषायी अल्पसंख्यक होते हुये, राजभाषा के समर्थकों को एक वास्तविक रवैया अपनाना चाहिये।

भाषा के सम्बन्ध में यह निर्णय बहुत अर्थपूर्ण दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारा देश एक ऐसा देश है, जहाँ आज भी 80 प्रतिशत लोग साक्षर नहीं हैं। संघ की राजभाषा के बारे में बहुत ही आधुनिकतम होने के बजाय क्या हम किसी प्रकार की मौलिक हिन्दी विकसित नहीं कर सकते हैं, जो सभी को स्वीकार्य होता इस वर्ग के लोग, जिन्होंने इसे नहीं अपनाया है, तब मौलिक स्वरूप वाली इस हिन्दी को अपना लेंगे।

'एक भाषा एक राज्य के' सिद्धान्त में प्रशासनिक सुविधा के लिये परिवर्तन किया जाना चाहिये और 'एक राज्य एक भाषा के' परिवर्तित सिद्धान्त को अपनना चाहिये, जिसमें राज्यों के आकार को काफी कम करने की संभावना है, ताकि अखंडता और एकरूपता के आधार पर हमारे देश की भाषायें उन्नति करें और हम पारस्परिक प्रतिस्पर्धाओं से दूर रहें।

श्री ए० के० सेन (कलकत्ता–उत्तर पश्चिम) : यह ठीक है कि आज बहुत से लोग इस बात पर विचार करते हैं कि क्या देश को भाषायी राज्यों में विभक्त करना न्याय संगत है। इस विषय पर

बोलने का यह समय नहीं है परन्तु मैं इतना बताना चाहता हूँ कि संविधान में सांस्कृतिक, धार्मिक तथा अन्य प्रकार के सभी अल्पसंख्यकों को एक विशेष स्थिति प्रदान की गयी है ।

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सरकार यह नहीं कह सकती कि कोई अल्पसंख्यक संस्था किसी एक भाषा को, जो उनकी अपनी न हो, या किसी प्रबन्ध समिति को, जो उनकी अपनी न हो, चुन ले । किसी भी भाषायी, सांस्कृतिक, अथवा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्था को अपने ढंग से चलाने का पूर्ण अधिकार है । उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी भाषायी अल्पसंख्यक संस्था प्रबन्ध के माध्यम के मामलों में ही नहीं-बल्कि शिक्षा माध्यम के मामलों में भी स्वेच्छा बरत सकती है । इस अधिकार को संविधान में एक अनुरक्षण के भय में ही नहीं रखा गया है बल्कि अनुच्छेद 350 के अन्तर्गत इसे राज्य की नीति भी बनाया गया है । जिसके अनुसार भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राइमरी स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में देने की पर्याप्त सुविधायें प्रदान करने के लिये प्रत्येक राज्य तथा स्थानीय प्राधिकार को पूरा प्रयास करना चाहिये । इस प्रकार के उपबन्ध के लिये राष्ट्रपति किसी भी राज्य को अपेक्षित निदेश दे सकता है ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए ।
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

सरकार के 1956 के प्रथम ज्ञापन तथा तत्पश्चात 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णयों में बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि उच्चतर माध्यमिक तथा कालिज शिक्षा स्तर पर भाषायी अल्पसंख्यकों तथा अन्य लोगों को अपनी स्वेच्छा के अनुसार शिक्षा का माध्यम अपनाने का पूर्ण अधिकार है ।

उन लोगों को, जो भाषायी अल्पसंख्यकों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारा संविधान उनके ऐसे प्रयासों को विफल कर देगा और हमारे न्यायालय इस प्रकार के प्रयत्नों को असंवैधानिक घोषित कर देगे । खेद की बात है कि भाषा के नाम पर हर प्रकार के अपराध किये जा रहे हैं और जनता को समर्थकों तथा गैर-समर्थकों के दो वर्गों में विभाजित किया जा रहा है । भाषा के नाम पर इस प्रकार के अपराधों का कोई समर्थन नही किया जा सकता ।

दिल्ली में तमिल भाषी, बंगला भाषी तथा तेलुगू भाषी अर्थात सभी प्रकार के स्कूल हैं । यही हमारे भारत की वास्तविक तस्वीर है । बगला तथा आसामी भाषा आपस में बहुत हद तक मिलती जुलती भाषायें हैं । 1959 में भी मैं ने देशों के समय आसाम का दौरा किया था और सभी स्थानों पर मुझे बंगाली में ही बोलने को कहा गया था । जब मैं ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे हुए चराती नामक गांव में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर शरणार्थी बसे हुए हैं और उनके पास रहने को मकान तथा पहनने को कपड़े तक नहीं थे । जब मैंने सहायता की अपील की तो 500 रुपये एकत्र हो गये थे । प्रश्न यह है कि अल्पसंख्यक लोगों को एक भाषा विशेष पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । यह अल्पसंख्यक लोगों का मूल अधिकार है कि वह अपनी भाषा पढ़े । भाषा के नाम पर बहुत अप्रिय घटनाएं घटी हैं । अब प्रश्न यह है कि इसके जिम्मेदार कौन हैं । मेरा निवेदन यह है कि सर्वप्रथम वहाँ के विश्वविद्यालय ने एक संकल्प पास किया था कि अगले दस वर्षों में अंग्रेजी को हटा दिया जायेगा और इस बीच अंग्रेजी और आसामी दोनों भाषायें रहेंगी और शिक्षा का माध्यम और कोई भाषा नहीं बनेगी यद्यपि आसाम के बहुत अधिक लोग बंगाली जानते तथा बोलते हैं, इसके बाद वहाँ पर आन्दोलन शुरु हो गया कि दस वर्षों के लिए भी अंग्रेजी वहां नहीं रहनी चाहिए । आन्दोलन के डर में संकल्प में परिवर्तन कर दिया गया । अल्पसंख्यकों द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाओं को आसामी भाषा अपनाने के लिए बाध्य किया गया । अनेक कालेजों में ऐसा एक भी अध्यापक नहीं था जो कि आसामी भाषा

पढ़ा सकता। स्कूलों में आसामी भाषा को अनिवार्य विषय बनाना तो ठीक है परन्तु शिक्षा को माध्यम बनाना नैतिक तथा कानूनी दोनों रूप से ठीक नहीं है। भाषा आन्दोलन में हजारों लोग बेघर हो गये थे। भाषा के मामले में सहनशीलता बरती जानी चाहिए। विशेषकर बहुसंख्यक लोगों को तो सहनशीलता से काम लेना चाहिए। हम सब को एक दूसरे की भाषा सीखनी चाहिए। हमारे देश में कश्मीर में कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से आसाम तक एक ही संस्कृति है। यहां जो भी सभ्यता बाहर में आई है वह यहीं पर हमारी सभ्यता में मिल गई है। भारत की सभ्यता मिस्र तथा इसरायल की सभ्यता के समान पुरानी है। अतः हमारा देश सहनशीलता का एक उदाहरण रहा है। सहनशीलता हमारी संस्कृति का एक भाग अंग है। हमने सदा प्रत्येक मामले में सहनशीलता दिखाई है। जब वास्कोडिगामा सर्वप्रथम भारत आये तो उनको उपहार भेंट किये गये थे। अतः मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह 16 भाषायें भारत की ही भाषायें हैं। वे सब एक दूसरे की पूरक हैं।

मेरा निवेदन है कि आसाम में एक संसदीय प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाय तो कि वहाँ के वातावरण को शांत करे तथा वापस आकर हमें रिपोर्ट दे कि वहां पर क्या खराबी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हावर्ड) : मैंने एक स्थानापन्न प्रस्ताव दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 29 (1) में दिया गया है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार है। संविधान में पन्द्रह भाषाओं को मान्यता दी गई है। संविधान में स्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन भी किये गये हैं; परन्तु अभी तक नेपाली भाषा को मान्यता नहीं दी गई है हालांकि नेपाली भाषी लोग इसके लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उर्दू की स्थिति भी ऐसी ही है। इस भाषा को भी उचित स्थान दिया जाना चाहिए। दार्जिलिंग में इस बात को लेकर एक भारी प्रदर्शन हुआ था। स्वयं प्रधान मंत्री वहां गई थीं। अतः नेपाली भाषा को अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

आसाम में संसद सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा जाना चाहिए। संभव है इससे वहाँ पर सामान्य स्थिति लाने में सहायता मिले।

सत्तारूढ़ दल के विभिन्न ग्रुपों में आपसी झगड़ों के कारण ही आसाम में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। वहां पर मुख्य मंत्री की बात नहीं मानी गई है। इन देशों में पुलिस तथा समान विरोधी तत्वों की सांठगांठ थी। हमारे लिए यह बहुत अपमानजनक बात है।

भारत में भाषायी अल्पसंयख्कों के बारहवें प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि देश के विभिन्न भागों में शिक्षा, भर्त्ती के क्षेत्रों में भाषायी अल्पसंख्यकों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। जम्मू व कश्मीर, नागालैण्ड, पंजाब तथा संघ राज्य क्षत्र अन्दमान व निकोबार, चण्डीगढ़ मनीपुर आदि में 10 : 40 के सूत्र को स्वीकार किया गया है जबकि आँध्र प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडू में इस सूत्र पर बड़ी उदारता में अमल किया गया है। मैं इन राज्यों को ऐसा करने के लिए बधाई देता हूँ। अतः प्रतिवेदन में स्थिति को स्पष्ट करके बताया है। यह संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन है।

मेरा सभा से अनुरोध है कि मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव पर विचार किया जाये तथा इसे पास किया जाय।

Shri M.C. Daga (Pali) : Some leaders wit ulterior motives are responsible for such riots. It was accepted in the Constitution that Hindu will be national language in neat fifteen years. But even today we talk in English with great pride. All languages have emerged from

Sanskrit but nothing has been done to possible this language. In Tamil Nadu people are boycatting Hindi. All these issues are being taken up by the people who want to be at the helm of Altairs of the Government. In this way they raised the feelings of the people and get their votes. Even the three language formula has not been implemented. It was said that at distinct land and below the municipality or tehsil where a linguistic minority consists of 15 or 20 percent of the population, important Government notices, rules and other publications are to be translated in the language of the minority. Neither this decision has been implemented nor this can be implemented. All the deliberations are held in English in Supreme Court. Judgements are also delivered in English. Such things cannot be translated in Hindi. There is no use of saying anything which cannot be put into practice. Some sort of National policy should be formulated in regard to language issue. If the Government want to and here to the three language formula and it should be implemented.

Shri S. A. Shamim (Srinagar) : Urdu has not been given any rightful place in an country. It is true that it is not forced on Jammu and Kashmir but in my view it is the language of Uttar Pradesh and in this State it should be given its rightful place. It should be enforced in Uttar Pradesh.

We cannot outlook the part played by the under poetry in freedom struggle. It has also played a significant role in giving birth to mixed culture in India. It was stated in the election members of several political parties that justice will be done with Urdu and that it will be recognised as second language of Uttar Pradesh. Instructions to this effect were given to Uttar Pradesh Government but they have flouted all these instructions. Until you do justice with under you cannot do justice with minority languages.

श्री धरनीधर दास (मंगनदायी) : हमें राष्ट्रीय एकीकरण की बात को ध्यान में रखकर भाषी अल्पसंख्यकों की बात पर विचार करना चाहिए । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि प्रादेशिक भाषाओं के झगड़े के कारण अंग्रेजी को अधिक महत्व प्राप्त हो रहा है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि आसाम के देशों में राष्ट्रीय एकता का खतरा है । तो मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए । हम अंग्रेजी को अधिक महत्व दे रहे हैं हालांकि हम भाषा को 10 प्रतिशत से अधिक लोग नहीं समझते हैं । इसका कारण यह है कि हम प्रादेशिक भाषाओं को मामले को हल करने में असफल रहे हैं । राष्ट्रीय भाषा की पोषक भाषाओं के रूप में प्रादेशिक भाषाओं को विकसित का ही हमें ऐसे झगड़ों को समाप्त कर सकते हैं । अंग्रेजी अब नौकाशाही की भाषा है ।

हमारे देश में 70 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं । लोगों को उनकी मातृ भाषा में ही शिक्षित किया जा सकता है । आज देश में 1·5 प्रतिशत लोग जो अंग्रेजी जानते हैं, देश का शासन रहे हैं । देश का शासन चलाने के लिए लोगों को उनकी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए । हिन्दी भाषा में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसमें सभी भाषाओं का रूप देखा जा सके ।

संविधान में पन्द्रह भाषाओं को मान्यता दी गई है । देश में हिन्दी बोलने वालों की संख्या 30 प्रतिशत तथा बंगाली बोलने वालों की संख्या 8·7 प्रतिशत है । आसामी बोलने वालों की प्रतिशता केवल 1·3 प्रतिशत है । बंगाली एक विकसित भाषा है । इसका एक पृथक देश भी है । समूचे देश में लगभग 70 लाख बंगाली भाषी बिखरे हुए हैं परन्तु इनमें अधिकांश लोग आसाम में ही रहते हैं; आसाम में 60 प्रतिशत लोग आसामी भाषा बोलते हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सिफारिश की थी कि विश्वविद्यालय में प्रादेशिक भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए । इस सिफारिश के अनुमान में गोहाटी तथा डिब्रूगढ़

विश्वविद्यालयों में आसामी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया है और कण्धार जिले में लोगों ने इसका विरोध किया तथा आन्दोलन आरम्भ किया। इसमें कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी घटी हैं। 1943 के अकाल के पश्चात बंगाली लोगों का आसाम में बड़े पैमाने पर आगमन हुआ था। वैसे तो बहुत पहले से यह लोग आसाम में आकर बसते रहेंगे।

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री धरनीधर दास : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय : इनकी बात को रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन (बडागरा) : जब 1962 में, 1965 में और 1971 में हमारी राष्ट्रीय एकता को चुनौती का सामना करना पड़ा था, तब तो देश ने राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित की थी। राष्ट्रीय अल्प संख्यकों की समस्यायें आयुक्त के कार्यालय से अधिक मौलिक हैं।

मसला केवल भाषायी अल्प संख्यकों के शैक्षिक अवसरों का ही नहीं है अपितु उससे अधिक मौलिक है।

मेरा उस राज्य से सम्बन्ध है जिसके लोगों को हिमालय से कन्या कुमारी तक प्रत्येक तहसील में अपनी आजीविका के लिए जाना पड़ता है। आज हमारे अवसर ही कम नहीं हो गये अपितु हमारे जीवन भी जोखिम में पड़ गये हैं। मैं श्री फ्रैंक एन्चनी के इस कथन से सहमत नहीं हूँ कि यह राज्य पुनर्गठन के कारण हुआ है। हम उस देश में विविधता में एकता लाना चाहते हैं यदि लोकतंत्र में जीवित रहना है, तो केवल हिन्दी भाषा के माध्यम से नहीं अपितु सभी क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से रहना है।

आज देश के कई भागों में सांस्कृतिक दमन हो रहा है जिसके फलस्वरूप कट्टरता पनप रही है। संविधान के अनुच्छेद 16 (2) का खुला उल्लंघन हो रहा है। महाराष्ट्र में ऐसा न केवल शिव सेना द्वारा किया जा रहा है अपितु राज्य सरकार के आदेशों से भी हो रहा है।

सभापति महोदय : यदि राज्य सरकारों की भाषायी नीति में कोई त्रुटि रही है तो उसी के सम्बन्ध में उसका उल्लेख किया जाये। अन्य बातों को नहीं।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : यह भाषायी अल्प संख्यकों के मौलिक प्रश्न हैं। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किये हैं कि सभी सरकारी प्रतिष्ठानों एवं गैर-सरकारी कम्पनियों में नियुक्तियां

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी यहां पर क्या संगति है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : भाषायी अल्प संख्यकों के अधिकारों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

आदेश जारी किये गये हैं कि टैक्सी चालक वही लोग हो सकते हैं जो 15 वर्ष से राज्य में रह रहे हैं। आवाज के लिए 20 वर्ष की शर्त लगाई गई है। मेरा मन्तव्य है कि केन्द्रीय सरकार इस बात की मौत साक्षी बनकर नहीं रह सकती।

सभापति महोदय : सदस्य महोदय अब समाप्त करें।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : मैंने अपने राज्य के लोगों से पूछा है। उन्हें मजबूरन अन्य भाषाओं को अपनी मातृ भाषा इसी लिए घोषित करना पड़ा है क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें रोज-

गार और मकान आदि न मिल पाते । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार ही भाषायी अल्प संख्यकों को संरक्षण दे सकती है ।

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक सदस्य से कैसे झगड़ सकता हूँ ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : मैं अभी समाप्त करता हूँ ।

श्री डी० बसुमतारी : (कोकराझार) आप सारा समय कैसे ले सकते हैं मुझे भी कुछ कहना है ।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : आकाशवाणी के मद्रास केन्द्र से मलयालम में समय में कटौती कर दी गई है ।

सभापति महोदय : मैं सदस्य महोदय पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हूँ ।

नौवहन और परिवहन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं मानीय सदस्य से भाषण समाप्त करने का निवेदन करता हूँ । आप दूसरे सदस्य को बुलायें ।

श्री एच० एम० पटेल (ढढुका) : हम भाषायी अल्प संख्यकों की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं । बात सीधी है कि क्या भाषायी अल्प संख्यकों को अपेक्षित सुविधायें मिल रही हैं । पूर्व वक्ता वास्तव में विषय से हटकर बोलें हैं ।

पिछले 25 वर्षों में आयुक्त व्यर्थ परिश्रम करता रहा है । उसकी नियुक्ति का यही अभिप्राय है कि वह संविधान में प्रदत्त संरक्षणों पर नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट दे । परन्तु दुःख की बात है कि उसे राज्य सरकारों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता । यह भी स्पष्ट है कि संविधानिक संरक्षण पर्याप्त नहीं है । संविधान तभी कर सकता है, यदि लोगों की उसमें निष्ठा हो ।

संविधान के उपबन्धों का आशय तो यह है कि भाषायी अल्प संख्याकों के प्रति सहनशीलता का बर्ताव किया जाये । उन्हें अपनी भाषाओं के पढ़ने तथा उन्हें माध्यम बनाने की सुविधायें दी जायें ।

अब यह स्पष्ट करना हो गया है कि यदि हमने इन उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें दूसरे ढंग अपनाने पड़ेंगे । हमने आयुक्त की रिपोर्टों को सभा में पेश करने और उस पर वाद विवाद करने की व्यवस्था इसीलिए की थी । यदि उपबन्धों का उल्लंघन होता है, तो राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जायेगी और भाषायी अल्प संख्यकों को अपेक्षित संरक्षण प्राप्त हो जायेंगे । परन्तु यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका । अतएव मैं समझता हूँ कि समय आ गया है कि इस प्रश्न पर नई दृष्टि से विचार करें ।

अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि यह सुनिश्चत करने के लिये क्या कोई नीति बनाई जा सकती है कि विभिन्न राज्य में भाषायी अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिले ?

एक सुझाव दिया गया था कि एक ससदीय शिष्टमण्डल असम का दौरा करे । यदि यह सुझाव भाषायी अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिये अखिल भारतीय नीति बनाने के लिये है तो यह अच्छा सुझाव है ।

यदि उसे स्वीकार न किया जाये तो मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि एक नियमित आयोग की स्थापना की जाये जो निर्धारित समय में एक ऐसी नीति बनाये जो न केवल संविधान के उपलबंधों पर ही निर्भर रहे अपितु उन उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये प्रशासनिक तंत्र की भी स्थापना करें । केन्द्र सरकार को भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये संविधान में संशोधन करना चाहिये और शक्तियों को अपने हाल में लेना चाहिये ।

आज हमने उर्दू के सम्बन्ध की गई अपील को सुना। यद्यपि उर्दू एक राष्ट्रीय भाषा है तथापि इसके विकास के लिए अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही है, उर्दू भाषा बहुत अच्छी भाषा है और यदि इसका विकास किया जाये तो इससे देश के सांस्कृतिक विकास में पर्याप्त वृद्धि होगी।

अभी साल में असम में जो कुछ हुआ है तथा जो कुछ अन्य राज्यों में हो रहा है उससे यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वर्ष प्रति वर्ष आयुक्त द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से भाषायी अल्प संख्यकों के संरक्षण के सम्बन्ध में संविधान के उपबंधों को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। यह आवश्यक है कि समूचे प्रश्न पर नये दृष्टिकोण से विचार किया जाये।

***श्री पी० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल)** : तमिलनाडु और मैसूर में भाषायी अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं और संरक्षणों का इस प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। तमिलनाडु में 25 प्रतिशत लोग तेलुगू बोलते हैं। मैसूर के कोलार जिले में बड़ी संख्या में लोग तेलुगू बोलते हैं। आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में तमिलनाडु में तेलुगू भाषी लोगों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में जो राय व्यक्त की गई है मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूँ। "रामनाथपुरम के कलेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन से ऐसा लगता है कि 1 जुलाई 1969 से 30 अप्रैल, 1970 तक उन क्षेत्रों में जहां 50 प्रतिशत से अधिक लोग तेलुगू भाषी हैं, महत्वपूर्ण सूचनायें तथा नियम तेलुगू भाषा में प्रकाशित नहीं किये गये।" इतना ही नहीं, होसूर तथा धर्मपुरी तालुकों से तमिलनाडु विधान-सभा में दो सदस्यों ने बताया कि सरकार निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित करके तेलुगू भाषी लोगों के बहुमत में बदलना चाहती है। इसी प्रकार आयुक्त के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कोलार और गुलबर्गा जिलों में, जहां इन लोगों की संख्या बहुत अधिक है, तेलुगू भाषी लोगों को शिक्षा सुविधायें नहीं दी गई हैं। इन सब बातों की गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिये।

एक सुझाव दिया गया है कि संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये जो असम में हाल ही में हुए दंगों की स्थल पर जाकर जांच करें और इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस प्रकार की समिति की नियुक्ति से स्थिति सुधरने की बजाय और अधिक बिगड़ जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी स्थायी समिति बनाई जानी चाहिए जो निरन्तर इस ओर ध्यान दे कि विभिन्न राज्यों में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो।

कन्नड भाषा तथा तेलुगू भाषा की न्यूनाधिक रूप से एक ही लिपि है। इस प्रकार की सामान्य लिपियों वाली भाषाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिये।

Shri Swami Brahmanandji (Hamirpur) : Language is the medium of expressing ideas. Be it Urdu or Hindi the purpose of both the languages is the same. There is no difference between Urdu language and Hindi language other than the difference of scripts.

This problem can not to be solved by dividing the regions on linguistic basis. Instead the problems will increase. In fact, the entire problem is not due to the language but it is the leadership responsible for it. English should be eliminated and the regional languages should be developed.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : पंडित नेहरू के समय में यह प्रश्न संसद में उठाया गया था तब उन्होंने 1960 में पार्टी की बैठक में कहा था कि असमिया लोगों का वर्षों से शोषण किया जा

तेलुगू में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Telugu.

रहा है । अंग्रेजों द्वारा बंगाली लोगों को बंगाल तथा अन्य स्थानों से क्लर्की के लिये लिया गया और उन्हें ब्रिटिश काल में सेवाओं में सुविधाएं दी गई और कार्यालय अथवा किसी विभाग में असम निवासी केवल दो से तीन प्रतिशत तक रहे

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि 1955 में मुसलमानों को असमिया सीखने के लिये विवश किया गया । उन्हें किसी प्रकार से विवश नहीं किया गया । 1960 में भाषा विधेयम पारित किया जायेगा, सारे मुस्लिम समुदाय ने जिनकी जनसंख्या 27 प्रतिशत थी, असमिया को शिक्षा का माध्यम मान लिया ।

हाल ही में क्या हुआ ? सबसे पहले झगड़ा किसने आरंभ किया ? यह झगड़ा असमिया पर बंगला के प्रभुत्व की भावना के कारण हुआ । गौहाटी विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद् ने एक संकल्प पारित किया कि असमिया भाषा कालेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये और अंग्रेजी दस वर्ष तक रहनी चाहिए । जिस समय यह संकल्प पारित हुआ उसी समय कचार में तनाव पैदा हो गया । गैर-बंगला-भाषी लोगों के साथ लड़ाई शुरू हो गई । चाय बागानों में दस लाख हिन्दी भाषी लोग हैं, वे बंगला भाषी नहीं हैं । ब्रह्मपुत्र घाटी में गैर-सामाजिक तत्वों के भड़काये जाने पर यह स्थिति उत्पन्न हुए अतः बहुत से मानवीय सदस्यों द्वारा की गई शिकायत सही नहीं है ।

मैं अपने बंगाली मित्रों से अपील करता हूँ कि असमवासी काफी शिक्षित हो गए हैं और वे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं । वे अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहते हैं और उन्हें अपने अस्तित्व को बनाये रखने का अधिकार है । वहाँ बंगालियों का अधिपत्य नहीं होना चाहिये ।

अगर श्री पन्त अथवा श्री मिर्धा का यहाँ आना सम्भव नहीं है, तो बहस को स्थागित कर दिया जाय । सरकार का यह रवैया पूरी तरह गलत है ।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मन्त्रि-परिषद का प्रत्येक सदस्य उत्तर देने के लिए पूर्णतया समक्ष है, क्योकि सरकार की यह सामूहिक जिम्मेदारी है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : भाषाई अल्प संख्यकों की समस्या नई नहीं है और न ही इसका जन्म भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के पश्चात् ही हुआ है । फिर भी, मैं यह कह सकता हूं कि भाषाई अल्प संख्यकों की समस्या काफी हद तक हल हो चुकी है ।

संविधान निर्माताओं ने भाषाई अल्प संख्यकों के लिए अनुच्छेद 14, 15 और 16 तथा अनुच्छेद 29, 30, 347 और 350 के अन्तर्गत सुरक्षा का प्रावधान रखा । इसके अतिरिक्त मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन और शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन में भी कुछ सुरक्षात्मक उपायों पर सहमति हुई । राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात् भाषाई अल्प संख्यकों के लिए कुछ अन्य प्रावधान किया गया । एक राज्य की प्रमुख भाषा कुछ भी हो सकती है, परन्तु कुछ अन्य भाषाओं के भाषाई अल्प संख्यक वहाँ रहेंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकार (अहमदाबाद) : श्री मान जी सदन में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : अब सदन में गणपूर्ति है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : भाषाई अल्प संख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 350 ए और अनुच्छेद 350 बी संविधान में जोड़े गए । अनुच्छेद 350 ए के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार और स्थानीय संस्था का यह दायित्व होगा कि भाषाई अल्प संख्यक समुदाय के बच्चों के लिए प्राईमरी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था करे ।

अनुच्छेद 350 बी के अनुसार राष्ट्रपति भाषाई अल्प संख्यकों के लिए एक आयुक्त को नियुक्त करेंगे। मुख्य मन्त्रियों और शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलनों में आपसी विचार विमर्श से यह सहमति हो गई है कि अगर किसी स्कूल में 40 अथवा किसी एक क्लास में 10 छात्र अपनी मातृभाषा में प्राइमरी स्तर पर शिक्षा पाने के इच्छुक हों, तो उस भाषा के एक अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी।

मानवीय सदस्यों ने क्रियान्वयन पर अधिक बल दिया है। जम्मू और कश्मीर तथा नागालैण्ड को छोड़कर सभी राज्यों ने उक्त निर्णय को क्रियान्वित कर दिया है। असम सरकार ने पर्याप्त संख्या में छात्र आने पर भी किसी मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता देने या न देने का निर्णय अपने पास सुरक्षित रखा है। उड़ीसा में अल्पसंख्यकों के स्कूलों में ही मातृभाषा में शिक्षा दी जा सकती है। हरियाणा में पंजाबी और पंजाब में इच्छित भाषा को केवल प्राइवेट स्कूलों में ही शिक्षा का माध्यम रखा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में केवल पंजाबी में शिक्षा का माध्यम रखने सम्बन्धी कुछ आदेश हैं। दादरा और नगर हवेली तथा पांडिचेरी ने भी उक्त व्यवस्था को लागू कर दिया है।

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के सुझाव के अनुसार, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब सरकारों को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने स्कूलों में अग्रिम रजिस्टर रखने सम्बन्धी आदेश जारी कर दिये हैं। पजाब और जम्मू तथा कश्मीर में कुछ चुने हुये अल्पसंख्यक क्षेत्रों के लिए अग्रिम रजिस्टर रखने सम्बन्धी आदेश पहले से ही हैं। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों ने भी इसी प्रकार के आदेश जारी कर दिये हैं।

आदिवासी लोगों की भाषायें असम, बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा त्रिपुरा में शिक्षा का माध्यम हैं परन्तु बोलियों को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनकी कोई लिपि नहीं है।

श्री बी० वी० नायक ने कहा कि कोंकणी में शिक्षा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैसूर की सरकार ने कहा है कि अगर मैसूर की जनता कोंकणी में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक हो, तो कोंकणी को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है। कोंकणी की अपनी कोई लिपि नहीं है। महाराष्ट्र में कोंकणीभाषी लोगों ने देवनागरी लिपि को अपनाया है और मैसूर में कन्नड़ को। परन्तु, अगर पर्याप्त संख्या में छात्र प्राइमरी अथवा माध्यमिक स्तर पर हों, तो वहाँ कोंकणी को शिक्षा का माध्यम बनाया जा सकता है।

श्री उन्नीकृष्णन ने शिवसेना की गतिविधियों का उल्लेख किया है। शिवसेना का आन्दोलन तो सेवाओं में भर्ती से सम्बन्धित है, उसका भाषाई अल्पसंख्यकों से कोई सम्बन्ध नहीं। तहसीलदार अथवा कुछ अन्य पदों को छोड़कर सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान की कोई शर्त नहीं हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सर्वसम्मत सुरक्षात्मक उपाय यह है कि उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की अन्तिम चार क्लासों में 60 छात्र और किसी एक क्लास में 15 छात्र होने चाहिए। हरियाना, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने इस फार्मूले के क्रियान्वयन के लिए आदेश जारी कर दिये हैं। जम्मू तथा कश्मीर में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम है, परन्तु सामाजिक अध्ययन की शिक्षा उर्दू, अंग्रेजी अथवा पंजाबी में दी जा सकती है। पंजाब और हरियाना अपने आपको एक भाषा-भाषी राज्य मानते हैं। यह दृष्टिकोण गलत हैं। उन्हें भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करना चाहिए।

वाद-विवाद के दौरान मुख्य रूप से कछार और ब्रह्मपुत्र घाटी के भाषा विवाद पर जोर दिया

गया। असम में इस समय दो विश्वविद्यालय हैं–गौहाटी विश्वविद्यालय और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय। गौहाटी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत असम का कुछ भाग, मणिपुर, नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम क्षेत्र आते हैं, जबकि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत ऊपर असम के कुछ जिले आते हैं। गौहाटी विश्वविद्यालय में कुछ समय से शिक्षा का माध्यम विवाद का विषय रहा है। 1968 में गौहाटी विश्वविद्यालय ने कुछ प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम रखने का प्रस्ताव किया है। 1970 में यह प्रश्न फिर उठा था, परन्तु इसे स्थगित कर दिया गया है, परन्तु 6 जून, 1972 को गौहाटी विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद ने यह निर्णय किया है कि शिक्षा सत्र 1972–73 से शिक्षा का माध्यम तो असमिया अथवा अंग्रेजी ही रहेंगी, परन्तु बंगाली छात्र बंगला भाषा में उत्तर देने के लिए स्वतन्त्र होंगे। 12 जून, 1972 को शिक्षा परिषद ने अपने निर्णय में संशोधन कर दिया, जिसके अनुसार (1) गौहाटी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कालेजों की शिक्षा का माध्यम असमिया भाषा होगी (2) आगामी दस साल तक अंग्रेजी शिक्षा का वैकल्पिक माध्यम रह सकेगी और (3) विश्वविद्यालय की परीक्षा में छात्रों को असमिया अथवा अंग्रेजी में उत्तर लिखने की छूट होगी। 23 सितम्बर को असम विधान सभा ने यह संकल्प पारित किया कि गौहाटी और डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालयों में असमिया अथवा विकल्प रूप में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम रहेगी और कछार के लिए पृथक विश्वविद्यालय होगा।

12 जून, 1972 के शिक्षा परिषद के निर्णय के पीछे यह तर्क था कि जिस भाषा के माध्यम से छात्र ने शिक्षा ही प्राप्त नहीं की, उस भाषा में उत्तर देने के लिए उससे नहीं कहा जा सकता। असम की राजभाषा आसामी है। इसलिए असम सरकार उसको शिक्षा के माध्यम के रूप में विकसित करना चाहती है जिससे उसके प्रशासक असमिया भाषा के माध्यम से शासन चलाने में दक्ष हों। वहाँ रहने वाले अधिकांश बंगाली द्विभाषी हैं। मातृभाषा में जहाँ तक शिक्षा देने का सम्बन्ध है, प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर बंगाली में शिक्षा देने के लिए सभी सुविधायें उपलब्ध हैं।

भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 12 वीं रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1967–68 में प्राइमरी स्तर पर बंगला के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों और सेक्शनों की संख्या क्रमशः 2213 और 4 थी तथा छात्रों और अध्यापकों की संख्या क्रमशः 1,80,987 और 4,484 थी। माध्यमिक स्तर पर बंगला के माध्यम से शिक्षा देने वाले स्कूलों और अध्यापकों की संख्या 582 तथा 4863 थी और छात्रों की संख्या 1,19,179 थी।

1948-49 के विश्वलिद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा और लोकतान्त्रिक देश के आम कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाय। जिससे छात्र अपनी भाषा और संस्कृति का विकास कर सकें।

विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी में भी शिक्षा देने हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ज्ञान अंग्रेजी में उपलब्ध है। साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के शिक्षा सम्बन्धी हितों के प्रोत्साहन के लिए भी सभी प्रयास किये जाने चाहिए।

शिक्षा के मामले में संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार दिये हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार कोई भी राज्य सरकार भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को अमान्य नहीं कर सकती। व्यापक राष्ट्रीय हित की दृष्टि से, भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और

लिपि को सुरक्षित बनाये रखने के साथ साथ राज्य के सर्वतोमुखी विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए। उन्हें राज्य की भाषा भी सीखनी चाहिए और राज्य की शेष जनता के साथ घुलमिल जाना चाहिए ताकि अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर उन्हें मिल सकें। राज्य सरकारों से भी मैं अपील करता हूँ कि उन्हें कुछ समय दिया जाय ताकि वे प्राइमरी और माध्यमिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर भी राज्य की भाषा को सीख सकें। इस समय एक दूसरे की भावनाओं और कठिनाइयों को समझने की जरूरत है।

असम में उपद्रव होने पर वहां प्रधान मंत्री सहित कुछ मंत्रियों ने दौरा किया था। उन्होंने स्थिति का अध्ययन किया है और अब वहां शान्ति है। संसदीय समिति अथवा किसी आयोग के वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे यह समस्या छिपी हुई नहीं है। केन्द्रीय सरकार समस्या का समाधान करने के लिए उत्सुक है।

पश्चिम बंगाल के कुछ सदस्यों ने तथाकथित अत्याचारों के बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण और बढ़ाचढ़ाकर वक्तव्य दिये हैं।

श्री समर गुह : इस बारे में न्यायिक जांच कराई जाय।

सभापति महोदय : वह जो कुछ भी कहेंगे, वह कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह : **

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वास्तविक स्थिति क्या है ?

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय के उत्तर की समाप्ति पर उन्हें प्रश्न पूछने का अवसर दिया जायेगा।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मुख्य रूप से प्रभावित जिले कामरूप, पाराँग, नौगाँव, शिवसागर और डिब्रूगढ़ थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिनमें से 3 पुलिस की गोली से मरे और 18 आगजनी और दंगे के परिणामस्वरूप मारे गये। शेष 10 की मृत्यु का स्पष्ट कारण पता नहीं है। 760 आदमी घायल हुए जिनमें 126 पुलिस कर्मचारी आदि भी शामिल हैं।

असम सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की है। हिंसा की हम सभी भर्त्सना करते हैं। मैं समझता हूं सारा सदन मुझसे इस बारे में सहमत होगा।

मैं सभी पक्षों से अपील करता हूं कि वे सरकार के साथ सहयोग करें, जिससे शान्त वातावरण में निर्णय लिया जा सके।

श्री समर गुह : **

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को नामों का उल्लेख नहीं करना चाहिये। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाय।

सभापति महोदय : अब कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव हैं।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not Recorded.

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not Recorded.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : नं० 5 को अलग से लिया जाय ।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव सं० 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The substitute motion No. 5 was put and negatived

सभापति महोदय : अब मैं शेष स्थानापन्न प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव सं० 1, 2, 3, 4 और 6 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The substitute motion Nos. 1, 2, 3, 4 and 6 were put and negatived.

इसके पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 1 दिसम्बर 1972/10 अग्रहायण, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Friday, the 1st December, 1972/Agrahayana 10, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar.